लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Fumigated
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 37, मंगलवार, 14 अप्रैल, 1970/24 चैत्र, 1892 (शक)

No. 37, Tuesday, April, 14, 1970/Chaitra 24, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
991	केन्द्रीय अस्पताल, पूर्वोत्तर रेलवे में विशेष दवाइयों का दिया जाना	Issue of special medicines at Central Hospital, North Eastern Railway	1-4
992	कुमाऊं एक्सप्रैस में यात्रियों का लूटा जाना	Looting of passengers in Kumaun Express	4-8
993	नयी अलाभप्रद रलवे लाइनों का निर्माण	Construction of New Uneconomical Railway Lines	8-10
998	भारतीय रेलवे में संकेत तथा दूरसंचार विभाग में पदों का कार्य विश्लेषण	Job Analysis of Posts in Signal and Telecommunications Department on Indian Railways	10-12
999	रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of Directors in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	12-14
1004	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में टिकट निरीक्षण दस्ते पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on Maintenance of Ticket Checking Suad on North East Frontier Railway	14-17
1005	दिल्ली शाहदरा से सहारनपुर तक बड़ी लाइन का निर्माण	Construction of Broad Gauge line from Delhi-Shadhara to Saharanpur	17
	अल्प सूचना प्रश्न	Short Notice Questions	
19	बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिए (निर्मित की गई) अतिरिक्त क्षमता का उपयोग	Utilisation of Additional Capacity created for Barauni Refinery	18-24

*किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
994 कलकत्ता बंद के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Railways due to Calcutta Bund	24-25
995 ड्रम तथा बैरल उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग करना	Utilisation of installed capacity of Drum and Barrel Industry	25-26
996 विभिन्न प्रकार के नमकों की ढुलाई के लिए रेलवे भाड़े की दरों में भेदभाव	Discrimination in Railway Freights for different Categories of Salt	26
997 आयातित तथा स्वदेशी कच्चे माल का बैंक स्थापित करना	Establishment of Bank of Imported and Indegenous Raw Material	26-27
1000 रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में श्रम मन्त्रालय को रेलवे बोर्ड का गोपनीय पत्र	Confidential letter from Railway Board to Labour Ministry re : Grievances of Railway Employees	27
1001 हावड़ा पुल पर बहुत अधिक भीड़-भाड़ के कारण यातायात रुक जाने से रेलवे यात्रियों को असुविधा	Inconvenience to Railway Passengers due to Traffic Jam on Howrah Bridge	27-28
1002 विलास तथा गैर आवश्यक वस्तुएं तैयार करने में लगे उद्योग	Industries engaged in production of Luxury and Non-essential Items	28-29
1003 तेल कम्पनियों को तेल वाहक माल डिब्बों का सम्भरण	Supply of Tank Wagons to Oil Companies	29-30
1006 बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए रूसी ढांचों की सप्लाई	Supply of Russian structurals for Bokaro Steel Plant	30
1007 कागज बनाने के कारखानों का विस्तार	Expansion of paper Mills	30
1008 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विदेशों में पुर्जे जोड़ने के संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Assembly plants by H. M. T. in Foreign Countries	31
1009 भावनगर में फास्फोरस की स्थापना	Setting up of Phosphorus plant at Bhavnagar	31-32
1010 दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड द्वारा कच्चे लोहे के कारखानों की स्थापना	Setting up of a Pig Iron Complex by Durgapur Project Ltd.	32
1011 मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of industries in Backward areas of Madhya Pradesh	33-34

विषय Subject	पृष्ठ/Pages.
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	
1012 औजार संयंत्र, कोटा द्वारा उत्पादन Production by Instruments Plant, Kota	33
1013 तेल बैरल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता Licensed capacity of Oil Barrel Fabricators	33-34
1014 सिकन्दराबाद जाने वाली उपनगरीय रेलगाड़ी के एक डिब्बे में तेलंगाना आन्दोलनकारियों द्वारा आग लगाया जाना Fire to a carriage of a Secunderabad bound Suburban Train by Telengana agitators	34
1015 रेलवे मन्त्री द्वारा निरीक्षण दौरा Inspection tour by Railway Minister	34-35
1016 तीसरे दर्जे में यात्रा करने वालों के लिए अधिक डिब्बों की आवश्यकता Need for more coaches for third class passengers	35
1017 रेलवे में निम्नतर वर्ग के धन्धों के लिए स्थानीय लोगों की नियुक्ति Appointment of local people for Lower categories in Railway jobs	35-36
1018 गोआ में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस मंजूर करने के बारे में जांच आयोग द्वारा जांच Investigation by Commission of Inquiry re. Grant of licence to set up Fertiliser Plant in Goa	36
1019 साइकिल रिक्शाओं के लिये आटोइंजनों का निर्माण Production of Auto Engines for Cycle Rickshaws	36-37
1020 विशेषज्ञ दलों द्वारा ईराक की यात्रा Visit of Experts(Terms) to Iraq	37
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	
6229 ताड़ी और अवैध शराब पीने के कारण मौतें Death due to consumption of toddy and illicit liquor	37-38
6230 भारत में काजू तैयार करने वाले कारखाने Cashew processing factories in India	38-39
6231 बलगेरिया के सहयोग से जींद में चमड़ा साफ करने के कारखाने की स्थापना Setting up of Tannery in Jind with Bulgarian Collaboration	39-40
6232 बड़े व्यापार गृहों के कार्यों पर प्रतिबन्ध Singling out of top Business Houses	40-41
6233 राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास Development of small scale industries in Rajasthan	41
6234 करों के कारण माल की बिक्री में कमी Decline in the sale of goods due to taxation	42
6235 दिल्ली और रिवाड़ी के बीच रेलगाड़ियों के चलने में हस्तक्षेप करने का बिना टिकट यात्रा करने की घटनाओं में वृद्धि Increase in incidence of interference of running of trains and ticketless travelling between Delhi and Rewari	42

विषय	Subject	पृष्ठ/Page)
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6236 रेलवे कार्यालयों में संगणकों और स्वचलित मशीनों के प्रयोग पर रेलवे मजदूर संघों की प्रतिक्रिया	Reaction of Railway Unions to the introduction of Computers and automation in Railway Offices	42
6237 आदिवासी विकास खंडों के लिए निधि	Funds for Tribal Development Blocks	43
6238 मध्य रेलवे में मनमाड से मालेगांव तक बड़ी लाइन	Broad Gauge line from Manmad to Malegaon (Central Railway)	43
6239 सरकारी कोटे से स्कूटर	Scooters from Government quota	43-44
6240 मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा धन का दुर्विनियोजन	Misappropriation of Funds of M/s. Bengal Potteries Ltd. Calcutta	45
6241 मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के अंशधारियों से कुप्रबन्ध और शोषण के बारे में शिकायतें	Complaints of mismanagement and exploitation from Share holders of M/s Bengal Potteries Ltd.Calcutta	45
6242 मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के वार्षिक लेखे	Annual Accounts of M/s Bengal Potteries Ltd. Calcutta	45-46
6243 मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Managing director in M/s Bengal Potteries Ltd. Calcutta	46-47
6244 वेस्पा स्कूटरों के मूल्य ढांचे की जांच	Enquiry into price structure of Vespa Scooters	47
6245 अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय युवक समारोह में भाग लेना	Participants from Andaman and Nicobar Islands in International Youth Festival	*47-48
6246 रासायनिक संयंत्रों के लिए यंत्र तथा उपकरण बनाने हेतु सहायता देने के सम्बन्ध में रूस के साथ करार	Agreement with USSR for providing assistance to manufacture instruments for Chemical plants	48-49
6247 1970-71 के बजट प्रस्तावों की घोषणा के पश्चात् वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of articles after announcement of Budget proposal for 1970-71	49
6248 हावड़ा खड़गपुर सेक्सन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर रेल सेवा अस्तव्यस्त हो जाना	Disruption of train service on Howrah Kharagpur Section (South Eastern Railway)	50
6249 राज्य विधान परिषदों की सहायता में वृद्धि	Incease in Membership of State Legislative Councils	51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6250 भारत में औद्योगिक सूचना केन्द्र की स्थापना	Setting up of Industrial Information Centre in India	51
6251 जम्मू तथा काश्मीर की वन सम्पदा पर भारत रूस करार	Indo USSR Agreement on forest wealth of Jammu and Kashmir	51-52
6253 गुजरात में मूंगफली के तेल की मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Groundnut oil Mills in Gujarat	52
6254 बिहार में हरिजनों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Harijans in Bihar	52
6255 गढ़वाल क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र घोषित करना और वहाँ मद्यनिषेध लागू करना	Declaration of Garhwal area as Backward area and Prohibition in that area	52-53
6256 विभिन्न रेलवे के विरुद्ध न्यायालयों में दायर किये गये दावे	Claims filed in Law Courts against different Railways	53-55
6257 अपग्रेडड हेड सिगनेलरों (उत्तर रेलवे) को वेतन का बकाया राशि देना	Payment of Arrears to Upgraded Head Signallers (Northern Railway)	55
6258 गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में नियुक्त प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी क अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of class I and Class II Officers posted at Gorakhpur (North Eastern Railway)	55
6259 गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में 'ए' ग्रेड गार्डों की नियुक्ति	Posting of Guards 'A' Grade at Gorakhpur (North Eastern Railway)	56
6260 लुधियाना-चण्डीगढ़-जगाधरी रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण	Survey for Ludhiana-Chandigarh-Jagadhri Railway Line	56
6261 हरदा स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर प्रतीक्षालय में टिकट कलेक्टर द्वारा एक महिला के साथ कथित बलात्कार	Alleged Rape of a woman by a Ticket Collector in Waiting Room at Harda Station (Central Railway)	56-57
6262 विदेशी सहयोग कर्त्ताओं/विदेशी परामर्शदाता सेवा पर जोर दिये जाना	Insistence of Foreign Collaborators for Foreign Consultancy Service	57-58
6263 नैमित्तिक श्रमिकों को भारतीय रेलवे में स्थायी रूप से लगाना	Absorption of casual labourers in Indian Railways	58

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
6264	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर किया गया खर्च	Expenditure on Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes 58-59
6265	ग्वालियर भिंड छोटी लाइन खंड (मध्य रेलवे) पर स्टेशनों पर पानी तथा बिजली की व्यवस्था	Provision of Water and Light on Stations on Gwalior Bhind Narrow gauge Section (Central Railway) 59-60
6266	आगरा के निकट विद्यार्थियों द्वारा टिकट निरीक्षण कर्मचारियों को पीटा जाना और डिब्बों में आग लगाया जाना	Setting of fire to Bogies and Manhandling of Checking Staff by Students near Agra 60
6267	सिगनल कर्मचारियों के बारे में रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1968 की सिफारिशें	Recommendations of Railway Accidents Inquiry committee (1968) re. Signalling Staff 60-61
6268	रेल दुर्घटना जांच समिति (1968) की सिफारिशें	Recommendations of Railway Accident Inquiry Committee (1968) 61
6269	बारबील, बोलारी, बंसपुरा और देवगढ़ (दक्षिण पूर्व रेलवे) में रेल कर्मचारियों को अस्वास्थ्यकर नगर भत्ते का न दिया जाना	Non payment of [unheaithy] city allowance to Railway employees at Barbil, Bolari, Banaspura and Deogarh (South Eastern Railway) 61-62
6270	भारग्राही परिवहन कर्मचारियों को नानरनिंग रूम फैसिलिटी भत्ता	Non running Room Facility allowance to relieving Transportion staff 62
6271	उत्तर रेलवे के रिजर्व तथा रिलीविंग सहायक स्टेशन मास्टरों की अस्थायी नियुक्ति के बारे में नियम	Rules re: temporary posting of leave Reserve and Relieving Assistant Station Masters on Northern Railway 62
6272	उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन के स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की वेतन वृद्धि स्थगित किया जाना	Deferment of Increments of Station Masters and Assistant Station Masters of Delhi Divsion (Northern Railway) 62-63
6273	बम्बई और मंगलौर के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाया जाना	Direct Train Service between Bombay and Mangalore 63
6274	डिबाई रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर कर्मचारियों के क्वार्टरों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity for staff Quarters at Dibai Railway Station (Northern Railway) 63-64

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
6275	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, इलाहाबाद में उत्पादन / Production in Triveni Structural Limited, Allahabad.	64
6276	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड / National Industrial Development Corporation limited	64-65
6277	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधियों के साथ भारत जर्मन सहयोग सम्बन्धी वार्ता / Indo German Collaboration Talks with Representatives of FICCI	65
6278	हाबड़ा ऐक्सप्रेस तथा अन्य रेलगाड़ियों का पारसनाथ स्टेशन पर रुकना / Halt of (Howrah)/Express and other trains at Parasnath Station	65-66
6279	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में मालडिब्बों का तोड़ा जाना / Wagon breaking on North East Frontier Railway	66-67
6280	चोरियों और माल डिब्बों के तोड़ने के कारण माल की हानि तथा उसके कारण भुगतान किये गये मुआवजे की राशि (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) / Loss of Goods through pilferages, Wagon-breaking and Compensation tion paid therefor by Northeast Frontier Railway	68
6281	दूसरा विवाह करने पर प्रतिबन्ध / Ban on second marriage	68-69
6282	चण्डीगढ़ विवाद पर हुए दंगों के दौरान रेल सेवाओं का बन्द किया जाना / Suspension of train services during disturbances on Chandigarh issue	69
6283	दौराला से मवाना तक मीटर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना / Conversion of metre gauge line from Daurala to Mawana into Broad Gauge	69
6284	भारतीय रेलवे टिकट निरीक्षक कर्मचारी संघ को मान्यता / Recognition to Indian Railways ticket Checking Staff Asso ciation	69-70
6285	कोयला खानों को मालडिब्बों का आवंटन / Allotment of wagons to coal mines	70-71
6286	मैकेनिकल खराबी के कारण मध्य रेलवे में रेल दुर्घटनाएं / Railway accidents on Central Railway due to Mechanical Defects	71-72
6287	मध्य प्रदेश में हरिजनों को अलाट की गई भूमि / Land allotted to Harijans in Madhya Pradesh	72
6288	मध्य रेलवे में छंटनी किये गये नैमित्तिक श्रमिकों को बकाया मजूरी न दिया जाना / Non payment of dues to retrenched casual labourers on Central Railway	72

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
6290 भारत में औद्योगिक विकास के बारे में पारकिन्सन का वक्तव्य	Parkinson's statement re : industrial deve,opment) of India.	73
6291 दिल्ली से मद्रास और दिल्ली से बम्बई तक राजधानी ऐक्सप्रेस	Capital express from Delhi to Madras and Delhi to Bombay	73
6292 मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s Standard drum and Barrel Manufacturing Co. Bombay	73-74
6293 सिकन्दराबाद बंगलौर रेलवे लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना	Conversion of Secunderabad Bangalore Railway Line into braod gauge	74
6294 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमर्शियल क्लर्क/टिकट कलेक्टर/ट्रेन क्लर्क स्टोर क्लर्क के पदों पर पदोन्नति	Promotion of class IV staff to posts of commerical clerks, ticket collectors/ train clerks/ store clerks	74-75
6295 विक्लांग व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of handicapped persons	75-76
6296 इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के चिकित्सा विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchement of class III and class IV staff of medical department Allahabad (Northern Railway)	76
6297 इलाहाबाद डिवीजन के कुछ स्टेशनों (उत्तर रेलवे) पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of scavanging staff at certain stations of Allahabad Division (Northern Railway)	76
6298 इलाहाबाद डिवोजन (उत्तर रेलवे) में सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confimation of Sanitary Staff in Allahabad division (Northern Railway)	77
6299 शाहादरा सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by Shahdara Sahranpur Light Railway	77
6300 देश में अनाथों की संख्या	Orphans in the country	77
6301 टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का अधिग्रहण	Take over of Tata Iron and Steel Company	77-78
6302 राजनीतिज्ञों तथा सरकारी अधिकारियों के बजाय तकनीकी व्यक्तियों द्वारा सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध	Plea for management of Public Sector Undertakings by Technical Persons instead of politicians and Government officials	78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6303 भिलाई इस्पात कारखाने में इंजीनियरों के काम पर कर्मचारियों की नियुक्ति	Workers employed in Bhilai Steel Plant on jobs meant for engineers	79
6304 भिलाई इस्पात कारखाने को हानि	Loss in Bhilai Steel Plant	79-80
6306 मोतीपुर तथा कटनी स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच एक हाल्ट स्टेशन का बनाया जाना	Setting up of a halt Station between Motipur and Katni Station (North Eastern Railway)	80
6307 राज नगर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) से तेल के दो ढोलों को चोरी छिपे ले जाने के बारे में जांच	Enquiry into smuggling of two drums of oil from Rajnagar Station (North Eastern Railway)	80-81
6308 अनुसूचित जातियों की सूची में से ढांगर (खटीक) जाति को हटाना	Deletion f Dhangar (Khatik)caste from the list of Scheduled Castes	81-82
6309 चीफ कन्ट्रोलर, बीकानेर (उत्तर रेलवे) द्वारा सरकारी शक्ति का दुरुपयोग किये जाने के बारे में शिकायत	Complaint re: Misuse of official power by chief controller Bikaner (Northern Railway)	82
6310 विदेशी पर्यटकों को स्टेशनों पर सुविधा देने की समस्या को हल करने के लिये विशेष विंग	Special Wing in Railway Board to deal with problem of facilities to foreign Tourists	82
6311 आसाम में पेपर मिल	Paper Mill in Assam	83
6312 भारतीय रेलवे द्वारा यवतमाल तथा मुरतियाजपुर रेलवे की छोटी लाइन को अधिकार में लेना	Taking over of Yeotmal Murtajapur Narrow gauge railway line by Indian Railways	83-84
6313 बैलगाड़ियों के टायर तथा ट्यूबों को अत्यावश्यक वस्तुएं घोषित करने की मांग	Demand for declaring tyres and tubes for Bullock carts as essential commodities	84
6314 औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने में कठिनाइयां	Difficulties in setting up of small Scale industries in Industrial Areas	84-85
6316 जीवन बीमा निगम के एक भूतपूर्व अध्यक्ष की वोल्टाज लिमिटेड में निदेशक के रूप में नियुक्ति	Appointment of a former chairman, LIC as Director in Voltas Ltd.	85-86
6317 अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा को पुनः चालू करना	Rehabilitation of Ashok Paper Mills Darbhanga	86

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० सं०		
U. S. Q. Nos.		
6318 समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में शेड खलासी आदि की गलत वरीयता निर्धारित करना	Wrong Fixation of Seniority of Shed Khallasi etc. in Samastipur Division (North Eastern Railway)	86-87
6319 एलिया पेरूमल समिति से सम्बन्धित दस्तावेज नष्ट करने का कथित समाचार	Alleged destruction of decuments connected with Elyaperumal Committee	87
6320 उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्रों में नियोजित नैमित्तिक मजदूरों को मजदूरी सहित अवकाश	Paid Rests to Casual Labour Employed in Delhi Area (Northern Railway)	88
6321 रेलवे अस्पताल भटिंडा (उत्तर रेलवे) के मृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवारों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन का भुगतान	Payment of Provident Fund and Family pension to Families of Deceased class IV Employees of Railway Hospital Bhatinda (Northern Railway)	88
6322 उत्तर बंगाल में कागज मिल	Paper Mill in North Bengal	88-89
6323 डम डम रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बे तोड़ने वाली हिंसात्मक भीड़ पर गोली चलाया जाना	Firing on a Violent Mob of Wagon Breakers at Dum Dum Railway Station	89
6324 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे की प्रतिशतता	Percentage of Promotion Quota of Class III Staff	89
6325 उधना से लेकर भुगडाला पोर्ट (गुजरात राज्य) तक रेलवे लाइन बिछाना	Laying of Railway Line from Udhana to Bhugdala Port (Gujrat State)	89-90
6326 स्टेनोग्राफरों तथा टाइपिस्टों के लिये प्रोत्साहन योजना और टेजीफोन/टेलीप्रिन्टर /कम्प्यूटर आपरेटरों को विशेष वेतन	Incentive scheme for stenographers and Typists and special pay to Telephone/Teleprinter Comptometer Operators	90-91
6327 घाघरा नदी के मांझी पुल पर यातायात	Traffic on Manjhi Bridge on Ghaghra River	91
6328 एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों में टेलीफोन सेवायें	Telephone service in Express Mail Trains	91
6329 दिल्ली राज्य नारी निकेतन बोर्ड का परामर्शदायी कार्य	Advisory function of Delhi State Nari Niketan Board	91-92

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6330 दिल्ली राज्य नारी निकेतन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान	Payment of Dearness Allowance to Employees of Delhi Nari Niketan	92
6331 पश्चिम बंगाल में स्टेनलैस स्टील के निर्माण के लिये कम्पनियों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to parties in West Bengal to manufacture stainless Steel	92-93
6332 फिल्म कम्पनियों की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी	Authorised and paid up capital of Film Companies	93
6333 आदिम जातीय क्षेत्रों का पिछड़ापन निर्धारित करने हेतु सर्वेक्षण	Survey to determine backwardness of Tribal Areas	93-94
6334 महाराष्ट्र में फर्मों और समवायों को ऋण	Loans to firms and companies in Maharashtra	94
6335 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित इंजन तेल चलने वाली गाड़ियों के लिये अनुपयुक्त	Locomotives manufactured by Diesel Locomotive works unfit-for High Speed Trains	94
6336 बम्बई कलकत्ता तथा दिल्ली के बड़े होटलों में वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियों का गिरोह	Call girls racket in Big Hotels of Bombay, Calcutta and Delhi	95
6337 भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में भारत रूस करार	Indo Russioan Agreement on Expansion of Bhilai Steel Plant	95
6338 पार्सल मार्ग बीजक के बिना सब्जी और ताजे फलों को भेजना	Despatch of consignment of Vegetatables and fresh Fruit without Parcel way Bill	95-96
6339 कुडरा (केरल) में चीनी मिट्टी के वर्तन बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of ceramic plant at Kundara (Kerala)	96
6340 अखिल भारतीय चमड़ा बोर्ड की स्थापना	Setting up All India Leather Board	96-97
6341 मूल्यों, वस्तुओं के गुण, प्रकार तथा सेवाओं के मामले के उपभोक्ताओं के साथ न्याय के लिये आचार संहिता	Code of conduct for fair deal to consumers in prices, quality of goods and services	97
6342 राजस्थान की सीमा पर समाज कल्याण कार्य का विस्तार करना	Extension of social welfare activivities on Rajasthan Border	97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
6343 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के श्रेणी—1 के अधिकारियों को स्थायी करना	Meeting of departmental promotion Committee and confirmation of class I officers Traffic Department	98-99
6344 तमिलनाडु में बिना जोड़ इस्पात पावर मिल	Seamless Steel power mill in Tamil Nadu	99-100
6345 तमिलनाडु बिजली बोर्ड को इस्पाती सामग्री का आवंटन	Allotment of Steel Materials to Tamil Nadu Electricity Board	100
6346 अरकोनम (तमिलनाडु) में लगातार इस्पात ढलाई कारखानों की स्थाना	Setting up of a continous steel casting plant at Arkonam (Tamil Nadu)	100-101
6347 औद्योगिकी में विदेशी सहयोग	Foreign collaboration in Technology	101
6348 बिना टिकट यात्रा करने वालों को रोकने के लिये कार्यवाही करना तथा प्लेट-फार्म पर बाड़ लगाना	Fencing of platforms and measures to check ticketless travelling	101-102
6349 मध्य रेलवे के प्रशासनिक तथा डिवीजन कार्यालयों में अधिकारियों तथा क्लर्कों की पदालियों में समान वर्गोन्नति	Equal upgradation in officers and Clerks cadres in administrative and divisional offices Central Railway	102
6350 रेलवे बोर्ड तथा जोनल रेलवे के क्लर्कों के संवर्ग तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के संवर्ग में वृद्धि	Increase in clerical cadre as also Class I and class II officers in Railway Board and Zonal Railways	102-103
6351 होशंगाबाद रेलवे स्टेशन के निकट मध्य रेलवे के कृषि क्षेत्र का पट्टे पर देना	Leasing out of Central Railway agricultural field near Hoshangabad Railway Station	103
6352 केन्द्रीय कार्यालयों को मार्शलिंग यार्ड से दूर रखना और इटारसी कन्ट्रोल कार्यालय को भीलाखेड़ी यार्ड में स्थानान्तरित करना	Locating control offices away from Marshalling yards and shifting of Itarsi Control office to Bhilakhedi Yard	103-104
6353 रेलवे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of Chief Medical officers of Railways	104
6354 उत्तर रेलवे के नई दिल्ली स्थित डिवीजन लेखा कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को मानदेय तथा यात्रा भत्ता देना	Grant of Honorarium and T.A. to certain employees of divisional accounts office, (Northern Railway) New Delhi	105

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
6355	निर्धन लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता	Free legal aid to the Poor	105
6356	होतगी स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों की जीर्ण अवस्था	Dilapidated quarters for railway staff at Hotgi station (South Central Railway)	105-106
6357	विकरोली स्टेशन (बम्बई उपनगरीय स्टेशन) के निकट रेलवे फाटक	Level crossing near Vikroli station (Bombay Suburban Station),	106
6358	दिल्ली प्रभाग (उत्तर रेलवे) के मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा गार्डों के सम्बन्ध में दिये गये आदेश को लागू करना	Implementation of orders in respect of Station masters, Asstt. Station Masters and Guards etc. of Delhi Division (Northern Railway)	106-107
6359	मैसर्ज सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा मैसर्ज मद्रास सीमेंट में सीमेंट की उत्पादन लागत की जांच	Examination of cost of production of cement in M/s Saurashtra Cement and Chemical industries Ltd. and M/s Madras Cement	107-108
6360	मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स मद्रास सीमेंट के सीमेंट के मूल्य	Price of cement for M/s Saurashtra Cement and Chemical industries Ltd and M/s Madras Cements	108-112
6361	भारतीय रेलवे में औषधि निर्माताओं के स्थायीकरण के लिए व्यावसायिक परीक्षा	Holding of trade test for Pharmacists for confirmation in Indian Railways	112-113
6362	भारतीय रेलों में औषधि निर्माताओं के पद	Posts of Pharmacists on Indian Railways	113
6363	दिल्ली में प्रकाश कार्य में नई कम्पनियां	New companies in publishing field in Delhi	113-114
6364	उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी और कालका शिमला सेक्शनों में डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियों की व्यवस्था करना	Dieselisation of Kangra Valley and Kalka Simla Sections of Northern Railway	114
6365	मद्रास जनता एक्सप्रेस गाड़ी को पठानकोट तक बढ़ाना	Extension of Madras Janta Express Train to Pathankot	114-115
6366	बिहार में गोविन्दपुर कोयला खान के निकट रेलगाड़ी के एक डिब्बे से बम तथा छोटे हथियार बरामद होना	Recovery of bombs and small arms in a Railway Wagon near Govindpur Coal Mines, Bihar	115

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
6367 पांडे तथा बांचू समितियों द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए सुझाये गये मापदंड	Norms for establishing industries recommended by Pande and Wanchoo Committees	115-116
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	116-119
अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव का अखिल भारतीय अनाज विक्रेता संघ द्वारा विरोध किये जाने के समाचार	Reported protest by the Federation of All India Foodgrains Dealers Association against the move to nafionlaise wholesale trade in foodgrains	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	119-121
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the sittings of the House	121
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	121
61 वां प्रतिवेदन	Sixty-first Report	
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	122
108 वां प्रतिवेदन	Hundred and eighth Report	
केन्द्रीय सरकार के 1970-71 के बजट प्रस्तावों के बारे में याचिका	Petition re. Budget proposals of Central Governments for 1970-71	122-142
अनुदानों की मांगें, 1970-71	Demands for Grants, 1970-71	142-154
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Chemmicals and Mines and Metals	
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao	
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadav	
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lashmikanthamma	
श्री शिकरे	Shri Shinkre	
श्री चि० गौतम	Shri C. D. Gautam	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company affairs
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee
48 वां प्रतिवेदन	Forty-eighth Report

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार, 14 अप्रैल, 1970/24 चैत्र, 1892 (शक)
Tuesday, April 14, 1970/ Chaitra 24, 1892 (Saka)

सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The House met at Eleven of hours the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोलहू प्रसाद ।

श्री म० ला० सोंधी : श्रीमन् प्रश्नोत्तर कार्यक्रम से पूर्व मैं एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, इस आदेश के अनुसार संसद भवन के अहाते में भी धारा 144 लागू कर दी गई है...

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये । प्रश्न काल को किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग में मत लाईये । श्री मोलहू प्रसाद ।

श्री म० ला० सोंधी : मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपको मालूम है कि सभा के अधिकारों का अति क्रमण करना कितना गम्भीर मामला है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे मालूम भी हो तो भी मैं प्रश्न काल के दौरान आपको इस प्रकार खड़ा हो जाने की अनुमति नहीं दूँगा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Issue of Special Medicines at Central Hospital, North Eastern Railway

*991. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) Whether it is a fact that in the Central Hospital, North Eastern Railway, only the Medical Superintendent and the District Medical Superintendent can issue special medicines ;

(b) whether it is also a fact that the Assistant Medical Superintendents can not issue special medicines in spite of their being competent for issuing the same ;

(c) whether it is further a fact that the officers working on the same posts for a period of more than three years in the said Hospital have not been transferred in pursuance of the orders of the ministry of Home Affairs ; and

(d) if so, the reasons therefor and whether Government would make suitable arrangements in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sri Rohan Lal Chaturvedi) : (a) and (b) : No, Sir.

(c) As far as Railway Officers are concerned, no rigid period of stay at one place has been fixed ;

(d) Does not arise.

Shri Molahu Prasad : The answer just now given by the hon. Deputy Minister to my original question does not conform to the facts. As asked by me in parts (a) and (b). the fact is that only the senior doctors have been authorised to issue good medicines and not to the junior doctors. The persons belonging to class III or class IV categories and who have no approach to the senior doctors. are not able to get good medicines; and may I know whether the hon. Minister would hoid inquiries in this matter ?

Answer given to parts (c) and (d) is also not satisfactory. The question was whether it is further a fact that the officers working on the same posts for a period of more. than three years in the said hospitals have not been transferred in pursuance of the orders of the Ministry of Home Affairs ; and if so the reasons therefor and whether Government would make suitable arrangements in this regard ?

The hon. Minister has not given a clear answer to my above questions whereas the Ministry of Home Affairs had issued a demi-official letter No. 11-3-57/O. & M. dated 6th September, 1957. with a view to increasing administrative efficiency. Let the hon. Minister give clear information in this regard so that the malpractices and nepotism of the officers could be put to an end. This is the intention contained in my questions.

Shri Rohan Lal Chaturvedi : It is wrong to say that we do not issue good medicines to the lower grade employees.

Shri Molahu Prasad : Would he conduct an inquiry into this affairs ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : There is no need of such an inquiry . But if there is any specific case, the hon. Member may bring it to my notice and I will certainly look into that.

As regards his second question, the circular of the Ministry of Home Affairs is not aplicable to Railway Employees ; but the Railway Board has issued orders to the effect that as far as possible. any officer working on a significant post should not work at the same station for more than Five Years, but there can exceptions also in certain special circumstances. There are certain stations where doctors are working for the last more than five years ; but ordinarily we are quite particular that an officer working on significant post should remain at one place for more than five years.

Shri Molahu Prasad : The hon. Minister may state the number of such officers as have been working at one centre for more than 3 years.

Shri Rohan Lal Chaturvedi : Seven A. M. O. . have been working for more than three years in the North Eastern Railway Gorakhpur, and they all are specialists.

Shri Molahu Prasad : My second point is that since a lot of favouritism and malpractices are prevailing in the Government offices, whether he would issue orders to the effect that these high officers should be transferred to other places afte r three or five years. To day, the position is that certain high officers have been working at the same place for more than 15 or 16 years due to which a lot of corruption is going on. So, would he issue some difinite instructions immediately to stop all that ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : I believed the hon. Member would be satisfied with my answer. As I said earlier that 7 Assistant Medical Officers have been working at the same place in the North Eastern Railway for more than three years. There are 27 doctors. 18 are on General duty and nine are specialists. Now, the question raised by the hon. Member is not justified.

Shri Molahu Prasad : Would they be allowed to remain at the same place for ever ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : They would be transferred to other places as and when it is found necessary.

Shri Hukam Chand Kachwai : The class IV employees under Treatment of these hospitals do not get good special medicines when they develop some serious diseases. The prescribed medicines are not found available in the list and the poor patients are asked to purchase those medicines from the market. So, would the hon. Minister make proper arrangements to the effect that the poor people get proper treatment and medicines ?

Secondly, I have come to know that there are certain doctors who pressurise the low paid employees to get themselves sterlised and that only after that they could get a discharge from the hospital. For this purpose their salaries are also with held. There poor people can get discharge from hospital and also receive their pay only when they produce a certificate showing that they have undertake family Planning measures and have sterlised themselves. I can give certain instances to the hon. Minister. What does be purpose to do to stop it ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : Regarding his second question pertaining to Family Planning. I may submit that I am not aware of any such instructions having been issued ; and if the hon. Member can give me such instances, I shall surely look into those.

As regards his question on the issue of medicines, let me say that we make all efforts to provide all medicines prescribed. In case that medicine is not available at that moment we try to provide a similar or even better medicine available in the stock so as to benefit our employees.

Shri Chandrika Prasad : There is group politics among doctors at N. E. F. Railway Central Hospital at Gorakhpur and certain doctors having less than 3 years stay have been transferred . Would the hon. Minister take stops to stop this malpractice ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : It is very difficult to say that there is no groupism among doctors at any place. If the hon. Member brings a specific case to my notice I can make necessary inquiries.

Shri Rabi Ray : In regard to the North Eastern Railway Central Hospital, can the hon. Minister give the details of the quantum of medicines issued by those two Medical Officers, authorised to issue special medicines, to the officers and other staff, that is, to the employees having pay above Rs.15.00 and to the employees drawing pay less than Rs.1,500 have been issued special medicines, during the last one year ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : As I have stated earlier, the question of pay is not considered while. issuing medicines. Whenever a medicine a or the special medicine is prescribed by the doctor we make all efforts to provide the same suject to its being available in the stock.

Shri Rabi Ray : To what category do those persons belong to whom there special medicines have been issued ? Can he provide us with a statement showing their catogery and pay ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : There is no question of any category. Whatever medicine is prescribed by the doctor we provide that and if that medicine is not available in the stock, we provide some similar alternative.

Shri Rabi Ray : Low paid employees are not given those special medicines but the highly paid employees get them.

Shri Rohan Lal Chaturvedi : That is not correct.

कुमाऊं एक्सप्रेस में यात्रियों का लूटा जाना

+

* 992. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री दंडपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री रमेश चन्द्र व्यास :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मार्च, 1970 को कुमाऊं एक्सप्रेस में एक बहुत गम्भीर डकैती की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो डकैती किन परिस्थितियों में हुई और क्या उस गाड़ी में रेलवे सुरक्षा दल या पुलिस रक्षा दल का कोई व्यक्ति था;

(ग) यात्रियों तथा रेलवे को कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) जी हां, लेकिन डकैती की यह घटना 18 मार्च, 1970 को हुई, 19 मार्च 1970 को नहीं ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें ब्यौरा दिया गया है ।

(घ) (i) रेलवे पुलिस द्वारा महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखना और अपराधियों और

समाज-विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए समय-समय पर छापे मारना आदि सामान्य पुलिस प्रबन्धों को कड़ा करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने रात के समय चलने वाली महत्त्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में मार्गरक्षियों की व्यवस्था, सशस्त्र गश्त की व्यवस्था; प्रभावित क्षेत्रों में विशेष चौकियां स्थापित करना आदि सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय भी किये हैं। रेलवे पुलिस के प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए, जहां आवश्यक होता है, रेलवे सुरक्षा दल द्वारा भी सहायता दी जाती है।

(ii) रेल सम्पत्ति की हिफाजत के लिए यार्डों अथवा स्टेशन प्लेटफार्मों पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को भी कड़ी हिदायतें दी गयी हैं कि वे तुरन्त अपराध स्थल पर पहुँच जाया करें और आक्रान्त व्यक्तियों की यथासम्भव सहायता किया करें।

विवरण

18-3-70 की शाम को जब 12 डाउन कुमाऊं एक्सप्रेस गाड़ी बहेरी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, तो उसके 7637 नम्बर वाले तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में पिस्तौलों और छूरों से लैस आठ अपराधी घुस आये ! अपराधियों ने उस डिब्बे के 7/8 यात्रियों का सामान पिस्तौल और छूरे दिखा कर लूट लिया। जब चल टिकट परीक्षक, श्री शिव प्रसाद श्रीवास्तव ने उनका प्रतिरोध किया, तो उन्हें गोली लगने से हल्की चोट आयी। कुछ यात्रियों को भी मामूली चोटें आयीं। डाकूओं ने रीछा रोड के नजदीक खतरे की जंजीर खींची और हवा में दो गोलियां चलाकर वे बच निकले। केवल चार व्यक्तियों ने पुलिस में रिर्पोट दर्ज करायी जिनमें बताया गया कि 11,191 रुपये के मूल्य की नकदी और सामान लूटा गया है। रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और उसने लगभग 3000 रुपये के मूल्य का सामान बरामद भी कर लिया है। चार डाकू गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

कुमाऊं एक्सप्रेस में काठगोदाम और बरेली सिटी के बीच रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षियों की व्यवस्था नहीं की गयी थी। इस गाड़ी में बरेली सिटी से आगरा तक और बरेली सिटी तक रेलवे पुलिस के मार्गरक्षियों की व्यवस्था की जा रही है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मंत्री महोदय ने इस प्रकार स्पष्टीकरण दिया है जैसे सभी प्रबन्ध कर दिये गये हैं तथा सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से पूर्वीय उत्तर प्रदेश में "अपराध-लहर" इस सीमा तक पहुँच गई है कि एक महीने में लूट-पाट चोरी और डकैती के प्राय: 300 मामले हुए हैं और मैं उन्हें यह भी जानकारी देना चाहता हूं...

अध्यक्ष महादेय : आप उन्हें जानकारी मत दीजिये, प्रश्न पूछिये।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह एक बड़ा गंभीर मामलां है। आप उन्होंने जो उत्तर दिया है उसको ओर देखिये। चलती हुई रेलगाड़ियों में यात्रियों तथा उनके माल की सुरक्षा नहीं रही है। यह एक अत्यंत गंभीर बात है। ये डाकू लोग पिस्तौल की नोक पर चोरियां करते हैं लोगों का माल छीनते हैं

और भाग जाते हैं। अपराध संबंधी सर्वेक्षण से पता चला है कि सरकार को कानून और व्यवस्था की इस बिगड़ती हुई स्थिति का ज्ञान है; फिर भी यह अपराध प्रवृत्ति क्यों बढ़ती जा रही है ? यही मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे प्रश्न में मैं जानना चाहता हूं कि क्या व्यापार, उद्योग के प्रतिनिधियों उत्तर प्रदेश के यात्रियों तथा रेलगाड़ी-उपयोक्त संघ के प्रतिनिधियों ने श्री नन्दा से ही यह निवेदन किया है क्योंकि उन्होंने यह आश्वासन किया था कि वह इन स्थानों का दौरा करेंगे। अब ये कुछ मांग कर रहे हैं कि रेलवे मंत्री इन स्थानों का दौरा करने के लिये समय निकालें।

अध्यक्ष महादेय : इसके साथ आप अपना भाषण मत जोड़िये। कृपया सीधे सीधे प्रश्न पूछिये।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने वहां की इस गंभीर स्थिति का मौके पर ही अध्ययन करने के लिये समय निकाला ?

और अब मैं यह जानना चाहता हूं। प्रेस संवाददाता ने कहा है कि जब वह मौके पर गया तो लोगों ने उसे बताया कि रेलवे अधिकारियों ही से सांग गांठ हैं। मैं विशिष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार की जानकारी में भी आई है ? यदि हां तो इन दोषी रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : क्योंकि यह विशिष्ट प्रश्न मेरे कुछ दौरों से तथा मेरे द्वारा दिये गये आश्वासन से संबंधित है मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि मैं हर बार व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधियों से मिला हूं और उनकी सभी कठिनाइयों का अध्ययन मैंने किया तथा इस सम्बन्ध में मैंने अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित लोगों से विचार विमर्श किया है। कुछ कार्यवाही की जा चुकी है और शेष उपाय किये जा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सरकार को मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय लोकतंत्र अभियान के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक न्यायालयों की प्रणाली पर रेलवे स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं, और ये "मेक-शिफ्ट" स्टेशन स्थापित हो रहे हैं, टिकट जारी किये जा रहे हैं और धन एकत्रित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को प्रश्न के रूप में पूछिये। भाषण मत दीजिये।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम हुआ है कि ऐसे तत्वों ने, जो रेलवे स्टेशनों को लोगों की अदालत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं "मेक-शिफ्ट" स्टेशन स्थापित किये हैं ? यदि सरकार को मालूम हुआ है तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से बात चीत की हैं ? क्या ये "मेक-शिफ्ट" स्टेशन जारी रहेंगे तथा क्या सरकार ने उस धन को वसूल करने का प्रयास किया है जो इन तत्वों ने लोगों से प्राप्त किया है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, मुख्य प्रश्न काठगोदाम बरेली लाईन पर दिनांक 18 मार्च को हुई डकैती से संबंधित है।

इस बारे में मेरा निवेदन है कि इस बारे में हमें जानकारी मिली है और हमने इसकी सूचना पश्चिम बंगाल सरकार को दी है।

श्री नन्दा : प्रश्न के दूसरे भाग में माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या ये "मेक-शिफ्ट" स्टेशन जारी हैं। मेरा निवेदन है कि ये समाप्त किये जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता से हम इन अपराधियों से निपटना चाहते हैं। अब वह स्थिति नहीं रही है। इन स्टेशनों पर रेलवे विभाग द्वारा अधिकृत लक्ष्यों की व्यवस्था की गई है।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या यह सच है कि ये घटनायें उत्तर प्रदेश बिहार तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में होती हैं, यदि हां, तो क्या उन क्षेत्रों में कोई विशेष प्रबंध कर दिये गये हैं तथा क्या कार्यवाही करने के लिये क्षेत्रों का चुनाव कर लिया गया है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : कोई भी क्षेत्र निश्चित नहीं किया जाता है। परन्तु कभी-कभी किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में गति विधियां अधिक होती हैं क्या कभी किसी अन्य क्षेत्र में। परन्तु हमें मालूम है कि किन-किन क्षेत्रों में से घटनायें अधिक होती हैं और हम अपने सामर्थ्यानुसार हर सम्भव कार्यवाही करते हैं।

श्री लोबो प्रभु : इस सम्बन्ध में दो प्रश्न आते हैं। पहला यह कि ये डाकू चलती ट्रेन से उतरने के लिये खतरे की जंजीर खींच देते हैं, इस प्रकार खतरे की जंजीर खींचने के मामले पर रेलवे मंत्रालय पहले से दो विचार कर रहा है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है कि जब खतरे की जंजीर खींची जाये डिब्बे के बाहर रोशनी दिखाई जावे ताकि डिब्बे के पहचान हो सके जिससे कि अधिकारियों के आने से पूर्व कोई व्यक्ति उस डिब्बे से भाग न सके। यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है :—

अध्यक्ष महोदय : बस मैं पहले ही सदस्यों से कह चुका हूँ कि वे अनुपूरक प्रश्नों की संख्या न नियत करें।

श्री लेबो प्रभु : ठीक है श्रीमन, अब आगे मैं मंत्रालय से पूंछना चाहता हूँ कि जबकि आगरा–बरेली लाइन पर सशस्त्र आरक्षित पुलिस की व्यवस्था है जबकि यह सारे देश को सबसे सुरक्षित लाईन है, तो जंगलों के बीच से गुजरने वाली बरेली–कुमाऊं लाईन पर यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

आगे मैं सुझाव दूंगा कि सरकार अपनी अतिरिक्त रेलवे आरक्षित बल को रेलवे की आकस्मिक जांच पर क्यों न उपयोग में लाये ? यदि इस बल का इस प्रकार उपयोग किया जाये तो लोगों के दिलों पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : आगरा–बरेली क्षेत्र में आरक्षित व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि–विशेष कर छोटी लाइन पर हमने अवश्य ही गश्ती कर्मचारी रखे हैं। जहां तक आगरा बरेली क्षेत्र में आकस्मिक जांच का सम्बन्ध है वहां पर भी हमने नियमित रूप से गश्ती कर्मचारी तैनात किये हैं तथा घटनाओं की जांच की जाती है।

तीसरा प्रश्न उन डिब्बों की पहचान के बारे में है जहां खतरे की जंजीर खींची जाती है। हम निश्चय ही इस सुझाव पर विचार करेंगे।

नयी अलाभप्रद रेलवे लाइनों का निर्माण

+

*993. **श्री सूरज भान :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री ओंकार सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बनायी गयी ऐसी कौन-कौन सी रेल लाइनें हैं जो अलाभप्रद हैं ;

(ख) ऐसी प्रत्येक रेल लाइन पर यात्रियों तथा माल भाड़े से कितनी आय हुई है और ऐसी प्रत्येक लाइन पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) ऐसी रेलवे लाइनें बनाने के अलग-अलग कारण क्या हैं ; और

(घ) इन पर कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) से (घ) : पिछले दो वर्षों में बनायी गयी और यातायात के लिए खोली गयी लाइनों में से केवल हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर लाइन मंजूरी दिये जाने के समय भी अलाभप्रद समझी गयी थी। आरम्भ में इस लाइन का निर्माण स्थानीय जनता द्वारा प्रस्तावित श्रमदान की परख के रूप में शुरू किया गया था। चूंकि यह लाइन जनवरी, 1970 में ही खोली गयी है, इसलिए इसके परिचालन के वित्तीय परिणाम अभी नहीं निकाले गये हैं।

Shri Suraj Bhan : What was the price of the 'Shramdan' offeued for Hindumal Kot and Sriganganagar line and are you prepared to open line from Jagadhari to Chandigarh and Chandigarh to Ludhiyana etc.

Shri R. L. Chaturvedi : In the beginning the assurance of Shramdan for this line was for 12 Lakhs rupees but in fact 6.04 Lakhs rupees was incurred in this Shramdan. It inclues 1 lakhs and 47 thousand rupees which the people have given as donations.

As far as this question is concerned that whether can we accept offers of this kind for other lines, I beg to reply that we will not be able to do this under present circumstances.

Shri Suraj Bhan : We do not know what changes have taken place in the present circumstance.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Ministers have changed.

Shri Suraj Bhan : I want to know the number of uneconomic lines among those which have opened in the last two years ? The reply indicates that probably there is none. You have mentioned only about one line. Will you please place before the House the details of income and expenditure on the lines opened during the last two years ?

Shri R. L. Chaturvedi : There is a final rule for opening the new lines. We do not hope for any profit in them in two to five years. After five years, its return must come. As for the lines opened in last two years are concerned we cannot give any fi gures. The ouestion of profit or loss does not arise.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Government have to suffer about eight crores rupees on account of these uneconomic lines. But the loss occurs on account of the leakage, ticktless travelling, corruption, favouritism or due to the inefficiency. Infact no line is uneconomic in India. If it is properly used then in can become economic line. Under these circumstances will the Government give assurance that no lines, whether it may be uneconomic, will be closed and the inefficiency will be removed and the lines, which would be opened, will not be closed. A Committee was set up of which you were President. Besides this the P. A. C. and E. C. reports are there. May I know what steps you have taken in the last six months to increase the income of uneconomic lines and what are the results ?

Shri R. L. Chaturvedi : This question particularly relates to the report of uneconomic Branch lines Committee. Regarding these our first step was to set up a Committee and when the report was received, the Minister for Railways made announcement and ordered for a survey. We are prepared to do the least for uneconomic lines. But I warn that nothing can be said about the decision regarding the remuneration of lines as is given in the report. It is difficult to say at this stage about the decision to be arrived at. But I will assure you that we are all trying to increase the efficiency as has been stated by the Hon. Member.

श्री रंगा : आप अपने बचन से मुकर रहे हैं, आपने कहा है कि कोई भी अलाभप्रद लाइनों को छोड़ा नहीं जायेगा और साथ ही साथ आप कहते हो कि संयोगवश.....

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : काश आप मेरा पूरा उत्तर सुनते, मैंने कहा था कि अलाभप्रद ब्रांच लाइन समिति ने तत्कालीन रेलवे मंत्री के घोषणा के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

श्री रंगा : उसको और अधिक कार्यकुशल बनाइये ।

अध्यक्ष महोदय : यह अधिक अच्छा होगा कि मंत्री महोदय अपना वक्तव्य सुसंगत और संक्षिप्त रखें ।

Shri Kanwar Lal Gupta : My question was not about—the Branch lines. I asked about the assurance that no uneconomic lines would be closed. I also wanted to know what steps have been taken so that these lines may become economic and what is its impact ?

श्री नन्दा : यह प्रश्न रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान उठाया गया था और मैंने इसका उल्लेख किया है, मैंने दिए गए विभिन्न आश्वासनों का भी उल्लेख किया है और मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जो भी आश्वासन दिए गए हैं; वे निश्चय ही बोधकारी हैं; मैं साथ में यह भी कहा था कि उन लाइनों को लाभप्रद बनने के भरसक प्रयत्न करने के बाद यदि कोई कठिनाई पाई गई तो मैं सभा के समक्ष लाऊंगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने पूछा था कि गत छः महीनों में क्या कार्यवाही की गई है । मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई वाद-विवाद नहीं होना चाहिए ।

Shri Shiv Charan Lal : The Hon. Minister has stated that a report regarding the uneconomic lines will be submitted in five years. There is a line from Burhan to Etah which is regarded as uneconomic. But if it is entended up to Agra then it can become renumerative. May I know whether you got it examined. I have written you letter in this regard.

Shri R. L. Chaturvedi : As indicated in the report and as I remember, the line from Burhan to Etah and Agra is being surveyed. It has been regarded as one line. There is order for its survey but I cannot say correctly. After seeing the report I will intimate you.

श्री विश्व नारायण शास्त्री : यह प्रश्न नई अलाभप्रद रेलवे लाइनों के बारे में है क्या मैं जान सकता हूँ कि नई रेलवे लाइन खोलने का यह मार्गदर्शक आधार है कि क्या वह विशेष लाइन लाभकारी है या नहीं अथवा उस क्षेत्र की सामाजिक आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : स्वभावतः इसका मार्गदर्शक आधार यातायात का घनत्व है ।

श्री रणधीर सिंह : लोगों की आवश्यकता भी है ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यातायात घनत्व लोगों की आवश्यकता है । यदि ऐसा सुझाव है कि यह किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाये तो यह एक विशेष लाइन बिछाने का एकमात्र मापदंड नहीं है ।

श्री पें वेंकटासुब्बया : गंगानगर रेलवे लाइन का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि गैर-सरकारी संगठन से 12 लाख रुपये देने का बचन था परन्तु केवल 6 लाख रुपये चंदे के हद में आये हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सेवक समाज भी इसमें शामिल है और किन कारणों से शेष 6 लाख रुपये नहीं आ रहे हैं ? यदि ये रुपये नहीं आ रहे हैं तो ऐसे क्या कारण हैं जिनसे सरकार इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य करने को प्रवृत्त हुई है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मेरे विचार-भारत सेवा समाज को इसमें लाना ठीक नहीं है... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि इस विशेष कार्य में भारत सेवक समाज द्वारा कार्य करने का कोई प्रश्न नहीं है । यह राज्य सरकार और स्थानीय जनता है जिसने श्रमदान दिया है । हमने इसका मूल्य लगभग 12 लाख रुपये आंका है और स्थानीय लोगों ने 1.47 लाख रुपये दिए है और शेष के लिए उन्होंने श्रमदान दिया है । यही सूचना है ।

भारतीय रेलवे में संकेत तथा दूरसंचार विभाग में पदों का कार्य विश्लेषण

†* 998. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में आधुनिक संकेत प्रणाली को शीघ्रता से लागू किया जा रहा है और इससे संकेत तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के काम करने की स्थिति में परिवर्तन हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो काम करने की इन बदली हुई स्थितियों में क्या सब पदों के कार्य का विश्लेषण किया गया है, तथा बदली हुई नई स्थितियों के अनुसार काम के घंटों के विनियमों के अन्तर्गत उन पदों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो संकेत तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के मामले को सरकार इस विषमता को कब दूर करेगी ;

(घ) क्या भारतीय रेलवे संकेत तथा दूर संचार संघ वर्ष 1966 से बार-बार विषमता को दूर करने के लिये प्रार्थना करता रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा उनके प्रत्येक अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) भारतीय रेलवे में आधुनिक संकेत प्रणाली लागू किया जा रहा है जो कि सैक्शन की कार्य-संचालन की आवश्यकता और अपेक्षित धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

(ख) और (ग) जो कार्यवाहियां की गई है वे इस बात का औचित्य सिद्ध नहीं करती हैं कि रेलवे के संकेत तथा दूर संचार विभाग के सभी पदों के वर्गीकरण का पूर्ण पुनर्विलोकन किया जाये परन्तु रेलवे को यह कहा गया है कि कुछ उन मामलों की जांच की जाये जहां वरिष्ठ कर्मचारियों को उन्नत किस्म के यंत्रों के संचालन में भारी कार्य पर लगाया गया है और जहां कि काम के घंटों के विनियमों के अन्तर्गत उनकी वर्गीकरण की समीप का औचित्य सिद्ध हो सका है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में समय-समय पर जो कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उन पर यथोचित विचार किया गया है।

Shri Deven Sen : May I know whether it is fact that essentially intermittent category has to work 75 hours in a week, continuous category has to work 54 hours in a week and intensive category has to work 45 hours in a week ? Also whether it is fact that due to rapid modernization the work load, and responsibility of Signalling employees has increased and for them the alterness has become more important : if so then keeping in view all these things will a order be given for job analysis or not ?

Shri R. L. Chaturvedi : As stated in answer to the question, we instructed the Railway to review those posts which are classified in the Supervisory staff and that is being done. As for the review of other categories is concerned, we do this when the need arises. Since there were more representations of the supervisory staff, so we have given a order for their review.

Shri Deven Sen : The Hon. Minister has stated that the review of Job analysis is not essential. May I know whether any Expert Committee will be set up to see whether the load of works has increased or not and give then recommendations accordingly ? The National Commission of Labour has recommended that "Every employees should be allowed in a calender year three national and five festival holidays." But no holiday is granted to these employees.

Shri R. L. Chaturvedi : All there things will be looked into while taking the review. I have to make this submission that the excluded classified category, under which the supervisors of maintenance come, had more representations and we gave order for them. There is no need of setting up any other Expert Committee for them.

श्री बे० कु० दासचौधरी : मन्त्री महोदय ने बताया है कि ली गई कार्यवाहियां यह औचित्य सिद्ध नहीं करती कि रेलवे के सिगनल तथा दूर संचार विभागों के कर्मचारियों का कार्य विश्लेषण किया जाये, परन्तु क्या मैं उनसे जान सकता हूँ कि क्या वे कम से कम किरोनकर स्टेशन मास्टर, टिकट जांच कर्मचारी और सिगनल तथा दूर संचार विभागों के सिगनेलर के पदोन्नति के अवसर,

सेवा शर्तों की समान अध्ययन करने को तैयार है ? मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे यह बताएं कि उनके निम्न पद से उच्च पद तक उनके पदोन्नति को कैसे श्रेणीकृत किया जाता है ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यह प्रश्न सिगनल तथा दूर संचार विभागों से संबन्धित है जिसके बारे में मैंने पहले ही सूचना दे दी है और जिसमें सैक्शन के टेलिफोन आपरेटर आदि नहीं है, मैं शेष कर्मचारियों, जैसे स्टेशन मास्टर और अन्य, के बारे में कोई सूचना नहीं दे सकता हूँ ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : पदोन्नति के अवसर के बारे में क्या कहना है ? आप उनको बता क्यों नहीं रहे हो ? रेलवे में इन कर्मचारियों के पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं और वे वहां ऐसे ही पड़े हैं । उनके पदोन्नति के क्या अवसर हैं । मन्त्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करें ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है ।

Shri S. M. Joshi : The question is quite clear. Since this new system is being introduced so it has affected the job then why the government do not think of taking job analysis again. Why the Hon. Minister has stated that there is no need of such.

Shri R. L. Chaturvedi : As I have stated earlier that we have ordered for review of job analysis of lower category and excluded classified category to see how far their grievances are genuine.

रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में निदेशकों की नियुक्ति

999. **श्री रवि राय** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के वर्तमान रेजीडैन्ट निदेशक, श्री आर० एस० पाण्डे, को रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का एक एक निदेशक नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी-क्षेत्र के उपक्रम के एक अधिकारी को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची, जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में निदेशक नियुक्त करने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी, हां ।

(ख) वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रम, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, उनकी प्रबन्ध तकनीक समान होने के कारण, सरकार की यह राय है कि सरकारी उपक्रमों के निदेशक-मण्डल में दोनों ही क्षेत्रों के अनुभवी व्यावसायिक प्रबन्धकों की सेवाओं का प्रयोग करने में फायदे हैं ।

Shri Rabi Ray : We have raised this issue time and again that the people working in the private sector should not be employed in the public undertakings. Perhaps you might

be aware that about this, a question for taking Shri Bharat Ram in the Indian Airlines corporation has been raised. What happened to it ? I would like to know whether any change has been made in the government's policy that the people employed in the private Sector may be taken in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi.

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): There has not been any change in the policy. Previously there had been and still there are directors from private sector in the Heavy Engineering Corporation. Most of the directors are from Government or from public sector undertakings. There are also some directors from private sectors.

Shri Rabi Ray : What is the percentage of idle capacity of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ? You have taken Mr. Pande from Tata Iron and Steel Company. Has he got any scheme to bring back the use of idle capacity ?

Shri K. C. Pant : I have not undertstood the question properly. The question of idle capacity does not arise from it. As far the second part of the question is concerned—Mr. Pande has been employed there on the basis of the general experience which he has gained. He relates to Bihar and previsously he was a Civil Servant...

अध्यक्ष महोदय : वह सवाल के भाग (ख) का हवाला दे रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कोई आइडल कैपेसिटी है और जिसे नये डायरेक्टर शायद काम में ला सकते हैं ।

Shri K. C. Pant : If he had any suggestions then those will be considered.

Shri D. N. Tiwary : There are many such officers who work in the private sector. They keep very progressive views and in case if they are appointed in the public sector, then they will do good work. I would like to know from the Hon. Minister that whether he knows that sometimes Shri R. S. Pande was an I. A. S. Officer and had also worked as Development Commissioner in Bihar Government. What are his views and has he been called after knowing his views ? We believe that such people should come in the public sector who had a faith in the public sector. Have you ever tried to know it that Shri Pande had a sufficient faith in the public sector and he wants to work in it ?

Shri K. C. Pant : Shri Pande has been appointed here with his consent. He has worked as Labour Secretary in Bihar Government, and recently he was Personal Director in Tisco, He is an old I. A. S. officer. Such person is tried for appointment who had general experience in this field...

अध्यक्ष महोदय : पब्लिक सैक्टर में उसके विश्वास के बारे में वह पूछ रहे हैं ।

Shri K. C. Pant : I can not say anything about his faith towards the public sector but I can say about his experience.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि मैं ठीक समझा हूं, तो मन्त्री ने कहा है कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री द्वारा उनके बजट भाषण में जो हवाला दिया गया था कि निजी क्षेत्र को भी प्रमुख क्षेत्र में हिस्सेदारी और प्रबन्ध में साथ होने की भी अनुमति दी जायेगी, क्या उसे सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है और उस नीति के अनुसरण में निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में नई नियुक्ति की गई है ?

श्री कृ० चं० पन्त : प्रश्न का पहला भाग इस मन्त्रालय अथवा इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । दूसरा भाग उसी से उठता है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने कहा है कि नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रधान मन्त्री द्वारा नीति का एलान किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि उस नीति के अनुसरण में इसे अपनाया गया है अथवा सरकार की किसी नीति के बिना ही इसे स्वतन्त्र रूप से अपनाया गया है।

श्री कु० चं० पन्त : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पहले भी प्राईवेट सेक्टर से डायरेक्टर थे और आज भी हैं। नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

Shri Bal Raj Madhok : The greatest defect in public sector is that it moves in efficiently and public money is wasted in it. I would like to know—what is the policy of the Government about this—a person having faith in the public sector though the public money is wasted by him or you would like to keep such persons who are efficient and any work allotted to them could be done efficiently by them ? What is your criteria—whether the work is to be done efficiently or there should be commitment towards Public Sector ?

Shri K. C. Pant : The best criteria is to have efficient persons, although you can consider it as committment.

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Chairman, the reply is ambiguous. In the name of commitment, such a bungling is going on. .....

Mr. Chairman : He has replied clearly, what else you want.

श्री कार्तिक उरांव : मैं सरकार से निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के आधार जानना चाहता हूं और अब मंडल का गठन क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है, कि यह इस प्रश्न की सीमा में नहीं आता है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में टिकट निरीक्षण दस्ते पर किया गया खर्च

*†1004. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वित्तीय वर्षों में विशेष टिकट निरीक्षण दस्ते पर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा उनके वेतन, यात्रा भत्ते तथा अन्य व्यय पर वास्तव में कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) उक्त वर्षों में बिना टिकट यात्रा करते हुये पकड़े गये व्यक्तियों से वास्तव में कितनी आय हुई ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) : गत दो वित्तीय वर्षों में टिकट निरीक्षण दस्ते द्वारा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बिना टिकट यात्रा करते हुये पकड़े गये व्यक्तियों से प्राप्त आय तथा उस दस्ते पर किए गये व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यय रुपये	रेलवे को प्राप्त आय
1968-69	3,52,115	3,22,567
1969-70	3,25,110	2,01,871

श्री बे० कृ० दासचौधरी : यदि मैंने आंकड़े ठीक से सुने हैं, तो माननीय मन्त्री के कथन से पर्याप्त स्पष्ट है कि रेलवे द्वारा विशेष दस्ते को स्थापित किये जाने पर और विशेष उपायों को अपनाये

जाने के बावजूद भी रेलवे को 1968-69 के वर्ष में 30,000 रुपये के लगभग और 1969-70 के वर्ष में 25,000 रुपये के लगभग हानि हुई। इस परिस्थिति में, मैं माननीय मन्त्री से ऐसे विशेष दस्ते पर इतना खर्च उठाने की उपयोगिता जानना चाहता हूँ। क्या इस विशेष दस्ते की अपेक्षा टिकट चैकिंग स्टाफ में वृद्धि करना बेहतर नहीं होगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : हम टिकट चैकिंग स्टाफ़ को अवश्य ही प्रोत्साहन देते हैं कि लेकिन, इसके साथ ही, किसी सम्भाव्य घटना के विरुद्ध बचाव करने हेतु भी हमें इस दस्ते को रखना पड़ता है।

श्री बे० कु० दासचौधरी : "किसी सम्भाव्य घटना के विरुद्ध" से आपका क्या अभिप्राय है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : दस्ते पर किये गये खर्चे की उपार्जित धन से तुलना की संगति केवल किसी सीमा तक ही है; दस्ते के कार्य को भी सामने रखना है जो बिना टिकट यात्रा करने वालों उन लोगों को, ऐसा करने से रोकना है। अत: ऐसे लोगों की संख्या में कमी हो जाना ही इसकी सही परख होनी चाहिये। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि बिना टिकट यात्रा करने के मामलों की संख्या में 73 प्रतिशत तक कमी हुई है, टिकटों की बिक्री की संख्या में 7·2 प्रतिशत तक बढ़ती हुई है और टिकटों की बिक्री से प्राप्त होने वाले धन में 6·1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री बे० कु० दासचौधरी : जैसा कि मंत्री ने कहा है कि विशेष दस्ते को रखने से उपार्जित धन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या यह रेलवे के टिकट चैकिंग स्टाफ़ की दक्षता के कारण नहीं हुआ है ? और यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय उन व्यक्तियों को विशेष प्रोत्साहन और बधाई देना पसन्द करेंगे जिन्होंने बिना टिकट यात्रा करने वाले मुसाफिरों से बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया है ?

श्री नन्दा : इस प्रक्रिया से विभिन्न तत्वों का प्रयास रहा है तथा यह संयुक्त कार्य का परिणाम है। प्रोत्साहन देने के बारे में दिये गए सुझाव पर निश्चय ही विचार किया जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has given figures showing the actual receipts by the T. T. I. and T. C. as also by the Special Ticket Checking squad deputed to detect the travelling without tickets. Actual receipts by this squad is very low as compared to the expenditure which has been, incurred in sending them for checking. These T. T. S. perform a vital function of unearthing the concealed money. There is much resentment in the staff on sending the special Ticket checking squad or them.

Mr. Speaker : It is not necessary to ask supplementary. If you have to ask, your questions should be relevant. You should be aware of the number of questions to be asked.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, you are only objecting to me, not others. Take a class of some of the members and give then instructions regarding the number of questions to be asked.

Mr. Speaker : I think there should be a class for you.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister asks other persons to check and this action causes resentment in T. T. Is. It appears that the hon. Minister has got no confidence in those T. T. Is. These T. T. Is. have been thinking for a long time to launch a mass agitation.

Mr. Speaker : This question is not relevant.

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Government not send any such squad in future for taking those T. T. I.s into confidence ? At the same time they have also been demanding for taking them into running staff. What measures are being adopted in that regard ?

Shri Nanda : The services of both are needed. Both would be appreciated and rewarded for their services.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has not given the specific reply to my question.

Mr. Speaker : Sit down.

Shri Hukam Chand Kachwai : It seems that I shall have to gherao the residence of the hon. Minister.

Mr. Speaker : Do that outside the House, do not tell me like this.

Shri Tulshidas Jadhav, : Will the hon. Minister consider to make such arrangements to stop travelling without tickets at the railway stations by which no passengers can enter into the platform without having any ticket which would be checked while entering as it is already there at the air ports ?

Mr. Speaker : To which question you are asking this supplementary ? Ask a little relevantly. I have had to say Shri Kachwai like this and it seems I shall also have to say you.

Shri Tulsidhas Jadhav : I am asking about question No. 1004, because in part (b) of this question it is wrtten :" the actual receipts from the persons who were detected while travelling without tickets during these years ?"

Mr. Speaker : I am not making a fun :

(a) the actual expenses, including pay and others, incurred by the North east Frontier Railway. . . . . .'.

the word 'detected is not there.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह टिकट रहित यात्री एसोशियेशस के अध्यक्ष हैं अतः उनकी इसमें विशेष रुचि है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि उनका अनुपूरक प्रासंगिक होना चाहिये ।

Shri Tulsidas Jadhav : Have the Government made any arrangement for stopping ticketless traveliing ?

Mr. Speaker : It is clearly written there—the actual receipts they got :

"(b) the actual receipts from the persons who were detected while travelling without tickets during these years."

If you want to add something to it, you may add.

Shri Tulsidas Jadhav : Sometimes the T. T. Is. are killed by the Ticketless Travellers and sometimes they are pushed away from the trains. The T. T. Is. have to face very much trouble caused by the Ticketless Travellers. Is the hon. Minister of Railway considdering to make arrangements like airports ?

Shri R. L. Chaturvedi : It is not proper to compare the travelling service of aeroplane with that of the train because there are a few passengers at the airport. It would not be possible for such arrangements of checking tickets while entering into the railway platforms because the passengers come in a large number. After all we shall consider the suggestion made by the hon. Members.

दिल्ली शाहदरा से सहारनपुर तक बड़ी लाइन का निर्माण

†

*1005. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-शाहदरा से सहारनपुर तक बड़ी लाइन का निर्माण करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार को मेसर्स मार्टिन एन्ड कम्पनी की छोटी लाइन के जरिये माल भेजने तथा बुक कराने के बजाय बड़ी लाइन पर शाहदरा तथा सहारनपुर स्थित खुद अपने स्टेशनों पर ऐसा करने में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) दिल्ली शाहदरा और सहारनपुर के बीच एक नयी बड़ी लाइन बनाने के लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये हैं और उत्तर रेलवे रिपोर्टों की अन्तिम रूप दे रही है। जब, सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्टें रेलवे बोर्ड को मिल जायेंगी और बोर्ड सभी दृष्टिकोणों से उन पर विचार कर लेगा, उसके बाद ही इस लाइन के निर्माण के बारे में निर्णय किया जायेगा।

(ख) इस समय दिल्ली शाहदरा और सहारनपुर स्टेशनों पर बड़ी लाइन का जो यातायात आता है, उसको सम्हालने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन छोटी लाइन के अन्य स्टेशनों पर जो माल यातायात आता है, उसकी निकासी की व्यवस्था एस० एस० लाइट रेलवे को करनी पड़ती है और बड़ी लाइन पर भेजने के लिए उसे दिल्ली शाहदरा और सहारनपुर स्टेशनों पर यानान्तरित करना होता है।

Shri Maharaj Singh Bharati : There is no benefit to the Government in purchasing the narrow-guage line owned by Messrs. Martin and company because that is obsolete and useless. The Government are going to construct a new broad-guage line between Delhi Shahdara and Saharanpur. I want to know from the hon. Minister that why has he been maintaining unnecessary contact with the narrow—guage line owned by Messrs. Martin and Company ? The hon. Minister should cut the contact off from Messrs. Martin and Company by stoping the sale and purchase of goods.

Shri R. L. Chatuvedi : It is right that necesary steps are being taken for constructing a new broad,guage line between Delhi Shahdara and Saharanpur. The engineering and transport survey have also been completed but it would not be possible to cut the contact off from the narrow guage line owned by Messrs. Martin and company before the construction of new line and our final decision on that line. If we do so, there would be a great trouble to the passengers.

Shri Maharaj Singh Bharati : There would be no trouble to the passengers.

बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिये (निर्मित की गई) अतिरिक्त क्षमता का उपयोग

+
अ० सू० प्र० †19. श्री स० कुण्डू : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिये 30 लाख टन तक की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किस तिथि को किया गया और उस पर कितना खर्च आया ;

(ग) क्या निर्मित की गई अतिरिक्त क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तथा (ख) : जनवरी 1969 में बरौनी तेलशोधक कारखाने के 10 लाख टन क्षमता बढ़ाये जाने वाले कारखाने का कार्य पूरा हो गया था तथा 31 दिसम्बर 1669 तक जो व्यय हुआ वह लगभग 252 लाख रुपये था ।

(ग) श्रीमान् जी अभी तक नहीं किया गया है ।

(घ) 30 लाख टन क्षमता वाला बरौनी तेलशोधक कारखाना असम तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल नहीं मिलने के कारण अपनी वर्तमान 20 लाख टन क्षमता को भी पूरा करने लायक नहीं है ।

श्री स० कुण्डू बरौनी तेलशोधक कारखाना पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय रूपी रूग्ण माता-पिता का दुर्बल शिशु है । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनवरी, 1969 से अब तक 2.52 करोड़ रुपये तो खर्च कर दिये गये हैं तथा अतिरक्ति क्षमता बढ़ा दी गयी है परन्तु यह कब अपनी पूर्णक्षमता के साथ कार्य करेगा, इसका अभी कुछ मालूम नहीं है । इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि पाइपलाइन की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं है । एक प्रेस रिपोर्ट में कुछ अलग ही बात कही गयी है जिसमें बताया गया है कि महाप्रबन्धक ने पत्रकारों को बताया कि असम का 10 लाख टन आवश्यकता से अधिक कच्चे तेल का प्रयोग करने के लिये बरौनी में 30 लाख टन क्षमता वाला कारखाना स्थापित कर दिया था परन्तु असम में दूसरा तेलशोधक कारखाना स्थापित करने की सरकारी घोषणा ने 30 लाख टन क्षमता को बेकार बना दिया ।

एक दूसरी प्रेस रिपोर्ट है जिसमें डा० त्रिगुण सेन के कथन के बारे में कहा गया है । "एक प्रेस सम्मेलन में भाषण करते हुये डा० त्रिगुण सेन ने कहा कि गौहाटी से बरौनी तक की जो पुरानी पाइपलाइन है उसमें वार्षिक रूप से 20 लाख टन कच्चे तेल से अधिक तेल ले जाया नहीं जा सकता अतः आयातित कच्चे तेल को हल्दिया से बरौनी तक पम्प द्वारा ले जाया जायेगा ।"

मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या असम से बरौनी तक की पाइपलाइन कच्चा तेल ले जाने में पर्याप्त नहीं है अथवा असम में दूसरा तेलशोधक कारखाना खोले जाने के कारण वहां पर

कच्चे तेल का नाजायज फायदा उठाया जाता है; इसके बारे में सच क्या है ? देश को इस बारे में जानकारी चाहिये तथा मंत्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर दें ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : महोदय, सदन को मालूम होना चाहिये कि 1962 के उत्तरार्द्ध में जब चीन का आक्रमण हुआ तो कुछ स्पष्ट कारणों से भारत सरकार ने दो निर्णय लिये थे ;

(1) 20 लाख टन क्षमता वाले बरौनी तेल शोधक कारखाने को 30 लाख टन क्षमता तक बढ़ाना;

(2) हल्दिया तथा बरौनी के बीच एक पाइपलाइन डालना —

(क) आयातित 30 लाख टन कच्चे तेल को पम्प द्वारा ले जाना; और

(ख) बरौनी से कलकत्ता तक पेट्रोलियम उत्पाद को पम्प द्वारा वापिस लाना ।

सरकार के इन दोनों निर्णयों के बाद बरौनी तेल शोधक कारखाने का रूसी सहयोग के साथ विस्तार करने के आदेश जारी कर दिये जो कि 1968 में पूरी हुई तथा पाइपलाइनें भी डाली गयी है । महोदय, इस बारे में प्रत्येक चीज को आपको जानकारी है । दुर्भाग्यवश 1969 में जब हमने इसका कार्य संभाला तो तीन समस्याओं का सामना करना पड़ा । पहली समस्या तो यह थी कि गौहाटी से बरौनी तक की जो पाइपलाइन है जिसके द्वारा बरौनी को नाहरकरिया का कच्चा तेल मिलता है उसकी क्षमता 20 लाख टन की थी । दूसरी समस्या यह थी कि हल्दिया से बरौनी वाली पाइपलाइन इस प्रकार से बनी हुई थी कि 20 लाख टन आयातित कच्चे तेल से अधिक नहीं रख सकती थी । तीसरी समस्या यह थी कि बरौनी में 30 लाख टन क्षमता बढ़ाने का काम कम गंधक वाले नाहरकरिया के कच्चे तेल की विशेषताओं पर आधारित था तथा दूसरे संसाधनों से कच्चे तेल की शोध करने की कोई छूट नहीं थी । अब हम क्या करें ? नाहरकरिया के तेल-क्षेत्र अधिक तेल पैदा नहीं कर सकते । फिलहाल वहां से डिगबोई, गौहाटी तथा बरौनी को तेल की पूर्त्ति की जा रही है तथा यद्यपि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास थोड़ा कच्चा तेल अवश्य है परन्तु जो पाइपलाइन केवल 20 लाख टन ले जाने की क्षमता रखती है उससे हम और अधिक तेल नहीं ला सकते हैं । हमने सारी समस्या के अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकाला वह यह है कि यदि असम से बरौनी तक और अधिक तेल लाने के लिये बड़े-बड़े पम्प लगायें तो उस 6 करोड़ रुपया व्यय होगा तथा कम से कम 3-3½ वर्ष उसे पूरा होने में लग जायेंगे । पुरानी पाइपलाइन का उपयोग करने के लिये हमने उपाय भी ढूंढ़ निकाले हैं । हल्दिया से बरौनी तक पम्प द्वारा कच्चा तेल लाने का उपाय किया है । इससे हमें समय कम लगेगा तथा कम से कम 1.84 करोड़ रुपये की बचत भी होगी । अत: हमने निर्णय किया है कि पुरानी पाइपलाइन द्वारा बरौनी रोस्तम कच्चा तेल लाया जाना चाहिये । इसके अलावा हमने भारतीय तेल कम्पनी से अतिरिक्त साज सामान बनाने तथा परशियन गल्फ से आने वाले हमारे रोस्तम कच्चे तेल को शोधने का कार्य करने तथा इन कच्चे तेलों को हल्दिया तथा बरौनी में प्राप्त करने का प्रबन्ध करने के लिये पूछ लिया है । इन दो उपायों से जिन पर हमने विचार किया है, 1.84 करोड़ रुपये की बचत तथा कम समय में कार्य कर सकेंगे ।

श्री स० कुण्डू : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । वैसे मैं उत्तर के लिये आग्रह भी नहीं करूंगा । मैं मेरे दूसरे प्रश्न के समय अवसर प्राप्त कर लूंगा । माननीय मंत्री जी ने बताया

कि जब वह 1969 में मंत्रालय में आये तो वह इस बात का पता लगा सकते थे कि किस प्रकार आदमी द्वारा पैदा किये गये दुष्कार्यों से हमारे राजकोष से बहुत सा धन उद्देश्यविहीन पूंजी लगाने के कार्यों के लिये लिया गया। यह मंत्री भी अपना पद त्याग सकते हैं तथा दूसरे मंत्री उनकी जगह आ सकते हैं। उस समय उनको पता चलेगा कि मंत्रालय द्वारा दुष्कार्य किये गये हैं तथा यदि पीछे किये गये कार्यों का पता नहीं लगाया तो हानि वैसे ही जारी रहेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसी जांच करायेंगे जिससे पता चले कि योजना उचित ढंग से क्यों नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप देश को परेशानी भुगतनी पड़ती है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अतिरिक्त तीस लाख टन क्षमता वाला तेलशोधक कारखाना कार्य करना कब प्रारंभ करेगा।

डा० त्रिगुण सेन : पहले आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताता हूं कि हमने तेलशोधक कारखाने को इस अतिरिक्त क्षमता के साथ कार्य करने के आदेश दे दिये हैं। मैंने यह भी बता दिया है कि इसे पूरा होने में दो वर्ष से ढाई वर्ष तक का समय लगेगा। जो पहले हो गया है उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। परन्तु मेरा इस बात का पता लगाने का कर्त्तव्य है कि यह अतिरिक्त क्षमता है उसका उपयोग कैसे किया जाये। इसीलिये हमने निर्णय लिये हैं तथा इस निर्णय के अनुसार कार्य करने जा रहे हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री कुण्डू द्वारा लगाये गये आरोपों को तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। बरौनी तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के मामले में गलत राजनैतिक निर्णय लिया गया है तथा इसके आर्थिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है।

इन सब बातों को पूरा करने के लिये माननीय मंत्री महोदय ने यह निर्णय लिया है। इस समस्या को जैसा मैंने समझा है, इसका समाधान यह है कि जो पुराना बरौनी तेलशोधक कारखाना है उसका उपयोग दस लाख टन कच्चा तेल आयात करके किया जाये। क्या यह सच है कि 1968 में एक निर्णय लिया गया जिसके अनुसार केवल 110 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में 1970-71 तक कच्चे तेल का आयात किया जायेगा; यदि हां तो बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिये जो अतिरिक्त 10 लाख टन कच्चा तेल आयात किया जायेगा, क्या उस पर लगने वाली धनराशि भी इसी 110 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में शामिल है ? मेरी समझ में इसे दो वर्ष पहले मंजूरी दी गयी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि तेलशोधक कारखाने में जब पोलिस्टर धागा तथा अन्य वस्तुओं जैसा उप-उत्पाद के रूप में कच्चा माल उपलब्ध हो जायेगा तो बढ़ाई गई क्षमता का बहुत शीघ्र ही पूर्ण उपयोग किया जायेगा तथा इनका उपयोग कैसे किया जायेगा ? क्या वहां पर पेट्रो-समूह प्रारंभ किया जायेगा ?

डा० त्रिगुण सेन : मेरी समझ में नहीं आता कि सारी बात में ही राजनीति कैसे हो सकती है। 1962 में आयात उपाय के रूप बरौनी तेलशोधक कारखाने का आयातित कच्चे तेल को हल्दिया से बरौनी तक लाने के प्रयोग के लिये इसको क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। आयात कालीन स्थिति उत्पन्न हुई थी इसमें कोई राजनीति की बात नहीं थी। इस निर्णय के अनुसार बरौनी तेलशोधक कारखाने की क्षमता बढ़ा दी गयी।

परन्तु जब पाइपलाइन डाली गयी तो मालूम हुआ कि बरौनी तक तीस लाख टन तेल इस लाइन द्वारा नहीं ले जाया जा सकता। यही कठिनाई है। इसीलिये हमें दूसरा निर्णय लेना पड़ा। अतः इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है वरना तकनीकी तथा अर्थ सम्बन्धी प्रश्न है। उन्होंने कच्चे तेल के आयात के बारे में पूछा है परन्तु जो प्रश्न उन्होंने पूछा है उसका आर्थिक पहलू मेरी समझ में नहीं आया है। हमारे पास रोस्तम कच्चा तेल है तथा हम दूसरे संसाधनों से कच्चे तेल का आयात करने की अपेक्षा हमारे तेल शोधक कारखानों में इसका उपयोग करना चाहते हैं। यह स्पष्ट निर्णय है।

श्री नि० रं० लास्कर : सार्वजनिक धन नष्ट करने का यह ज्वलन्त उदाहरण है। जनवरी, 1969 के प्रारंभ के दिनों में ही इस परियोजना का कार्य पूरा हो चुका था। अब तक मंत्री जी यह बताने में असमर्थ हैं कि कब तक कच्चे तेल को साफ किया जायेगा तथा कब तक अतिरिक्त बढ़ाई गई क्षमता का उपयोग किया जायेगा।

माननीय मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि गंधकयुक्त नाहरकरिया कच्चे तेल के आधार पर यह क्षमता बढ़ाई गई थी। क्या अन्य देशों से कोई आयातित कच्चा तेल इस बढ़ाई गई क्षमता के लिये उचित होगा अथवा नहीं ? यदि नहीं तो मैं समझता हूं सारे ढांचे को गिरा दिया जायेगा तथा उसके स्थान पर कोई नया ढांचा बनाया जायेगा। इस योजना के लिये कौन उत्तरदायी था तथा क्या इस बारे में कोई जांच की जायेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : यह गलत योजना नहीं थी। इस तेलशोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने का कारण मैं दो बार बता चुका हूँ। जब क्षमता बढ़ाई गई तो किसी को यह मालूम नहीं था कि उस समय कौन-सा कच्चा तेल आयात के लिये प्राप्य था केवल मात्र नाहरकरिया कच्चा तेल प्राप्य था। अतः उस कच्चे तेल की विशिष्टता के आधार पर बरौनी तेलशोधक कारखाने की क्षमता बढ़ा दी गयी। नाहरकरिया तेल-क्षेत्रों से जो कच्चा तेल मिला वह केवल डिग्बोई गौहाटी को पूर्ति के लिये पर्याप्त है तथा बरौनी में भी 20 लाख टन क्षमता की पूर्ति के लिये पर्याप्त है। नाहरकरिया तेल क्षेत्र में इससे अधिक क च्चा तेल नहीं है। इस प्रकार तेल शोधक करखाने की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये दस लाख टन कच्चे तेल की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि उस पाइपलाइन से हम कच्चा तेल नहीं ला सकते तथा असम से लाने में लगभग 6 करोड़ रुपये तथा लगभग $3\frac{1}{2}$ वर्ष लगते हैं और जबकि बरौनी तथा हल्दिया के मध्य पहले से एक पाइप लाइन है तो हल्दिया से बरौनी तक आयातित कच्चा तेल अथवा हमारा रोस्तम कच्चा तेल लाना अधिक सरल है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the hon. Minister, while there was a decision to expand Haldia—Barauni pipeline to the capacity of 3 million tonnes, why that was reduced to the capacity of 2 million tonnes ? Why the capacity of the refinery had been reduced from 3 million tonnes to 2 million tonnes when it was to be investigated by the Shri Niwas Rao Committee ? Would the hon. Minister inquire into the functioning of the Barauni Refinery to find out the shortcomings in the administration. The report of the Ganga Pollution Enquiry Committee also proves these short-comings. Would he tighten-up the administration officers at the Ministry level who creat hinderances in the functioning of the refinery ? Moreover, would he arrange to expand its capacity upto 3 million tonnes by way of installing booster-pumps and spending some money ?

डा० त्रिगुण सेन : बरौनी में गंगा में आग लगने का प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार का निर्णय सभा पटल पर रख दिये गये हैं। हमने सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की है, इसकी वह उस प्रतिवेदन से जानकारी कर सकते हैं।

दूसरा प्रश्न हल्दिया तथा बरौनी के बीच पाइपलाइन का है। जैसा कि श्री मधु लिमये के ध्यानाकर्षण प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि मुझे अभी तक भी राव का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा न ही संसद् की सरकारी उपक्रम समिति का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो कि इस समस्या पर विचार कर रही है। ज्योंही मुझे वे प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेंगे तो मैं निर्णय कर लूंगा। यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो उसे छोड़ा नहीं जायेगा। परन्तु मुझे प्रजातान्त्रिक ढंग से काम करना चाहिये। मैं हिटलर की तरह नहीं हूँ, न ही मुझे मेरे द्वारा जर्मनी में भयभीत होकर देखे हुये उसके कार्यों को ही करने की इच्छा है।

तीसरा प्रश्न बरौनी से हल्दिया तक 30 लाख टन कच्चा तेल ले जाने के लिये बूस्टर पम्प के प्रयोग के बारे में है। हम पुरानी पाइपलाइन द्वारा पहले से ही असम से 20 लाख टन कच्चा तेल ला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बरौनी तक 30 लाख टन तेल लाने के लिये कुछ और पैसा खर्च करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु हम इसका अब भी अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि जब कभी आयात स्थिति उत्पन्न होगी तो हम वैसा करने के लिये भी तैयार हैं।

श्री हेम बरुआ : मैं प्रश्न पूछने के लिये खड़ा हूँ। न तो प्रश्न काल तथा न अभी ही आप मुझे प्रश्न पूछने की इजाजत देते हैं। अब मैं और कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ।

श्री हेम बरुआ सभा भवन से बाहर चले गये

Shri Hem Barua then left the House.

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी गलत बात है। उन्हें कितनी ही बार प्रश्न पूछने का समय दे दिया है उसे तो वह भूल जाते हैं तथा एक ही अवसर याद रखते हैं जब उन्हें प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया गया है। ऐसे समझदार सदस्य को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिये। कृपया वापिस आ जाइये।

Shri Kamalnayan Bajaj : A very important question arises from the answers given by the hon. Minister. He said in his answer to the part "a" of the Question that he did not bother what happened earlier. Then while replying to Shri Madhu Limaye he said that if any body is found corrupt he would take action against him according to demoeratic set up. The question is this that an additional capacity of 3 million tonnes was created and 2 million tonnes capacity was already there. Whether it was due to the wrong planning, defective supply by the contracter or engineering defect but on the quitting of one minister and coming of another in the office if the wrongs done in the part will not be brought to light then it would lead to colossal loss of public money.

Mr. Speaker : I have noticed it twice that while speaking you forget it that this is Question Hour. Put a question, do not deliver speech.

Shri Kamalnayan Bajaj : Mr. Speaker, Sir, it is a matter of principle. It may lead to jeopardy if the wrongs done in the past by a Minister are not revealed. I want to know from the hon. Minister whether there is any wrong in his knowledge, if so, is he prepared to arrange for an enquiry ? Will any person found guilty be penalised ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि पहले तो यह जांच करूँ कि निश्चित की गई समयावादी में पाइपलाइन को क्यों नहीं पूरा किया तथा बाद में कार्यवाही करूं। मैं 30 लाख टन क्षमता का शीघ्रता से उपयोग करना चाहता हूँ। अन्य बातों के लिये मैं प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

श्री रा० बरुआ : माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि राव समिति का प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने तीन वर्षों से पूरे मामले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। पता नहीं वह अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेंगे। ऐसी स्थिति में माननीय मन्त्री महोदय किस प्रकार कठिनाई से छुटकारा पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह कहां तक प्रासंगिक है ?

श्री रा० बरुआ : थोड़ा उत्तर आवश्यक है। तीन वर्ष बीत गये हैं तथा वह हर बार कह देते हैं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

डा० त्रिगुण सेन : क्या यह सुझाव है कि मैं दूसरी समिति नियुक्त करके और अगले तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करूं ?

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : बरौनी में हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने का सारा मामला गलत योजना, अव्यवस्था तथा अकार्यकुशलता का मामला लगता है। हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन की अतिरिक्त क्षमता की बात तो छोड़िये, जो उसकी पुरानी क्षमता थी उसके अनुसार ही तेल छोड़ने का काम नहीं कर सकती है। इसीलिये माननीय मन्त्री महोदय ने कह दिया कि वे रोस्तम कच्चे तेल का प्रयोग करेंगे। रोस्तम तेल खोजक व्यापार के अन्य भागीदारों के साथ किये गये अनुबन्ध में क्या कोई ऐसा खण्ड है जिसमें यह लिखा हो कि भारतीय तेल शोधक कारखानों में इसका कोई भी भाग तेल शोधक कार्य के लिये प्रयोग में नहीं लाया जा सकता ? रोस्तम कच्चे तेल से जो हम कुल उत्पादन करेंगे उसमें हमारा क्या हिस्सा होगा ? क्या इसमें कोई प्रतिबन्धात्मक खण्ड हैं, यदि हां, तो भारत द्वारा उसका कितना भाग प्रयोग में लाया जा सकता है ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं इस बात का खण्डन करता हूँ कि योजना दोषयुक्त थी अथवा इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य निहित था। रोस्तम कच्चा तेल हमारा ही है तथा दस लाख टन है, तथा किसी के साथ इस बात का कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है कि उसे हम हमारे तेल शोधक कारखाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

Shri D. N. Tiwary : The Barauni Refinery has 96 initio been the victim of wrong decisions, unimaginative planning and fautly execution.

Mr. Speaker : Put up a question. You yourself started to explain. This is the business of the hon. Minister.

Shri D. N. Tiwary : You have accomodated each and everyone. I may also be accomodated. All these three things have occurred in the Barauni Refinery. When the Haldia-Barauni pipeline could not meet the capacity of 2 million tonnes of crude, why then an additional capacity of 3 million tonnes was created ? How long is it right to imagine that the pipleline would be able to meet the capacity of 3 million tonnes of crude later on ?

डा० त्रिगुण सेन : चीन के आक्रमण के समय 30 लाख टन क्षमता करना आवश्यक समझा गया था। इस योजना के पीछे अन्य कोई उद्देश्य नहीं था।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं किसी उद्देश्य की ओर संकेत नहीं कर रहा हूँ.....(व्यवधान)

डा० त्रिगुण सेन : इस सारे मामले में मैंने बिना कुछ छिपाये सारी बातें स्पष्ट बता दी है। इस समय बरौनी तेल शोधक कारखाने की 30 लाख टन क्षमता में से हल्दिया तथा तेल शोधक कारखाने के मध्य पाइप लाईन की क्षमता 10 लाख टन है तथा 20 लाख टन क्षमता असम से पूरी की जाती है। अतः इस समय इसकी क्षमता और अधिक बढ़ाना आवश्यक नहीं है।

श्री एस० एम० कृष्ण : माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि पहले जो कुछ हो गया है, उसके बारे में वह नहीं जान चाहते हैं। जब बरौनी में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने का परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था तो क्या उस समय उन्होंने कच्चे तेल की कमी हो जाने की संभावना पर गौर किया गया था ? इस परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने वाले कौन अधिकारी थे तथा किस प्राधिकार से इसे मंजूरी मिली ? क्या मन्त्री महोदय ने इस बारे में कोई जाँच करने का विचार किया है ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं समझता हूँ मेरे माननीय मित्र ने मेरी बात समझी नहीं है। मुझे खेद है कि शायद मेरी अंग्रेजी कमजोर है। मैंने प्रत्येक बात को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर दिया था। हमने कहा कि जब बरौनी में 30 लाख टन क्षमता की योजना बनाई गई उस समय यह सोचा गया कि आयात काल के कारण बरौनी के लिये 30 लाख टन कच्चा तेल आयात करना पड़ सकता है। अतः उस समय इस बारे में नहीं सोचा गया था कि असम से 30 लाख टन तेल मिल जायेगा। चीनी आक्रमण के समय सरकार द्वारा यह दूसरा प्रबन्ध किया गया था। अब जब मैंने कह दिया है कि सरकारी उपक्रम समिति तथा जाँच समिति इसकी जांच कर रही है तो यह पूछने से क्या लाभ है कि किसने यह किया ? मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र अब यह नहीं चाहते होंगे कि मैं इस बारे में कार्यवाही करने के लिए बैठा रहूँ तथा प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करता रहूँ। 30 लाख टन क्षमता बढ़ाने के लिये साज सामान के लिये जो 3 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है वह बेकार नहीं पड़ी रह सकती है। हमें उसका उपयोग करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये, उसी उद्देश्य के लिये हमने यह कार्यवाही की है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता बन्द के कारण रेलवे को हुई हानि

*994. **श्री सामिनाथन :** **श्री शास्त्री :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई मूल्यांकन किया गया है कि 16 मार्च, 1970 को कलकत्ता बन्द के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे को कुल कितनी हानि हुई थी; और

(ग) ऐसे मामले में रेलवे को हानि न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । 17–3–70 को 'कलकत्ता बन्द' के कारण रेलों को जितनी प्रत्यक्ष हानि हुई, उसका मूल्यांकन किया गया है ।

(ख) 6,100 रुपये ।

(ग) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा करने और ऐसी स्थितियों को सम्हालने के लिए राज्य पुलिस की सहायता के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा दल/रेलवे सुरक्षा विशेष दल का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है । कानून और व्यवस्था कायम रखने का उत्तरदायित्व राज्य पुलिस अधिकारियों का है, उनकी सहायता प्राप्त करने के विचार से उनके साथ अधिक से अधिक निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ।

रेल सम्पत्ति की हानि पहुँचाने या नष्ट करने के लिए निवारक दण्ड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से संसद् में एक विधेयक भी पेश किया गया गया है ।

रेल सम्पत्ति जैसी राष्ट्रीय परिसम्पत्तियाँ के विनाश के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को जागरुक बनाने के भी उपाय किये जाते हैं ।

ड्रम तथा बैरल उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग करना

995. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री ड्रम तथा बैरल उद्योग में कच्चे माल की कमी के बारे में 11 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न सं० 2243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में कानूनी उपबन्ध करने के बारे में विचार करेगी ताकि इस उद्योग में नये एकक स्थापित करने से पूर्व वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता का पूर्णरूपेण उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक उपबन्ध कब तक किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस उद्योग में इस्पात की चादरों ने आयात के लिये निर्माताओं के बजाय उपभोक्ताओं को लाइसेंस जारी करने की वर्तमान प्रचलित आयात नीति इस अर्थ में त्रुटिपूर्ण नहीं है कि इस्पात में चादरें प्राप्त करने वाले उपभोक्ता उन्हें अपने मन पसन्द के निर्माताओं को दे देते हैं और इस प्रकार वह दूसरे एककों को बेकार रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं; और

(घ) यहि हाँ, तो क्या सरकार अब उपभोक्ताओं के बजाय केवल निर्माताओं को उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आधार पर आयात लाइसेंस जारी करेगी ताकि सभी एकक अपने संयंत्रों को चला सकें और उनको उपभोक्ताओं की कृपा पर निर्भर न रहना पड़े ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : सरकार की अधिसूचनाएं दिनांक 19 फरवरी, 1970 तथा 28 फरवरी, 1970 व प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13 मार्च 1970 से विदित होगा कि सरकार की नीति उद्यमियों विशेष कर लघु, मध्यम समूहों तथा नये-नये उद्योगपतियों के लिए अधिकाधिक स्वतंत्रता तथा अवसर के सुनिश्चय, करने की रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देना वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता पर तथा उसके उपयोग पर निर्भर करेगा।

(ग) तथा (घ) : आजकल प्रयत्न किये जा रहे हैं कि बैरल निर्माताओं को इस सीमा तक इस्पात चद्दरों के आयात की अनुमति दी जाये कि सभी निर्माता आयात किये हुये तथा देशीय आवंटन से अपनी एक पारी की निर्धारित क्षमता का कार्य चलाते रहें। ऐसे उपभोक्ताओं को, जिनकी निर्माण क्षमता नहीं है, आयात लाइसेंस स्वीकृत करने की नीति अस्वीकृत रही है तथा यह उन निर्माताओं पर कुप्रभाव नहीं डालती जो आयात नीति में निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करने के उपरान्त आयात आवेदन पत्र भी दे सकते हैं।

विभिन्न प्रकार के नमकों की ढुलाई के लिये रेलवे भाड़े की दरों में भेदभाव

*996. **श्री रा० की० अमीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत नमक की ढुलाई के लिये रेल भाड़े की दरों में भेदभाव किया जाता है ;

(ख) क्या इस भेदभाव के कारण छोटे निर्माताओं के हितों की हानि होती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

आयातित तथा स्वदेशी कच्चे माल का बैंक स्थापित करना

997. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग उद्योग ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह आयातित तथा स्वदेशी कच्चे माल का एक बैंक स्थापित करे ताकि निर्यात हेतु उत्पादन में बाधा न पड़े; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : जी, हां राज्य व्यापार निगम वास्तविक उपभोक्ताओं तथा पंजीकृत

निर्यातकों को कच्चे माल के सम्भरण के लिए औद्योगिक कच्चे माल की सहायता का केन्द्र (इण्डस्ट्रियल रा मैटीरियल असिसटेंट सेंटर) की स्थापना कर रहा है ताकि उन्हें निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल वस्तुओं के निर्यात किए जाने से पूर्व ही मिल जाए ।

रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में श्रम मंत्रालय को रेलवे बोर्ड का गोपनीय पत्र

*1000. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होता है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के लिए बातचीत करने की स्थाई व्यवस्था की गई है, श्रम मंत्रालय को कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने से रोकने के लिये कोई गोपनीय पत्र भेजा है ;

(ग) क्या वह पत्र औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करता ;

(घ) क्या वह पत्र मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के अनुरोध पर भेजा गया था, ताकि वे कर्मचारियों को अपनी शिकायतें उनके द्वारा ही प्रस्तुत करने पर दबाव डाल सकें; और

(ङ) क्या इस बात पर विचार किया गया है कि श्रेणीवार एसोशिएशनों की मान्यता दी जाये अथवा उनको बातचीत करने की सुविधाएं दी जाएं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : सवाल नहीं उठता

(ङ) जी नहीं ।

हावड़ा पुल पर बहुत अधिक भीड़भाड़ के कारण यातायात रुक जाने से रेलवे यात्रियों को असुविधा

*1001. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा पुल पर दोनों ओर से यातायात रुके रहने पर रेलवे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लम्बी यात्रा वाले सैकड़ों यात्री प्रतिदिन गाड़ी नहीं पकड़ पाते ; और

(ग) यदि हां, तो उन यात्रियों के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) यह सही है कि सुबह और शाम को भीड़-भाड़ के समय कलकत्ता में हबड़ा पुल पर कभी-कभी यातायात ठप्प हो जाता है जिससे सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है। इन सड़क उपयोगकर्ताओं में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो रेल गाड़ियों से हबड़ा स्टेशन आये हों अथवा हबड़ा स्टेशन से रेल गाड़ी पकड़ना चाहते हों।

(ख) इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या हबड़ा पुल पर यातायात ठप्प हो जाने के कारण लम्बी दूरी के किन्हीं यात्रियों की गाड़ी छूट जाती है।

(ग) सड़क सम्बन्धी सुविधाओं और इस तरह की सड़कों पर पुलों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार और नगर तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हुगली पर दूसरा पुल बनाने का निश्चय किया है।

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित महानगर परिवहन अध्ययन दल ने जो सिफारिशें की हैं, उनके आधार पर रेलों ने कलकत्ता में महानगर रेल परिवहन संगठन की स्थापना की है। इस समय यह संगठन निम्नलिखित दो कामों में लगा हुआ है :—

(i) दमदम से प्रिंसेप घाट तक उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट और विस्तृत अनुमान तैयार करना।

(ii) दो गलियारों के समानान्तर महानगर रेलवे लाइनों से मुक्त व्यापार द्रुत परिवहन प्रणाली का तकनीकी आर्थिक अध्ययन; एक गलियारा पूर्व से पश्चिम सियालदह और हबड़ा के बीच और दूसरा उत्तर से दक्षिण चित्तरंजन एवेन्यू जवाहरलाल नेहरू रोड और आशुतोष मुखर्जी रोड के साथ साथ।

इन अध्ययनों और सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप जो आंकड़े उपलब्ध होंगे, उनके आधार पर ही कलकत्ता नगर में व्यापक परिवहन की सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा सकता है। इसमें मुख्य लाइन के रास्ते और उपनगरीय गाड़ियों द्वारा हबड़ा और सियालदह स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के लिए नगर में अपने गन्तव्य स्थानों पर जाने के लिए अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करने का काम शामिल होगा। नगर में व्यापक परिवहन की सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने से हबड़ा पुल सहित सड़कों और पुलों पर भीड़-भाड़ को कम करने में सहायता मिलेगी।

विलास तथा गैर आवश्यक वस्तुएं तैयार करने में लगे उद्योग

*1002. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने विलास तथा गैर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की सूची बनाई है जिससे इस क्षेत्र में विनियोजन से निरूत्साहित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : **(क) और (ख)** : हाल ही में घोषित नई लाइसेंस नीति ने कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के अधीन रहते हुए औद्योगिक लाइसेन्स से छूट की सीमा 1 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी है। औद्योगिक विकास

की गति तीव्र करने तथा अधिक स्वस्थ प्रतियोगिता का भावना पैदा करने की दृष्टि से ऐसा विचार किया गया है कि लगाये जाने वाले संसाधन सीमान्त स्तरों के बाहर विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं पर नियन्त्रण रखते हुए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से लगाये जाने चाहिए और साथ ही यह भी शर्त रखी गयी है कि बड़े औद्योगिक समूहों तथा विदेशी कम्पनियों व प्रधान उपक्रमों के वर्तमान एककों के विस्तार का काम और नए एककों के खुलने का काम लाइसेन्स द्वारा विनियमित किया जाएगा। फिर भी सरकार यह नहीं चाहती कि ऐसी अनावश्यक व विलास सम्बन्धी वस्तुओं की उत्पादन क्षमता की स्थापना करने में अनुचित रूप से पूँजी लगाई जाए जिनसे दुर्लभ संसाधनों पर काफी बोझा पड़े। नई नीति को लागू करने पर जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर कुछ विलास सम्बन्धी तथा अनावश्यक उद्योगों के वर्गीकरण के प्रश्न पर दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा जिससे लोग इन क्षेत्रों में आगे पूँजी लगाने के लिए निरुत्साहित हों। जहां तक अनावश्यक व विकास सम्बन्धी उद्योगों का सम्बन्ध है जो उद्योग आयातित कच्चे माल या काफी मात्रा तक आयातित पुर्जों पर आधारित हैं। ऐसे मामलों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और लाइसेन्स देते समय उनके बारे में समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

तेल कम्पनियों को तेल वाहक माल डिब्बों का सम्भरण

*1003. **श्री ए० श्रीधरन्** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी और तेल कम्पनियों की महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठानों में तेल वाहक माल डिब्बों की मांग को रेलवे पूरा कर रही है;

(ख) क्या तेल वाहक माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण तेल प्रतिष्ठानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और तेल के सम्भरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि तेल वाहक माल डिब्बों के संभरण में बिलम्ब न हो ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) तेल कम्पनियों की मांग प्रायः सन्तोषजनक रूप से पूरी की जा रही है। देश की पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में वृद्धि की दर में लगभग 9 प्रतिशत की प्रत्याशित वृद्धि की तुलना में चालू व्यस्त मौसम (अक्टूबर, 1969 से 1970 तक) में रेलों पर जो समग्र लदान हुआ, वह पिछले वर्ष के व्यस्त मौसम की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। पेट्रोल, तेल और चिकनाई तेल का वास्तविक लदान इससे भी अधिक हुआ होता लेकिन जुलाई से सितम्बर तक के महीनों की अवधि में मांग का स्तर कम होने के कारण ऐसा न हो सका और इस अवधि में उपलब्ध सभी टंकी माल डिब्बों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया।

(ख) अक्सर सप्लाई के श्रोत में अप्रत्याशित परिवर्तन, मांग में अचानक चढ़ाव-उतार और महीने के महीने क्षेत्रवार आवश्यकताओं में कमी-वेशी के कारण संशोधित आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ विलम्ब हो जाता है क्योंकि मांग के संशोधित स्वरूप के अनुसार टंकी माल डिब्बों को

देश के एक भाग से दूसरे भाग में भेजना-जरूरी हो जाता है फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्रवाई की जाती है कि इस प्रकार के विलम्ब कम से कम हों।

(ग) पेट्रोलियम पदार्थों के संचालन पर बहुत कड़ी और दिन प्रतिदिन निगरानी रखी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय और तेल कम्पनियों के बीच निकट सम्पर्क रखा जाता है कि तेल कंपनियों की आवश्यकताएं सन्तोषजनक रूप से पूरी होती रहें। चूंकि पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई के लिये अलग से माल डिब्बे निर्धारित रहते हैं, इसलिए माल डिब्बों की सप्लाई में अग्रता देने का सवाल नहीं उठता। इसके अलावा पेट्रोलियम को टंकी माल डिब्बों को भेजने के लिए बहुत उच्च अग्रता निर्धारित है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए रूसी ढांचों की सप्लाई

*1006. **श्री रा० बरुआ** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ढांचों का निर्माण करने तथा 75 प्रतिशत बेकार क्षमता के बावजूद बोकारों संयन्त्र के लिए ढांचे रूस से मंगाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन ढांचों के आयात पर कुल कितना खर्च होगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) और (ख) : बोकारो स्टील लिमिटेड सोवियत रूस से केवल ऐसे जटिल संरचनात्मकों का आयात कर रहा है जिनका देश में निर्माण नहीं किया जा सकता। प्रथम चरण के लिये आवश्यक कुल 236,361 टन संरचनात्मकों में से केवल 17,708 टन का आयात किया जा रहा है। कुल लागत लगभग 39 मिलियन रुपये हैं।

Expansion of Paper Mills

*1007. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the Director of the West Coast Paper Mills to the effect that Government would have to face an acute shortage of paper at the end of the Fourth Five Years Plan, as they have not permitted the expansion of the prsent mills ;

(b) the number of applications for the expansion of the Paper Mills, which are at present pending with the Central Government and the dates from which these have been lying pending ; and

(c) the time by which Government propose to take a final decision thereon. ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes Sir.

(b) and (c) Only two applications for licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, for the expansion of existing units are pending since 12.3.1970 and 18.3.1970 respectively. The decision is likely to be taken shortly.

Setting up of Assembly Plants by H. M. T. in Foreign Countries

*1008. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Industrial, Development Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering a scheme for setting up assembly plants of the Hindustan Machine Tools Ltd., in some foreign countries ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which Government propose to implement the said scheme ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri A. Ahmed) : (a) and (d) : Hindustan Machine Tools Ltd., have under consideration a proposal to set up an assembly plant abroad to meet the specific requirement of customers abroad with regard to delivery dates and diverse specifications of machine tools and accessories. Details are being worked out by the Company.

(c) The proposal will be examined by the Government on receipt. It will be implemented by the Company after it has received Government's approval and it is not possible to indicate at this stage when the proposal will be actually implemented.

भावनगर में फास्फोरस संयंत्र की स्थापना

*1009. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर में एक फास्फोरस संयन्त्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस संयन्त्र को कब स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी अन्य देश का सहयोग प्राप्त किया गया है;

(घ) उक्त संयंत्र में उत्पादन कार्य कब आरम्भ हो जायेगा;

(ङ) इस समय संयंत्र का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है; और

संयन्त्र की स्थापना पर कितना खर्च होगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं । हां, भावनगर में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) संयंत्र के आगामी वर्ष के मध्य तक स्थापित हो जाने की आशा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) संयन्त्र में 1971 के अन्त तक उत्पादन होने लगेगा और संयंत्र की क्षमता 5000 मी० टन प्रतिवर्ष होगी ।

(ङ) बताया गया है कि इस परियोजना पर कुल पूंजी परिव्यय एक करोड़ रुपये का होगा, और जिसमें से विदेशी मुद्रा परिव्यय 13.5 लाख रुपये होगा। परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् फासफोरस का आयात करना बन्द हो जायेगा जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष इसके आयात पर खर्च की जा रही लगभग 36 लाख रु० की विदेशी मुद्रा की सीधी बचत होगी।

दुर्गापुर परियोजना द्वारा कच्चे लोहे के कारखानों की स्थापना

*1010. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड द्वारा कच्चे लोहे के कारखानों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावित योजना के लिए वित्तीय सहायता हेतु पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की हैं कि वह वित्तीय सहायता उससे अधिक नहीं दे सकती जितनी के लिए उसने पहले वचन दिया हुआ है और जिसकी योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सहायता के लिए चैकोस्लावाकिया सरकार से बातचीत की थी और उसने इसके लिए आस्थागित भुगतान को स्वीकार कर लिया है, और इसकी अदायगी भारत से उत्पादों के आयात से होगी; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : पश्चिमी बंगाल की सरकार ने ऐसी किसी बातचीत की सूचना भारत सरकार को नहीं दी हैं। वास्तव में विदेशी सरकार के साथ ऐसी बात-चीत केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जाती है।

Setting up of Industries in Backward areas of Madhya Pradesh

*1011. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some entrepreneurs have set up industries in backward areas in Madhya Pradesh on the condition that they could be given concessions in respect of income-tax and other related levies for a period of five years ; and

(b) if so, the complete details about the location and types of industries set up by them ?

The Minister of Industrial Development, internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Having considered the recommendations made by the two Working Groups set up by the Planning Commission—one to recommend the criteria for Identification of Backward Areas and the other to recommend the Fiscal and Financial Incentives for starting industries in Backward Areas Government propose to give an outright grant or subsidy amounting to one-tenth of the total fixed capital investment of new units, having a total fixed capital investment of not more than Rs.50 lakhs each, in two selected districts, of each of the nine States including Madhya Pradesh identified as industrially backward, and one district each of the other States and Union territories. Schemes and projects for new units Involving fixed capital investment of more than Rs.50 lakhs to be established in these selected districts are to be considered on merit. The industrially backward districts in Madhya Pradesh and other States are yet to be identified and the subject is presently under correspondence with the State Governments and the Administrations of the Union Territories. Therefore no industries have yet been set up in the backward districts of Madhya Pradesh taking advantage of the concessions and incentives which are proposed.

(b) Does not arise.

औजार संयंत्र कोटा द्वारा उत्पादन

***1012. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी सहयोग से कार्य कर रहे कोटा स्थित औजार संयंत्र का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या उक्त संयंत्र रासायनिक उद्योग इस्पात परियोजनाओं और ताप बिजली घरों के लिए मशीनों का निर्माण कर रहा है ; और

(ग) चौथी योजना में उद्योग के विकास को देखते हुए इसका क्या योगदान रहेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीनअली अहमद) : (क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा में व्यावसायिक उत्पादन 25 सितम्बर, 1968 को प्रारम्भ हुआ । 1968-69 तथा 1969-70 में उत्पादन का मूल्य क्रमशः 42 लाख रु० तथा 203 लाख रु० (अनन्तिम) बताया गया है ।

(ख) तथा (ग) : इस्पात तथा तापीय बिजली परियोजनाओं की यंत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह संयंत्र इस समय प्रक्रिया नियन्त्रण यंत्रों का निर्माण लगभग "टर्न की" आधार पर कर रहा है । विविधीकरण योजना के अन्तर्गत न्यूमेटिक (वायतीय यन्त्रों) को सम्मिलित कर यह संयंत्र उर्वरक तथा रसायन संयंत्रों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समेकित संयंत्र बन जाएगा ।

तेल बैरल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

***1013. श्री स० मो० बनर्जी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री तेल के बैरल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के बारे में 24 फरवरी, 1970 के तारांकित प्रश्न सं० 44 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 मे इस उद्योग में सभी एककों का सरकार द्वारा निर्धारण किये जाने के पूर्व इन्डस्ट्रियल कन्टेनस लिमिटेड तथा स्टील कन्टेनर्स लि० की क्षमताओं का निर्धारण समय तथा गति (टाइम एण्ड मोशन) अध्ययन पर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षमताओं का निर्धारण किस वर्ष किया गया और उनकी क्षमताओं के निर्धारण के क्या परिणाम निकले थे ; और

(ग) प्राक्कलन समिति ने इन निर्माण कर्ताओं, जिन्होंने गैर कानूनी तथा अनधिकृत रूप से अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं और नई क्षमता का निर्माण किया है, के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश कब की थी और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 में की गई व्यवस्था के अनुसार उनकी क्षमताओं को रद्द करने में सरकार द्वारा असाधारण विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) 85 वीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के बारे में सरकार के विचार अनुमान समिति को भेज दिये गये हैं । इसके बारे में अनुमान समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर आगे कार्यवाही की जाएगी ।

सिकन्दराबाद जाने वाली उपनगरीय रेलगाड़ी के एक डिब्बे में तेलंगाना आन्दोलन कारियों द्वारा आग लगाया जाना

*1014. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 मार्च, 1970 को तेलंगाना आन्दोलनकारियों द्वारा सिकन्दराबाद जाने वाली एक रेलगाड़ी का एक डिब्बा जला दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति जख्मी हुए ; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । यह घटना 15-3-1970 को घटी थी न कि 14-3-1970 को ।

(ख) कोई घायल नहीं हुआ ।

(ग) लगभग 15,000 रुपये ।

रेलवे मन्त्री द्वारा निरीक्षण-दौरा

*1015. **रा० कृ० बिड़ला** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उन्होंने कालका मेल के तीसरे दर्जे के डिब्बे में दिल्ली से गाजियाबाद तक छद्म वेष में यात्रा की थी और तीसरे दर्जे के डिब्बों की स्थिति स्वयं देखी थी और गाजियाबाद स्टेशन का भी निरीक्षण किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने दिल्ली स्थित रेलवे बस्तियों का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका विचार देश के अन्य रेलवे स्टेशनों तथा बस्तियों का छद्म वेष में निरीक्षण करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । यात्रा गाजियाबाद से दिल्ली तक थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) मेरा यही विचार है ।

Need for more Coaches for Third Class passengers

*1016. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the difficulties regarding the accommodation in trains being experienced by the Third Class passengers ;

(b) if so, whether it is proposed to postpone supply of coaches to foreign countries as a temporary measure and augment the composition of each train by attaching at least two additional coaches so that the Third Class passengers could get accommodation in trains and

(c) if not, the reasons thesfor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Sir, we are aware that on some of the trunk routes there is overcrowding in third class on those trains whose timings are generally preferred by travelling public.

(b) Maximum augmentation of the loads of these specific trunk route trains has been effected in accordance with the hauling capacity of the locomotives. Wherever possible, heavier Diesel or electrict loco has been provided to increase the load of train from 13 coaches to 16 coaches. Shortage of section capacity and terminal capacity have also stood in the way of providing additional trains where all the trains of the route are fully occupied.

(c) No order for export of complete coaches have so far been secured.

रेलवे में निम्नतर वर्ग के धन्धों के लिए स्थानीय लोगों की नियुक्ति

*1017. **श्री पी० सी० अदिचन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नतर वर्ग के धन्धों के लिए स्थानीन व्यक्तियों को भर्ती करने की सरकार की सामान्य नीति का रेलवे में भी अनुसरण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे में तथा रेलवे मन्त्रालय के अधीन अन्य उपक्रमों में स्थानीय भर्तियों के लिए किन वर्गों के पद आरक्षित किए जाते हैं ; और

(ग) यदि स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती के लिए स्थान सुरक्षित नहीं किये जाते हैं, तो रेलवे के सम्बन्ध में सामान्य नीति का अनुसरण न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) से (ग) : स्थानीय व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित नहीं किये जाते हैं। फिर भी, जिन कोटियों में वेतनमान 375 रु० से अधिक नहीं हैं, उनमें तीसरे दर्जे के अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती को तथा चौथे दर्जे के कर्मचारियों की भर्ती की क्रियाविधि इस तरह बनायी गयी है, ताकि अधिकांशतः स्थानीय व्यक्ति ही आकर्षित हो सकें। इस उद्देश्य से स्थानीय नियोजन कार्यालयों और सम्बन्धित क्षेत्र में आमतौर पर पढ़े जाने वाले समाचार-पत्रों के जरिये तीसरे दर्जे की कोटियों के ऐसे पदों पर भर्ती के लिए प्रचार किया जाता है। इसी तरह चौथे दर्जे की खाली जगहों का प्रचार स्थानीय रेल कार्यालयों द्वारा किया जाता है और उनके बारे में स्थानीय नियोजन कार्यालयों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति की संस्थाओं को अधिसूचित किया जाता है।

गोवा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस मंजूर के बारे में जांच आयोग द्वारा जांच

*1018. **श्री शिव चंद्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोआ में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस मंजूर करने का विषय भी बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच आयोग के निर्देश पदों में सम्मिलित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

विवरण

18 फरवरी, 1970 की अधिसूचना की प्रति जिसमें उस जांच आयोग के विचारणीय विषय तथा गठन की घोषणा की गई है जो औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित ऐसी अनियमिताओं, त्रुटियों तथा अनुचितताओं की जांच करेगी जिनका प्रयोग कि बड़े-बड़े औद्योगिक समूहों को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है तथा बिड़ला समूह की कम्पनियों के विरुद्ध विशिष्ट आरोपों से है, प्रश्न संख्या 245 दिनांक 24-2-70 के साथ संलग्न की गई थी।

यद्यपि गोआ उर्वरक परियोजना के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने से सम्बन्धित मामला आयोग के विचारणीय विषयों में विशेष रूप से सम्मलित नहीं किया है, आयोग उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिनमें उर्वरक सहित विभिन्न उद्योगों में बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा प्रचुर अंश प्राप्त किया गया था। आयोग को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे अन्य आरोपों अथवा मामलों की जो उसके ध्यान में आयें, विचारणीय विषयों में उल्लिखित मामलों से संबन्धित हों अथवा उनसे उत्पादन होने वाले मामलों की भी जांच करे तथा रिपोर्ट दे।

Production of Auto-Engines for Cycle Rickshaw

*1019. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company**

Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1237 on the 25th November, 1969 regarding Auto-engine Cycle Rickshaw and state :

(a) whether Messrs. Hind Cycles Ltd. Bombay has been granted the necessary licence for producing auto-engines for cycle rickshaw ;

(b) whether it is a fact that scooter and scooter ricshaw producers are putting pressure on Government for discouraging the production of auto-engines for cycle rickshaw in order to avoid the likely adverse effect on the sale of their products and the huge profit being earned by them ; and

(c) if not, whether it is proposed to ask Messrs Hind Cycles Ltd., Bombay to start production at an early date ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Messrs Hind Cycles Ltd., Bombay were permitted in March,1967, to take up the manufacture of gasolene engines for fitment to auto-rickshaws and trollies.

(b) No, Sir.

(c) The firm have already gone into production.

Visit of expert teams to Iraq.

†*1020. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Railways** be **pleased** to state :

(a) whether it is a fact that two expert tea ms were sent by the Railways to Iraq recently ;

(b) if so, the details of the talks held by each of the said teams with the Officers of the Iraq Government ;

(c) the outcome thereof ; and

(d) the amount spent by the Government of India on these tours ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : **(a), (b), (c) and (d)** : Discussions were held in Delhi by the Ministries of Foreign Trade and Railways with an Iraqi Government Delegation in January, 1970, regarding a preliminary feasibility-cum-cost study of a 400 Kms. long railway line from Baghdad to Abu Kemal. As a result of the discussions, it was agreed that the study will be carried out by Indian Railway officials. Accordingly a supervisory team and a field team consisting of 8 officials left for Iraq in the last week of March, 1970. The officials will be in Iraq for varying periods, depending on requirements, up to a maximum of four months for holding discussions with the Iraqi Government officials and carrying out the feasibility-cum-cost study. The outcome of the study will be known after the study is completed. The question of India's participation in the execution of the project will also be considered after the study is completed.

The approximate amount to be spent by the Government of India on the study would be Rs.1.05 lakhs and would include the salaries of the officers and their International passage.

ताड़ी और अवैध शराब पीने के कारण राज्यवार मौतें

6229. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में ताड़ी और अवैध शराब के प्रयोग के कारण राज्यवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) बरामद की गई ताड़ी और अवैध शराब में किन किन जहरीले पदार्थों और रासायनों का पता लगा ;

(ग) ताड़ी और अवैध शराब में जहरीले तत्वों की मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में काजू तैयार करने वाले कारखाने

6230. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काजू तैयार करने वाले कुल कितने कारखाने हैं और गत तीन वर्षों में उक्त कारखानों में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का काजू तैयार किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में आयातित कच्चे काजू की कमी के कारण केरल राज्य में 72 कारखाने बन्द हो गये हैं जिसके परिणाम स्वरूप 34,038 कर्मचारी बेकार हो गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में और कितनी कीमत के कच्चे काजू का आयात किया गया और यह आयात किन किन देशों से किया गया ; और

(ङ) सरकार ने काजू तैयार करने वाले कारखानों को सुचारु ढंग से चलाने के लिए क्या कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत में काजू के कारखानों की अनुमानित संख्या 273 है । विगत तीन वर्षों में तैयार काजू की अनुमानित मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (अनुमानित)	मूल्य (अनुमानित)
1967-68	2,40,000 मी० टन	4,765 लाख रु०
1968-69	2,79,000 मी० टन	6,700 लाख रु०
1969-70 (अप्रैल से फरवरी)	2,05,000 मी० टन	5,630 लाख रु०

(ख) और (ग) : केरल सरकार ने बताया है कि विगत तीन वर्षों में काजू के 72 कारखाने बन्द हो गये और 34,038 कर्मचारी बेरोजगार हैं। काजू उद्योग अपनी आवश्यकता के 70 प्रतिशत से अधिक कच्चे काजू के आयात पर निर्भर करता है और बन्द करने का मुख्य कारण कच्चे काजू के व्यापार के तरीके में बाधा पड़ना है।

(घ) विगत तीन वर्षों में वर्षवार आयात किये गये कच्चे काजू की कुल मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	कच्चे काजू का आयात	
	मात्रा	मूल्य
1967-68	1,68,318 मी० टन	2,508 लाख रु०
1968-69	1,95,528 मी० टन	3,138 लाख रु०
1969-70 (अप्रैल से फरवरी)	1,42,845 मी० टन	2,396 लाख रु०

तंजानिया, मोजंमिबक तथा कीनिया से भारत कमी कच्चे काजू का आयात कर रहा है।

(ङ) काजू कारखाने में तेजी से कार्य हो इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(i) निश्चय किया गया है कि बैंक, कच्चे काजू के आयात के सामान्य रुख को सुनिश्चित करने के लिए, भारत में आयातित कच्चे काजू के शत-प्रतिशत मूल्य का ऋण पत्र दें।

(ii) काजू का आयात कम किया जा सके, इस विचार से काजू के उत्पादन में वृद्धि करने के लए उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करने हेतु विदेश व्यापार मन्त्रालय में संसद की परामर्श समिति की एक उप-समिति बनाई गई है।

बलगेरिया के सहयोग से जींद में चमड़ा साफ करने के कारखाने की स्थापना

6231. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरयाना, जींद में बलगेरिया के सहयोग से चमड़ा साफ करने का कारखाना स्थापित करने के बारे में हुए करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये बलगेरिया से कितनी कीमत और किस प्रकार की मशीनों का आयात करने का प्रस्ताव है ;

(ग) चमड़ा साफ करने के कारखानों की राज्य-वार वर्तमान संख्या कितनी है और उनके नाम क्या है ; और क्या वे पूर्णतया देशी हैं या उनके लिये विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक चमड़ा साफ करने के कारखानों में विदेशी सहयोग कितना कितना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : बलगेरिया के सहयोग से हरियाणा राज्य के जींद में चमड़ा साफ करने का कारखाना (टेनरी) स्थापित करने का जो प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया था, प्रत्यक्षतः वह मंजूरी के काबिल नहीं पाया गया और आवेदक को इसके बारे में सलाह दे दी गई है। संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) 1969-70 की अवधि में तकनीकी विकास के महानिदेशालय के रजिस्टर में दर्ज चमड़ा साफ करने के 59 कारखानों (टेनरी) की राज्यवार संख्या और उनका नाम बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3191/70]** इसमें से दो कारखाने मे० बाटा शू० कं० प्रा० लि० के हैं, जो कि पूर्ण स्वामित्व की है तथा मै० आई० ई० सी० लि० कलकत्ता में 1.25 लाख रु० की ईक्वटी हिस्सेदारी (चुकता पूंजी के 45½ प्रतिशत से अधिक नहीं) का विदेशी सहयोग प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, काफी संख्या में लघु तथा कुटीर चमड़ाशोधन एकक हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

बड़े व्यापार गृहों के कार्यों पर प्रतिबन्ध

6232. **श्री बाबू राव पटेल** : **क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई औद्योगिक लाईसेंस नीति के अन्तर्गत सबसे बड़े 20 व्यापार गृहों के कुछ उद्योगों में भाग लेने और उनकी निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में उन उद्योगों के नाम क्या है जिन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और उन पर इस प्रकार प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या बिना काली सूची में आये कुछ व्यापार गृहों पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति की, भेदभाव बरतने के आधार पर संविधान के विरुद्ध समझा जायेगा ; और

(घ) उक्त नीति कितनी अवधि तक लागू रहेगी और इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : हाल ही में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार ऐसे उपक्रमों को, जो ऐसे 20 बड़े औद्योगिक समूहों से संबंधित अथवा नियंत्रित हैं जिनका वर्गीकरण उस रूप में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में किया गया है, तथा विदेशी फर्मों से पर्याप्त विस्तार के लिये अथवा नए उपक्रम की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा और इसमें लगायी जाने वाली पूंजी की मात्रा का विचार नहीं किया जायेगा जबकि इन वर्गों में न आने वाले दूसरे एककों को 1 करोड़ रुपये पूंजी विनियोजन तक कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने से मुक्त कर दिया गया है।

ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को, जो 20 बड़े औद्योगिक समूहों से संबंधित अथवा नियंत्रित हैं और जिनकी सूची औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 2 'क' (1) में दी गई है, लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

बड़े-बड़े औद्योगिक समूहों तथा विदेशी फर्मों से आशा की जाती है कि वे अन्य आवेदकों के साथ भारी विनियोजन वाले तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना में भाग लेंगे अथवा पूंजी लगायेंगे जबकि अन्य क्षेत्रों में और ऐसे अवसर मुख्यतः दूसरे वर्ग के उद्यमियों के लिये छोड़ देंगे। महत्वपूर्ण तथा भारी विनियोजन वाले क्षेत्रों के इतर क्षेत्र में बड़े औद्योगिक समूहों से संबंधित अथवा नियंत्रित उपक्रमों तथा विदेशी कम्पनियों से सामान्य विस्तार के लिये प्राप्त लाइसेंस आवेदनों पर उन मामलों में विचार किया जाएगा जहां इस विस्तार से न्यूनतम आर्थिक स्तर विकसित होता हो और कम लागत से कुशलता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे क्षेत्रों में दूसरे उपक्रमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और उन्हें उदारता पूर्वक लाइसेंस जारी किये जायेंगे।

ये उपाय मुख्यतः आर्थिक सत्ता को कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के विचार से किये गये हैं और इनसे उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध नियंत्रण तथा उद्यमियों के लिए अधिक विस्तृत आधार भी सुनिश्चित हो सकेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह नीति तब तक लागू रहेगी जब तक इसे विशिष्ट रूप से बदला या संशोधित नहीं किया जाता। इस संबंध में अभी कोई विशिष्ट अवधि का उल्लेख करना संभव नहीं होगा।

राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास

6233. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में जो एक पिछड़ा राज्य है, लघु उद्योगों के विकास के लिये कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत सरकार राज्यों में लघु उद्योगों के विकास के लिये कोई विशिष्ट योजनाएँ तैयार नहीं करती क्योंकि यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

(ख) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा (राज्य उद्योग निदेशालय के सहयोग से) अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, झालावाड़, झिमाईलेर नगर, पाली बुलवाड़ा, सेलसर, श्रीगंगानगर और उदयपुर में औद्योगिक सर्वेक्षण किये गए हैं।

इन सर्वेक्षणों के आधार पर फल परिक्षरण, कृषि उपकरणों, सिले सिलाये वस्त्रों, होजरी, चमड़ा कमाने और जूते बनाने, ऊनी गलीचे और संश्लिष्ट पशु चारे के लिये लघु उद्योग स्थापित करने की संम्भावना का सुझाव दिया गया है।

Decline in the Sale of Goods due to taxation

6234. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Copmpany Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sale of goods on which excise duty was increased in the budget proposal this year has declined ; and

(b) if so, the details of the said goods ?

The Minister of Industriesl Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) The sale of goods is affected not only by the increase or decrease in the excise duty but also due to certain other factors, such as, stock, position in the markets, seasonality of demands, price levels etc. There is no definite evidence to show that the sale of any particular goods has declined only due to increase in excise duty.

दिल्ली और रिवाड़ी के बीच रेलगाड़ियों के चलने में हस्तक्षेप करने का बिना टिकट यात्रा करने की घटनाओं में वृद्धि

*6235. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और रिवाड़ी के बीच चलने वाली गाड़ियों में सार्वजनिक हस्तक्षेप और बिना टिकट यात्रा करने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने के प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस प्रकार हस्तक्षेप करने और बिना टिकट यात्रा की घटनाओं को रोकने के लिए समय-समय पर कड़ी जांच की जाती है ।

रेलवे कार्यालयों में संगणकों और स्वचलित मशीनों के प्रयोग पर रेलवे मजदूर संघों की प्रतिक्रिया

6236. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कार्यालयों में संगणकों और स्वचलित मशीनें मान्यता प्राप्त मजदूर संघों की सलाह से लगाई गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनों ही रेलवे मजदूरों संघों ने इसके प्रयोग के लिए सहमति दी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) **और (ग)** : आल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन स्वचालित मशीनें लगाने के विरुद्ध था । लेकिन नेशनल फेडरेशन आफ इन्डियन रेलवेमैन ने अपना विचार प्रकट नहीं किया ।

आदिवासी विकास खंडों के लिये निधि

6237. **श्री ज० मं० काहनडोल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी विकास खंडों पर खर्च करने के लिये सरकार के पास धन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क), (ख) तथा (ग) : योजनात्मक नमूने के अनुसार वित्तीय आवंटन कर दिए गए हैं ।

मध्य रेलवे में मनमाड से मालेगांव तक बड़ी लाइन

6238. **श्री ज० मं० काहनडोल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोग गत कई वर्षों से मध्य रेलवे में नासिक जिले में मनमाड और मालेगांव के बीच बड़ी लाइन बिछाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासन ने जनता की इस मांग के बारे में जांच की है ;

(ग) उक्त परियोजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(घ) उक्त परियोजना पर कब से काम आरम्भ हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क), (ख), (ग) और (घ) : मालेगांव के रास्ते मनमाड से नरघना तक एक नयी रेलवे लाइन बनाने के लिए 1946-47 में इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण किये गये थे । इन सर्वेक्षणों से पता चला कि यह लाइन वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगी । इसलिए इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया । इस समय इस लाइन के बनाने में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इसके लाभप्रद होने की सम्भावना नहीं है । धन की कमी के कारण इस लाइन के निर्माण के बारे में फिलहाल विचार करना सम्भव नहीं है ।

सरकारी कोटे से स्कूटर

6239. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री सरकारी कोटे से स्कूटरों के बारे में 2 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2213 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्कूटरों के केन्द्रीय कोटे का पुनर्निचलन करने के बारे में पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1969 में सामान्य तारीख और बढ़ाई गई अवधि की अंतिम तारीख को आवेदन-पत्र देने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए कब तक स्कूटर दिये जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं; तो केन्द्रीय कोटे के पुनर्नियतन के बारे में पुनरीक्षण करने में कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जिन्होंने फरवरी, 1969 के अन्त तक तथा 30 अप्रैल, 1969 को बढ़ाई गई अवधि तक आवेदन दे दिये हैं उनको स्कूटरों के आंवटन किये जाने की अनुमानित अवधि नीचे दी गई है :—

सूची सं०	वर्ग	प्रतीक्षा की अनुमानित अवधि			
		वेस्पा		लम्ब्रेटा	+- प्राप्त
		28-2-69 तक प्राप्त आवेदन	मार्च-अप्रैल 1969 में प्राप्त आवेदन	28-2-69 तक प्राप्त आवेदन	मार्च-अप्रैल-69 में आवेदन
1	2	(क)	(ख)	(क)	(ख)
1.	अधिकारी जो 900 रु० प्रति मास तथा उससे अधिक वेतन ले रहे हैं।	$1\frac{1}{4}$ वर्ष	$1\frac{1}{2}$ वर्ष	1969 की अवधि में प्राप्त सभी आवेदन इसमें आ गए हैं।	
2.	प्रशासक अधिकारी (इक्जीक्यूटिव आफीसर्स) जो 500 रु० और 899 के बीच वेतन ले रहे हैं।	$1\frac{3}{4}$ वर्ष	$2\frac{1}{4}$ वर्ष	$\frac{1}{4}$ वर्ष	$\frac{1}{2}$ वर्ष
3.	गैर इक्जीक्यूटिव जो 500 रु० तथा 899 रु० के बीच वेतन ले रहे हैं।	$2\frac{3}{4}$ वर्ष	$3\frac{1}{2}$ वर्ष	1 वर्ष	1 वर्ष
4.	इक्जीक्यूटिव आफीसर्स जो 300 रु० और 499 रु० के बीच वेतन ले रहे हैं।	3 वर्ष	5 वर्ष	$\frac{1}{2}$ वर्ष	1 वर्ष
5.	संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के साथ सम्बद्ध निजी सहायक।	$\frac{3}{4}$ वर्ष	$1\frac{1}{4}$ वर्ष	$\frac{1}{4}$ वर्ष	$\frac{1}{2}$ वर्ष
6.	चिकित्सक	$\frac{1}{2}$ वर्ष	$\frac{3}{4}$ वर्ष	$\frac{1}{2}$ वर्ष	$\frac{3}{4}$ वर्ष
7.	गैर-इक्जीक्यूटिव आफीसर्स जो 350 रु० और 499 रु० के बीच वेतन ले रहे हैं।	$5\frac{1}{2}$ वर्ष	6 वर्ष	$1\frac{1}{2}$ वर्ष	$2\frac{1}{4}$ वर्ष

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा धन का दुर्विनियोजन

6240. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के धन का उसके मैनेजिंग एजेंटों द्वारा अपने-अपने एक मात्र बिक्री एजेंट और अपने निकटतम सम्बन्धियों के हितों के कमीशन या पारिश्रमिक की भारी राशि के रूप में कथित दुर्विनियोजन करने जिसके परिणामस्वरूप, उनके उत्पादों को बाजार में अच्छी बिक्री होने के बावजूद लाभ में कमी और हानि हुई है, के बारे में समवाय-कार्य विभाग ने जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में जांच कार्य कब किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 235 अथवा 237 (ख) के अन्तर्गत, बंगाल पोटरीज लिमिटेड कलकत्ता के कार्य-कलापों की बाबत कोई जांच-पड़ताल आदेश अभी तक नहीं दिये गये हैं, तथा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है । तथापि इन आरोपों की बाबत सूचना संग्रह की जा रही है ।

मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के अंशधारियों से कुप्रबन्ध और शोषण के बारे में शिकायतें

6241. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय-कार्य विभाग को मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के अंशधारियों से कुप्रबन्ध और शोषण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ।

(ख) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के वार्षिक लेखे

6242. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय-कार्य विभाग का ध्यान मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता की

30 जून, 1961 को समाप्त होने वाली अवधि के नवीनतम संतुलन पत्र और लेखा-विवरण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या कम्पनी के सन्तुलन पत्र में भारी घाटा दिखाया गया है और इस बात के बावजूद कि कम्पनी की वस्तुओं की बाजार में अब मांग है व्यक्तिगत खर्चों और मैनेजिंग एजेन्टों के कमीशन और पारिश्रमिक में वृद्धि दिखायी गयी है ; और

(ग) उक्त कम्पनी के अंशधारियों के हितों को रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

6243. **श्री चंद्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बंगाल पोटरीज, लिमिटेड, कलकत्ता में अप्रैल, 1970 में मैनेजिंग प्रणाली समाप्त करने के बाद, श्री जी० के० भगत को 3 अप्रैल, 1970 से उक्त कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के बारे में मंजूरी देने के लिये समवाय-कार्य विभाग को कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी ने वेतन तथा धन के रूप में अन्य क्या सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ग) सरकार ने इसकी मंजूरी किन शर्तों पर दी है और उपर्युक्त व्यक्ति को कितना वेतन दिया जायेगा तथा धन के रूप से क्या सुविधाएं दी जायेगी ; और

(घ) क्या इस तथ्य पर विचार किया गया है कि इस प्रकार की छोटी कम्पनी द्वारा इतना अधिक वेतन और अन्य इतनी अधिक सुविधाएं दिये जाने से उक्त कम्पनी के अंशधारियों के हितों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कम्पनी ने, श्री जी० के० भगत को, 7,500 रु० प्र० मा० के वेतन सहित, पारिश्रमिक, उसके द्वारा दी गई ऋण गारन्टी पर 1/2 प्र० श० गारन्टी कमीशन, वेतन के 25 प्र० श० तक भविष्य निधि व अधिवर्ष निधि; प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिये 1/2 मास के वेतन की दर से उपदान, सुसज्जित निवास गृह, कम्पनी के परिवहन का प्रयोग, प्रत्येक तीन वर्ष के लिये 15,000 रु० की अधिकतम सीमा की शर्त पर चिकित्सा सुविधायें, प्रत्येक वर्ष एक मास का अवकाश, टेलीफोन,

व्यक्तिगत आकस्मिक बीमा, बैठक शुल्क, अवकाश यात्रा समनुदान मनोरंजन व्यय तथा दो क्लबों की सदस्यता, देने का प्रस्ताव किया है ।

(ग) तथा (घ) : यह प्रस्ताव अभी परीक्षान्तर्गत है ।

वेस्पा स्कूटर के मूल्य ढांचे की जांच

6244. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) 1969-70 पर हुए वाद विवाद का 20 दिसम्बर 1969 को उत्तर देते हुए दिये गये आश्वासन के अनुसरण में वेस्पा स्कूटरों के मूल्य ढांचे के प्रश्न पर इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां; तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि इस मामले में कोई जांच नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : ये शिकायतें प्राप्त होने पर कि वेस्पा स्कूटर के निर्याता ग्राहकों से कुछ वस्तुओं जैसे केन्द्रीय बिक्री कर, मार्गस्थ जोखिम बीमा, पैक करने तथा पहुंचाने के खर्चे, फालतू पहिया, पीछे की सीट, पांव टेकने की पट्टी इत्यादि के अधिक मूल्य लेते हैं, सरकार ने वित्त मंत्रालय में लागत मूल्य अनुभाग के परामर्श से इन वेस्पा स्कूटर की इन वस्तुओं के लागत मूल्य की जांच की थी । लागत मूल्य की जांच से पता चला कि निर्माता केन्द्रीय बिक्री कर राज्य बिक्री कर; चुंगी, भाड़ा, प्लास्टिक की बोतल तथा टायर सहित फालतू पहिये का अधिक मूल्य नहीं ले रहे थे किन्तु पीछे की सीट, पांव टेकने की पट्टी, पेकिंग तथा भेजने के खर्चे अधिक लिये जा रहे हैं । 1967-68; 1968-69 के वर्षों में मार्गस्थ जोखिम बीमें के नाम ग्राहकों से वसूल की गई राशि बीमा कम्पनियों के दिये गये वास्तविक प्रीमियम से थोड़ी अधिक थी । अत: निर्माताओं की पांव टेकने की पट्टी तथा पीछे की सीट के मूल्य को घटाने तथा पेकिंग और भेजने के खर्चे को प्रति स्कूटर 39 रुपये कम करने के लिये कहा गया है । उन्हें मार्गस्थ जोखिम बीमे के नाम पर ग्राहकों से ली जा रही राशि में भी उपरोक्त दो वर्षों में अधिक ली गयी राशि को ध्यान में रखते हुए 6 रुपये प्रति स्कूटर की कमी करने को कहा गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Participants from Andaman and Nicobar Islands in International Youth Festival

6245. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to State :

(a) whether Government would look into the matter that Smt. Veena Chaubal was one of the participants from the Andaman and Nicobar Islands in an International Youth

Festival and that she is the wife of an officer having no connection with the Education Department ;

(b) whether it is a fact that the Education Department has borne full expenditure in respect of her and, if so, the total expenditure incurred on this account ;

(c) whether it is also a fact that she was issued a Railway ticket to travel from Delhi to Howrah by the Rajdhani Express, whereas other boys and students were asked to travel by other trains ; and

(d) in case she accompanied the students on their forward journey, the reasons for not accompanying them on their return journey, and the action Government propose to take in this matter ?

The Minister of State in the Deapartment of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Smt. Veena Chuabal was deputed by the Anadaman and Nicobar Islands State Social Welfare Advisory Board to attend the International Children's Fair held during October-November, 1969, at New Delhi.

(b) No, Sir.

(c) Smt. Chaubal travelled by Rajdhani Express due to non-avaialability of suitable accommodation in the particular train by which the other boys and students participating in the Fair travelled from Delhi to Howrah.

(d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

रासायनिक संयंत्रों के लिए यंत्र तथा उपकरण बनाने के हेतु सहायता देने के सम्बन्ध में रूस के साथ करार

6246. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **डा० सुशीला नैयर :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रासायनिक कारखानों के लिये यंत्र तथा उपकरणों का निर्माण करने हेतु सहायता देने के लिये मार्च, 1970 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में भारत सरकार और रूस के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख): रूस के इन्स्ट्रूमेंटेशन मंत्रालय के उप-मंत्री की अध्यक्षता में रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने फरवरी-मार्च, 1970 में इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा को देखा तथा संयंत्र की प्रगति, उसकी आर्थिक स्थिति तथा अग्रेतर विकास की भावी योजना की संवीक्षा की । विचार-विमर्श के पश्चात् 6 मार्च, 1970 को नई दिल्ली में एक संलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं । संलेख के अनुसार संयंत्र में उपलब्ध उत्पादन क्षमता के लिए पर्याप्त कार्य की व्यवस्था करने और उर्वरक तथा रसायनिक उद्योगों के उत्पादों की विविध परास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूस ने कोटा संयंत्र में तैयार किए जाने वाले नए किस्म के वायवीय उपकरणों, कार्यकारी खण्डों ट्रांसमीटरों तथा

नियंत्रकों को देने की बात अपने संलेख में स्वीकार कर ली है। रूस के संयंत्रों में भारतीय विशेषज्ञों को रूपांकन प्रलेख तथा प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं और रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के बारे में कोटा संयंत्र के प्रबन्धकों एवं रूसी प्राधिकारियों के मध्य आपसी सहमति से तय होगी।

Increase in Price of Articles after Announcement of Budget proposal for 1970-71

6247. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri P. L. Barupal :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that immediately after the announcement of Budget for 1970-71 in Parliament, the Vanaspati ghee dealers withheld their stocks ;

(b) whether it is also a fact that the prices of other eatable articles have also been increased in the same way ; and

(c) if so, the action taken by Government against the dealers who have increased the prices of eatable articles before the Finance Bill was passed in Parliament ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Government have no information regarding withholding of the stocks by the dealers.

(b) A statement showing Index Number of Wholesale Prices in respect of some eatable articles for the weeks ending 21st February, 1970 to 21st March, 1970 is attached.

(c) The Government is watching and will take such action as may be considered necessary.

Statement

(Base 1961-62 = 001

Serial no.	Articles	21-2-70	28-2-70	7-3-'70	14-3-'70	21-3-'70
1.	Rice	191.1	191.1	191.3	192.2	191.9
2.	Wheat	228.7	229.7	236.2	237.5	229.8
3.	Gram	286.4	289.7	294.4	298.0	293.1
4.	Pulses	243.9	245.6	251.2	256.4	254.8
5.	Milk	202.2	200.5	211.3	210.6	212.3
6.	Edible Oils	214.5	216.6	222.5	217.4	224.6
7.	Banaspati	177.8	178.5	183.7	183.7	188.0
8.	Eggs	149.4	146.7	146.0	147.7	147.7
9.	Fish	273.8	266.3	266.7	284.5	274.3
10.	Meat	175.7	179.8	184.4	184.4	179.8
11.	Sugar	157.8	157.8	153.8	153.8	153.8
12.	Khandasari	167.7	167.2	169.5	169.5	169.9

Source : Office of the Economic Adviser.

हाबड़ा-खड़गपुर सेक्शन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर रेल सेवा अस्त-व्यस्त हो जाना

6248. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मार्च, 1970 की यात्रियों द्वारा रेलवे गार्ड पर आक्रमण किये जाने के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे के हाबड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर रेल सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या शरारती व्यक्तियों की विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो क्या और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) इस खण्ड पर सभी गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल और पुलिस के सशस्त्र रक्षक साथ चलते हैं।

(ii) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गयी है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में रात की महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों से मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था और प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में सशस्त्र गश्त और विशेष शिविर स्थापित करने की है।

(iii) पश्चिम बंगाल की रेलवे पुलिस के प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल की सहायता भी दी गयी है।

(iv) रेल सम्पत्ति की हिफाजत के लिए यार्डों अथवा स्टेशन प्लेटफार्मों पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को कड़ी हिदायतें दी गयी हैं कि वे अपराध-स्थल पर तुरन्त पहुंचकर आक्रान्त व्यक्तियों की यथा सम्भव सहायता किया करें।

(v) रेलें, अपनी ओर से, ऐसी सभी घटनाओं पर राज्य सरकारों/राज्य पुलिस प्राधिकारियों का तुरन्त ध्यान दिलाती हैं ताकि अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने और फिर से सामान्य स्थिति कायम करने के लिए वे यथासमय हस्तक्षेप कर सकें। समय-समय पर जब आवश्यक होता है तो गृह मंत्रालय को भी स्थिति से अवगत कराया जाता है। रेल प्रशासन यात्रियों की समुचित मांग पूरी करने का भी भरसक प्रयास करते हैं।

(vi) समाचार-पत्रों और प्रचार के अन्य साधनों के जरिये भी रेलवे का दृष्टिकोण समझाया जाता है और दैनिक यात्रियों तथा समाज के अन्य सदस्यों में से समझदार लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(ग) इस घटना पर, खड़गपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143/342/307/379 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है।

Increase in Membership of State Legislative Councils

*6249. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Dhandapani** :
Shri N. R. Laskar : **Shri Sitaram Kesri** :
Shri Chengalraya Naidu : **Shri Gadilingana Gowd** :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some States have requested for increasing the membership of their respective State Legislative Councils ; and

(b) if so, the names of these States and the decision taken by Government in that regard ?

The Deputy Minister of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Governments of Maharashtra and Tamil Nadu requested for increasing the membership of their respective State Legislative Councils.

It has been decided not to go ahead with the proposal at present.

Setting up of Industrial Information Centre in India

6250. **Shri Shiv Kumar Shastri** : **Shri Atam Das** :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the United Nations Industrial Development Organisation is prepared to extend co-operation or setting up Industrial Information Centres in India ;

(b) whether it is also a fact that capacity ; and efficiency of Indian trade are likely to increase considderably thereby and

(c) if so, the places where these centres would be set up and the manner in which the Indian industry is likely to undergo changes there by ?

The Minister of Industrial Development; Internal Trade and Company Affairs (Shri Farkhruddin Ali Ahmed) : (a) In the forecast of new projects for 1971 the United Nations Industrial Development Organisation have made a provision for technical assistance in the field of industrial information and documentation for Asia and the Far East. This is, however, not specifically meant for India nor has India made any approach to the UNIDO in this regard.

(b) and (c) Do not arise.

Indo-U. S. S. R. Agreement on Forest Wealth of Jammu And Kashmir

6251. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Comyany Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the agreement concluded between India and Russia in respect of exploitation of forest wealth of Jammu and Kashmir through modern technique ; and

(b) whether Government are also considering the question of concluding such agreements in respect of forest wealth of other parts of the country ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) A team of Russian Experts visited India during November and December, 1969 for outlining the prospects of forest explotation in the State of Jammu and Kashmir by preparing a detailed plan for mechanised logging and transport of timber for supply for industrial uses including the manufacture of pulp and Paper. A payment of Rs.72,000 was made to Soviet authorities on this account.

(b) Not at present sir.

गुजरात में मूंगफली के तेल की मिलों का राष्ट्रीयकरण

6253. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार को मूंगफली के तेल की मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार को सलाह देने से पूर्व कानूनी विशेषज्ञों की राय ली गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस कानूनी सलाह की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Construction of Houses for Harijans in Bihar

6254. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of houses constructed by the Government in Bihar for Harijans and Landless people is negligible as compared to that in the other States :

(b) if so, the number of houses proposed to be constructed by the Government in Bihar for Harijans and landless people during the current financial year and during the Fourth Plan period and the progress made so far in this regard ;

(c) whether Government propose to implement some scheme in this regard at block-level ; and

(d) if so, the time by which and the manner in which the said scheme is proposed to be implemented ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) to (d) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as available.

Declaration of Garhwal Area as backward area and Prohibition in that Area

6255. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 216 on the 18th Novem-

ber, 1969 regarding the declaration of Garhwal Area as backward area and prohibition in that area, and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the State Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Ministrer of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government of Uttar Pradesh has recently decided to introduce total prohibition in Pauri Garhwal and Tehri Garhwal districts with effect from 1st April, 1970. The Pauri Garhwal is among the more backward hill districts in the State.

(c) Does not arise.

विभिन्न रेलवे के विरुद्ध न्यायालयों में दायर किये गये दावे

6256. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण : **श्री जय सिंह :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में क्षतिपूर्ति के लिये विभिन्न रेलवे के विरुद्ध न्यायालयों में कितने दावे दायर किये गये हैं;

(ख) कितने दावों में रेलवे के पक्ष में तथा कितने दावों में रेलवे के विरुद्ध निर्णय किये गये;

(ग) रेलवे द्वारा मुआवजों के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कितनी क्षति हुई और कितनी हानि प्रासंगिक थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) क्षतिपूर्ति के दावों के सम्बन्ध में रेलों के विरुद्ध किये गये मुकदमों की संख्या :–

रेलवे	1967-68	1968-69	1969-70 (31-12-69 तक)
1	2	3	4
मध्य	2,787	2,386	2,164
पूर्व	2,474	3,244	2,667
उत्तर	2,490	2,310	1,885
पूर्वोत्तर	1,794	1,867	1,374
पूर्वोत्तर सीमा	1,214	1,363	996
दक्षिण	991	1,407	1,183
दक्षिण मध्य	397	545	496
दक्षिण पूर्व	2,421	2,464	1,674
पश्चिम	1,449	1,982	1,477
जोड़	16,017	17,568	13,916

(क) (i) जिन मुकदमों का फैसला रेलों के पक्ष में हुआ उनकी संख्या

रेलवे	1967-68	1968-69	1969-70 (31-12-1969 तक)
1	2	3	4
मध्य	218	229	85
पूर्व	351	217	93
उत्तर	590	654	184
पूर्वोत्तर	143	134	99
पूर्वोत्तर सीमा	284	237	165
दक्षिण	170	152	144
दक्षिण मध्य	170	15	33
दक्षिण पूर्व	539	486	429
पश्चिम	254	359	112
जोड़	2,719	2,483	1,344

(ख) (ii) जिन मुकदमों में रेलों के विरुद्ध डिगरी दी गयी उनकी संख्या

रेलवे	1967-68	1968-69	1969-70 (31-12-1969 तक)
मध्य	151	120	69
पूर्व	338	636	427
उत्तर	273	273	233
पूर्वोत्तर	519	316	273
पूर्वोत्तर सीमा	716	533	425
दक्षिण	75	142	107
दक्षिण मध्य	83	92	53
दक्षिण पूर्व	605	625	424
पश्चिम	230	208	192
जोड़	2,990	2,945	2,203

(ग) (iii) न्यायालयों द्वारा दी गयी डिगरियों के अनुसार रेलों द्वारा क्षति के रूप में दी गयी रकम

रेलवे	1967-68 रु०	1968-69 रु०	1969-70 रु० (31-12 1969 तक)
1	2	3	4
मध्य	14,12,910	14,32,765	9,64,994
पूर्व	10,90,645	13,58,415	9,11,319

1	2	3	4
उत्तर	7,35,487	9,50,837	8,84,117
पूर्वोत्तर	4,96,475	5,95,191	8,58,662
पूर्वोत्तर सीमा	9,22,420	8,46,077	6,40,721
दक्षिण	4,06,832	4,65,261	4,64,119
दक्षिण मध्य	2,52,392	3,38,727	3,39,633
दक्षिण पूर्व	11,71,948	13,01,486	8,26,704
पश्चिम	6,83,702	6,46,300	7,45,894
जोड़	71,72,811	79,35,059	66,36,163

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Payment of Arrears to Upgraded Head Signallers

(Northern Railway)

*6257. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether it is a fact that consequent to upgrading the post of ten Head Signallers vide Order No. 754 E/171/Farth/E.I.B.) dated the 12th May, 1966, of the General Manager (P.) Northern Railway Headquaters, New Delhi, an order has been issued for paying the arrears of pay since the 1st April, 1957 ;

(b) if so, whether the arrears in the case of the upgraded Head Signallers in Moradabad, Delhi, Ferozepore, Lucknow and Allahabad Divisions have been paid ; and

(c) if not, the reasons therefor and for the delay in this respect ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : **(a) to (c)** : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Transfer of Class I and Class II Officers posted at Gorakhpur

(North Eastern Railway)

6258. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Class I and Class II Gazetted Officers, Section-wise, in Gorakhpur, (North Eastern Railway) ;

(b) the names of the Officers out of them who have been working in the same place for a period of more than three years ; and

(c) the reasons for not transferring them in spite of the orders of the Ministry of Home Affairs ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Posting of Guards 'A' Grade at Gorakhpur (North eastern Railway)

*6259. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Gorakhpur has become the headquartes of Grade 'A' Guards after the introduction of Divisionalizaton system in the North Eastern Railways ; and

(b) if so, the reasons for not posting the said Guards to Gorakhpur so far ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

लुधियाना-चण्डीगढ़ जगाधरी रेलवें लाइन के लिये सर्वेक्षण

6260. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना-चण्डीगढ़-जगाधरी रेलवे लाइन के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँची है कि वह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद लाइन नहीं होगी; और

(ग) क्या चण्डीगढ़ से होकर नई रेलवे लाइन निकालने की कोई अन्य योजना सरकार के समक्ष है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : 1957-58 में यातायात सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता चला कि लुधियाना-चण्डीगढ़-जगाधरी लाइन वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगी ।

(ग) जी नहीं ।

हरदा स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर प्रतीक्षालय में टिकट कलेक्टर द्वारा एक महिला के साथ कथित बलात्कार

6261. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **रेलव** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हरदा स्टेशन पर प्रतीक्षालय में एक युवती स्त्री के साथ जिस रेलवे टिकट कलेक्टर ने बलात्कार किया उसका नाम, वेतन तथा वरिष्ठता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हरदा वासियों ने इस घटना के विरोध में हड़ताल की थी;

(ग) यह घटना कैसे हुई और इस टिकट कलेक्टर के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 तथा 376 के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिये इस व्यक्ति को सीधे पुलिस के सुपुर्द न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जायेगी और यदि हां, तो कब ?

रेल मन्त्री (श्रीनन्दा) :

(क) नाम — श्री रियाज़ खां
वेतन — 110 रु० प्रति मास
नियुक्ति की तारीख 5-7-1967

(ख) जी हां ।

(ग) 28-2-1970 को एक महिला यात्री, जो 5 डाउन पंजाब मेल से अकेली यात्रा कर रही थी गन्तव्य स्थान से आगे चली गयी और हरदा में गाड़ी से उतार दी गयी । वह 19.00 से 07.00 बजे की पारी में ड्यूटी पर तैनात श्री रियाज खां टिकट कलेक्टर द्वारा महिला प्रतीक्षालय में लायी गयी । लगभग 05.30 बजे महिला प्रतीक्षालय से चिल्लाने की आवाज सुनकर सहायक स्टेशन मास्टर और अन्य दो व्यक्ति घटनास्थल की ओर दौड़े और उपर्युक्त महिला स्नानघर में पायी गयी । पूछने पर उसने बताया कि उपर्युक्त नाम वाले टिकट कलेक्टर ने उसके साथ बलात्कार किया और वह टिकट कलेक्टर भी सामान्य प्रतीक्षालय के स्नानघर में पाया गया ।

(घ), (ङ) और (च) सरकारी रेलवे पुलिस, हरदा ने 28-2-70 को टिकट कलक्टर के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत अपराध दर्ज किया और उसे उसी दिन गिरफ्तार किया । रेल अधिकारियों द्वारा टिकट कलेक्टर मुअत्तिल भी कर दिया गया ।

विदेशी सहयोग कर्ताओं द्वारा परामर्शदात्री सेवा पर जोर दिया जाना

6262. **श्री सूरज भान :**
श्री शारदा नन्द : **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में विदेशी सहयोग कर्ता अपनी परामर्शदात्री सेवा के लिये विदेशी डिजायनों पर जोर देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी सहयोग-कर्त्ताओं के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार विदेशी परामर्शदातृ सेवा के लिये सहमत हुई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : विदेशी करार के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली तकनालोजीकल जानकारी विदेशी सहयोगी द्वारा प्रयुक्त नमूने तथा प्रक्रियाओं पर आधारित होती है और यदि वह निर्माता एकक न हो तो उस द्वारा विकसित नमूने के आधार पर होती है । कई परियोजनाओं में तो, इस प्रकार प्राप्त की गई प्रक्रिया तथा निर्माण सम्बन्धी जानकारी के अतिरिक्त विदेशों से इंजीनियरी परामर्श सेवाएं भी प्राप्त करनी पड़ती है । इस विषय पर सरकार की नीति यह है कि देश में उपलब्ध इंजीनियरी परामर्शदात्री सेवाओं का पूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए और विदेशी परामर्शदात्री सेवाओं को उस क्षेत्र के लिये प्राप्त किया जाना चाहिए जिसमें ये उचित तथा पर्याप्त रूप से उपलब्ध न हों । विदेशी

सहयोग का ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर जिसमें विदेशी परामर्शदात्री सेवाएं प्राप्त करना निहित हो, इस आशय से ध्यान पूर्वक विचार किया जाता है कि एसी इंजीनियरी सेवाओं के आयात को, जो कि देश में सन्तोषजनक ढंग से देश में ही प्राप्त हो सकती हो, रोका जाये। देश के इंजीनियरी परामर्शदाता एककों को पूर्ण कार्य क्षेत्र प्रस्तुत करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि ऐसे क्षेत्रों में भी ऐसी सुविधाएं देश में उपलब्ध न हो उनमें भी देशी परामर्शदाता एक को प्रारम्भ से ही इस परियोजना में विदेशी सहयोगियों के साथ साथ रखा जाये। चूंकि बहुत से विदेशी करारों में परामर्शदात्री सुविधा तकनीकी जानकारी के अन्तर्गत ही दी जाती है और उन्हें विदेशी तकनीकी जानकारी के करार से पृथक नहीं किया जा सकता सिवाय उन मामलों में जब कि विदेशी परामर्शदाता संगठन को विशिष्ट रूप से रखा जाना हो इसलिये ऐसे सभी मामलों की जानकारी उपलब्ध नहीं है जिनमें विदेशी परामर्शदाता सेवाओं की अनुमति दी गई।

नैमित्तिक श्रमिकों को भारतीय रेलवे में स्थायी रूप से लगाना

6263. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोनल रेलवे में ऐसे नैमित्तिक श्रमिक कितने हैं जिन्होंने 5 वर्ष अथवा इससे अधिक निरन्तर सेवा पूरी कर ली हैं;

(ख) क्या समलकोट (दक्षिण-मध्य रेलवे) में नियुक्त ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) क्या ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को जिन्होंने 5 वर्ष और इससे अधिक निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, सब लाभों सहित महीने के आधार पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) : एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3192/70]**

(ख) जी हां

(ग) पहले से इस आशय की हिदायतें मौजूद हैं कि जिन नैमित्तिक मजदूरों ने परियोजनाओं से भिन्न अन्य निर्माणकार्यों पर छः महीने तक लगातार काम किया है, उन्हें अस्थायी हैसियत दी जानी चाहिए। अस्थायी हैसियत मिलने पर वे अस्थायी रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य सभी अधिकारों और सुविधाओं (जिनमें वेतन और भत्ते भी शामिल हैं) के हकदार हो जाते हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर किया गया खर्च

6264. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई और उसका क्यौरा क्या है; और

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की भी भलाई

करने वाले विभिन्न स्वैच्छिक तथा सामाजिक संगठनों पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) : प्रत्येक वर्ष में (1967-68 से 1969-70 तक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर हुआ कुल खर्च इस प्रकार है :—

(रुपए लाख की राशियों में)

वर्ष	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	जोड़
1967-68	1023.17	975.96	1999.13
1968-69	1064.82	1052.71	2117.53
	ऋ	ऋऋ	
1969-70	1010.72	126.49	1137.21

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाले विभिन्न स्वयंसेवी तथा सामाजिक संगठनों को सरकार द्वारा 1967-70 के तीन वर्षों में निम्न लिखित राशियां दी गई :—

(रुपये लाख की राशियों में)

वर्ष	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अन्य पिछड़ें वर्ग	एकत्रि अनुसूचित आदिम जातियां अनुसूचित जातियां अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य	जोड़
1967-68	8.82	8.09	2.63	5.65	25.19
1968-69	10.37	8.39	2.70	5.58	27.04
1969-70	12.33	10.67	0.81	8.98	32.79

ऋ—अनुमानित आंकड़े

ऋऋ—वित्त मन्त्रालय द्वारा राज्य क्षेत्र (योजना) के अन्तर्गत ब्लाक अनुदानों के अधीन की गई व्यवस्था शामिल नहीं है ।

Provision of Water and Light on Stations on Gwalior-Bhind Narrow-gauge Section (Central Railway)

6265. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no drinking water facilities have been provided for the passengers at any of the stations on the Gwalior-Bhind narrow-gauge Section of the Central Railway and there is complete darkness during the night on these stations as the lamps provided there are not lighted and the oil supplied for the purpose is either sold in the market or used for domestic purposes by the Railway authorities ; and

(b) whether Government have made some arrangements for conducting an enquiry into the matter by some responsible officer ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) No. Drinking water arrangements have been provided at all the stations on Gwalior-Bhind N. G. Section, except at 3 halts which are operated by contractors.

Adequate lighting arrangement also exists at all these stations and no instance of misuse of oil has come to notice.

(b) Does not arise.

Setting of Fire to Bogies and Manhandling of Checking staff by students near Agra

6266. **Shri Yashwant Singh Kushwah : Shri Ramesh Chandra Vyas : Shri Rabi Ray :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a group of ticketless students recently set two bogies on fire and manhandled the ticket checking staff near Agra ;

(b) the steps being taken by the Railway Administration to check such goondaism ; and

(c) whether Government are considering a scheme under which ticketless students sould be penalised by the Education departments ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, on 18th March, 1970.

(b) Patrolling of the area was done for a fortnight, after the incident, by Provincial Armed Constabulary and G.R.P. jointly. Vigilance is being exercised at all Railway Stations in the Agra-District. Night passenger trains are escorted by armed G. R. P. personnel and plain clothes staff deputed to collect intelligence.

(c) No.

सिगनल कर्मचारियों के बारे में रेलव दुर्घटना जांच समिति, 1968 की सिफारिशें

6267. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटना जांच समिति 1968 के पैराग्राफ 141, भाग में दी गई इस सिफारिश को कि सिगनल कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा ग्रेडों के प्रश्न पर तुरन्त निर्णय किया जाना चाहिए, स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने उनके ग्रेडों के बारे में जिन पर विशेषकर तुरन्त विचार करने की सिफारिश की गई थी, कोई निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ।

रेल दुर्घटना जांच समिति (1968) की सिफारिशें

6268. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटना जांच समिति (1968) द्वारा अपने प्रतिवेदन के पैराग्राफ 186, 187, 217,218, 373 और 374 में की गई सिफारिशें रेलवे मन्त्रालय ने स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस मामले में सरकार का विचार और आगे क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) प्रश्न में उल्लिखित पैराग्राफों में जो टिप्पणियां और सिफारिशें दी गयी हैं, उनका सार रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 की रिपोर्ट के भाग II के अध्याय 17 में टिप्पणियों और सिफारिशों के संक्षेप के मद 75 (I) और (II), 83 (I) और (II), 153 से (III) में दिया गया है । उपर्युक्त रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों और सिफारिशों के सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचार एक छपी हुई पुस्तिका में दिये गये हैं जिसकी प्रतियां 24 फरवरी, 1970 को सभा-पटल पर रखी गयी थीं ।

उपर्युक्त टिप्पणियों और सिफारिशों में से मद 83 (I) टिप्पणी मात्र है और इस पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है । मद 75 (I) और (II), 83 (II)और 153 (I) को स्वीकार कर लिया गया है । मद 153 (I) और (III) पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) स्वीकृत सिफारिशों पर रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) के अभिमत वाली पुस्तिका में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जायेगी ।

बारबील, बोलारी, बंसपुरा और देवगढ़ (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में रेल कर्मचारियों को अस्वास्थ्यकर नगर भत्ते का न दिया जाना

6269. **श्री गु० च० नायक** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में बारबील, बोलारी और बंसपुरा तथा देवगढ़ रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को 1961 से अस्वास्थ्यकर नगर भत्ता नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों को अस्वास्थ्यकर नगर भत्ते के भुगतान के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बारबील से सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) और (ख) बारबील, बांसपानी, देवधर और बोलानी-खदान स्टेशनों पर तैनात रेल कर्मचारियों को अस्वास्थ्यकर जलवायु भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया गया है । इस भत्ते का भुगतान 1-11-1965; अर्थात् उस तारीख से किया जायेगा

जिस तारीख से भत्ता जारी रखने के बारे में सरकार ने पिछली बार समीक्षा की थी। बौलारी और बांसपुरा नाम के कोई स्टेशन नहीं हैं।

(ग) यह मामला रेल मन्त्रालय के नोटिस में नहीं लाया गया है।

भारग्राही परिवहन कर्मचारियों को नानरनिंग रूम फैसिलिटी भत्ता

6270. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगचल कर्मचारियों को किसी स्टेशन पर चार घन्टे ठहरने के पश्चात् 2.50 रुपये के हिसाब से नान-रनिंग रूम फैसिलिटी भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या इस प्रकार का भत्ता भारग्राही परिवहन अधिकारियों अर्थात् भारग्राही सहायक स्टेशन मास्टरों का उन स्टेशनों पर नहीं दिया जाता जिन पर ठहरने की व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ग) : रनिंग कर्मचारियों की ड्यूटी गाड़ियों के संचालन से सम्बद्ध है। एवजी परिवहन कर्मचारियों की ड्यूटी की तुलना रनिंग कर्मचारियों के साथ नहीं की जा सकती और इसलिए यात्रा भत्ता, आराम की सुविधा रनिंग भत्ता आदि के सम्बन्ध में, रनिंग कर्मचारियों और गैर रनिंग कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम हैं। इन नियमों के अनुसार रनिंग कर्मचारी (जिन्हें गैर रनिंग कर्मचारियों के समान यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता) रनिंग रूम की सुविधाएं या इसके बदले में भत्ता पाने के हकदार हैं।

उत्तर रेलवे के रिजर्व तथा रिलीविंग सहायक स्टेशन मास्टरों की अस्थायी नियुक्ति के बारे में नियम

6271. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवकाश रिजर्व सहायक स्टेशन मास्टर / रिलीविंग स्टेशन मास्टर संस्थापन संहिता खण्ड के नियम 205 (2) (III) के अनुसार किसी एक स्टेशन पर 60 दिन के लिए यात्रा भत्ते के अधिकारी हैं और उनको यह भत्ता सभी डिवीजनों में दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनको दिल्ली डिवीजन में उन पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं जिनके 60 दिन तक रिक्त रहने की सम्भावना होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड ने अवकाश रिजर्व सहायक स्टेशन मास्टरों / रिलीविंग सहायक स्टेशन मास्टरों को अस्थायी नियुक्ति के बारे में कोई नियम नहीं बनाये हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के अन्य किसी डिवीजन में अस्थायी नियुक्ति नहीं की जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो अवकाश रिजर्व सहायक स्टेशन मास्टरों / रिलीविंग सहायक स्टेशन मास्टरों को दिल्ली स्टेशन पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर रेलव में दिल्ली डिवीजन के स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की वेतन वृद्धि स्थगित किया जाना

6272. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन के कुछ स्टेशन मास्टर तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 250–380 रुपये के वेतन में अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं (जब तक प्रशासनिक आधार पर चयन विचाराधीन है) ;

(ख) क्या यह चयन पद है, और यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कोई चयन न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि कोई चयन नहीं किया गया है, तो कर्मचारियों को उनकी अर्जित छुट्टी लेने की अवस्था में उनकी वेतन वृद्धि की तिथि पीछे कर के दंडित क्यों किया जा रहा है ;

(घ) क्या यह वेतन वृद्धि को अस्थायी/स्थायी रूप से रोकने और भारतीय रेलवे कर्मचारी नियम पुस्तिका के नियम 608 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के बराबर है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में बोर्ड के आदेशों की अपेक्षा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध रेलवे प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई और मंगलौर के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाया जाना

6273. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बम्बई और मंगलौर के बीच सीधी रेलगाड़ी की व्यवस्था न होने के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा समस्त कोंकन क्षेत्र पिछड़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई-मंगलौर रेलवे लाइन लाभप्रद सिद्ध होगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई और मंगलौर के बीच एक सीधी लाइन बिछाने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : **(क), (ख), (ग) और (घ)** : कोंकन क्षेत्र के रास्ते आप्टा-मेंगलूरू लाइन के लिए इंजीनियरी टोह सर्वेक्षण के साथ-साथ विस्तृत यातायात सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है और इसे यथाशीघ्र पूरा किया जायेगा । इन सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने और उनके परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद ही इस परियोजना पर आगे विचार किया जायेगा ।

Supply of Electricity for staff Quarters at Dibai Railway Station (Northern Railway)

*6274. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 4128 on the 16th December, 1969 regarding electricity for staff quarters at Dibai Station (Northern Railway) and state :

(a) the funds required for providing electricity connecti on to staff quarters of Dibai Railway Station on the Aligarh-Chandausi Section ;

(b) whether it is a fact that large funds are not required for this purpose but the

question of providing electricity to these quarters has been made a prestige issue by the local high officials and the paucity of funds is only a pretext ; and

(c) if so, the time by which it is proposed to provide electricity connections to the said quarters ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : **(a) and (b)** About Rs.9,000 are required for electrification of 13 staff quarters of Dibai Railway Station which are not electrified. The funds required for the electrification of quarters at Dibai Station cannot be viewed in isolation. The factual position is that adequate funds are not available for electrification of about 29,000 such quarters existing on Northern Railway alone. Therefore, this issue has not been made a prestige issue.

(c) Electrification of old quarters is being done at an accelerated pace and it is proposed to cover all existing unelectrified quarters withina period of 10 years. The staff quartes at Dibai station will also be electrified in due course.

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, लिमिटेड, इलाहाबाद में उत्पादन

6275. **श्री बृजराज सिंह :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्रीराम गोपाल शालवाले : **श्री आत्मा दास :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, इलाहाबाद में ई० ओ० टी० क्रेनों के चालू होने से उत्पाद में किस हद तक वृद्धि हुई है ;

(ख) भारत से बाहर कार्यों के लिए कितने टेन्डर दिये गये थे और उनमें से कितने स्वीकार हो गये थे ; और

(ग) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, इलाहाबाद द्वारा भारत सरकार से आज तक कितना ऋण लिया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) चूंकि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड इस्पात के भारी ढांचे बनाने का कारखाना है अतः कारखाने की कर्मशाला में काम ई० ओ० टी० क्रेन लग जाने के पश्चात् ही शुरू किया जा सकता है।

कर्मशाला में अतिरिक्त ई० ओ० टी० क्रेने लगाने के पश्चात् उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है परन्तु वृद्धि की मात्रा ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है।

(ख) विदेशी ग्राहकों को दस सीधी पेशकशें की गई थीं। इनमें से कोई भी स्वीकार नहीं की गई। कम्पनी ने केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग को कम्बोडिया को उपहार के रूप में हाईड्रालिक गेटों की सप्लाई के लिए भी पेशकश की थी। यह पेशकश स्वीकार कर ली गई है और गेटों का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) 270 लाख रुपये।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

6276. **श्री बृजराज सिंह :** **श्री राम गोपाल शालवाले :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने सरकार से अब तक ऋण के रूप में कितनी धनराशि ली है ; और

(ख) उक्त राशि में से कितनी राशि सरकार को वापिस कर दी गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) 18,71,00,508 रु०

(ख) 11,36,34,961 रु०

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधियों के साथ भारत-जर्मन सहयोग सम्बन्धी वार्ता

6277. **श्री मुहम्मद शरीफ :** **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मन सहयोग सम्बन्धी वार्ता पूरी हो गई है जो कि जनवरी, 1970 के महीने में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ प्रतिनिधियों के साथ हुई थी ;

(ख) क्या जर्मनी को भारतीय माल का निर्यात बढ़ाने में जो समस्यायें हैं उन पर भी चर्चा हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त बार्ता में क्या निर्णय किये गये ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : भारतीय विनियोजन केन्द्र के आमन्त्रण पर जनवरी, 1970 में डा० हर्मन जे एक्स की अध्यक्षता में जर्मन उद्योगपतियों तथा बैंकरों के एक शिष्टमण्डल ने भारत भ्रमण किया (विभिन्न स्थानों के भ्रमण तथा केन्द्रीय एवं राज्य मन्त्रियों से मिलने के अतिरिक्त शिष्टमण्डल ने भारत के उद्योगों के प्रतिनिधियों से भी वार्तालाप किया। ऐसा समझा जाता है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्डल सार्थसंघ से अपनी वार्ता में दोनों देशों के औद्योगिक एककों के मध्य उपयोगी सहयोग के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया था तथा भारत में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से निर्यातोन्मुख संयुक्त उपक्रमों की स्थापना उनके विस्तार और आवश्यकता पर भी आंशिक रूप से जोर डाला गया था। जर्मन शिष्ट मण्डल तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल संघ के मध्य हुई वार्ता एक मुख्यत: छानबीन सम्बन्धी थी अत: कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

Halt of Howrah Express and other Trains at Parasnath Station

6278. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of trains which halt at the Parasnath Station in Bihar and the time of their departure from Delhi and arrival at the Parasnath Station ;

(b) the number of passengers which alight from these trains at the Parasnath station on an average ;

(c) whether it is a fact that one has to get down at the Parasnath station so as to reach Madhuban, a prominent place of pilgrimage for followers of the Jain religion ;

(d) if so, the reasons for halting such a limited number of trains at that station and

(e) whether Government propose to halt the Howrah Express there during the period from December to March every year ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) 9 Up/10Dn. Howrah-Dehradun Express, 17Up/18Dn Sealdah-Pathankot Express, 23UP/24Dn Patna-Dhanbad-Ranchi Express, 129Up/130Dn Asansol-Varanasi Passenger and 61Up/62Dn Howrah-Dehradun weekly Janata Express trains are scheduled to stop at Parasnath station. None of these trains provides direct service to and from Delhi. However, one composite 1st and 3rd class through service coach runs between New Delhi and Dhanbad by 85Up/86 Dn Assam Mail connecting it with 17Up/18Dn Sealdah-Pathankot Express providing stoppage at Parasnath. 86Dn leaves Delhi at 9.40 hours and 18Dn. arrives at Parasnath at 8.48 hours.

(b) During the period of 3 months from January to March, 1970 the number of passengers from Delhi/New Delhi to Parasnath averaged 7 per day.

(c) Yes.

(d) The existing services scheduled to stop at Parasnath station have been found adequate consistent with the offering of traffic there.

(e) Howrah-Delhi Expresses do not pass through Parasnath hence the question of their stoppage at Parasnath does not arise.

पूर्वोत्तर रेलवे सीमा में मालडिब्बों का तोड़ा जाना

6279. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के न्यू बोंगाई गोआ, चामग्राम, न्यू जलपाई गुड़ी और अलीपुरद्वार जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यार्डों के चोरी तथा माल डिब्बों के तोड़े जाने की घटनायें नियमित रूप से हो रही हैं ;

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अलग अलग पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के उन स्टेशनों और यार्डों में वास्तव में कितनी हानि हुई हैं ;

(ग) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया, बन्दी बनाया गया तथा कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ;

(च) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा दल बनाये रखने के लिये वास्तव में कितना व्यय होता है और स्टेशनों पर इस बल के व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) चोरी और तोड़ फोड़ के कारण उन स्टेशनों पर जितनी रकम की हानि हुई, वह इस प्रकार है :—

	1966-67	1967-68	1968-69
	रुपये	रुपये	रुपये
न्यू बंगाई गांव	871	2,395	460
चामाग्राम	3,107	275	380
न्यू जलपाई गुड़ी	769	1,645	1,433
अलीपुरद्वार जंक्शन	1;766	2,446	2,480

	पकड़े गये/ गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपे गये व्यक्तियों की की संख्या	जिन पर विभागीय कार्रवाई की गयी	जिन पर रेल सम्पति (अवैध कब्जा) अधि-नियम के अधीन कार्रवाई की गयी।
	1966-67			
न्यू बंगाई गांव	28	28	–	–
चामाग्राम	16	15	1	–
न्यू जलपाई गुड़ी	71	71	–	–
अलीपुर दुआर जंक्शन	9	6	3	–
	1967-68			
न्यू बंगाई गांव	58	58	–	–
चामाग्राम	11	10	1	–
न्यू जलपाई गुड़ी	90	78	12	–
अलीपुर दुआर जंक्शन	9	8	1	–
	1968-69			
न्यू बंगाई गांव	17	3	1	13
चामाग्राम	13	1	2	10
न्यू जलपाई गुड़ी	69	33	4	32
अलीपुर दुआर जंक्शन	5	1	–	4

(रेल सम्पति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 1-4-1968 से लागू है)

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न में उल्लिखित स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के रख-रखाव पर होने वाले वास्तविक खर्च और उनकी संख्या वर्षवार नीचे दी गयी है :—

	1966–67		**1967–68**		**1968–69**	
	कुल खर्च	रेलवे सुरक्षा दल के कर्म-चारियों की संख्या	कुल खर्च	रेलवे सुरक्षा दल के कर्म-चारियों की संख्या	कुल खर्च	रेलवे सुरक्षा दल के कर्म-चारियों की संख्या
न्यू बंगाई गांव	79,132	45	87,632	50	95,316	50
चामाग्राम	86,724	49	92,108	52	1,00,068	53
न्यू जलपाई गुड़ी	2,30,960	133	2,58,040	145	2,65,332	141
अलीपुर दुआर जंक्शन	1,33,524	76	1,54,736	86	1,78,880	90

चोरियों और माल डिब्बों के तोड़ने के कारण माल की हानि तथा उसके कारण भुगतान किए मुआवजे की राशि (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)

6280. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में चोरियों, माल डिब्बे तोड़े जाने के कारण हुई हानि के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा कुल कितना मुआवजा दिया गया; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में उपरोक्त वस्तुओं के लिए दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) बुक किये गये परेषणों के सम्बन्ध में माल खो जाने, कम पड़ जाने और क्षतिग्रस्त होने आदि के कारण 1969-70 के पहले नौ महीनों में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 68,27,844 रुपये का भुगतान किया गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

1-4-1969 से 31-12-1969 तक की अवधि में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान का ब्यौरा

मद संख्या	विवरण	भुगतान किये गये दावों की संख्या और रकम	
		संख्या	रकम (रु०)
1	पूरे पैकेजों/परेषणों के खो जाने के कारण दावों का भुगतान	1,851	11,36,330
2	पुरे पैकेजों परेषणों के चोरी हो जाने के कारण दावों का भुगतान	3	2,122
3	उठाई गिरी (अर्थात् पूरे पैकेजों/परेषणों के अलावा) के कारण दावों का भुगतान	8,344	44,26,853
4	भीगने से क्षतिग्रस्त होने के कारण दावों का भुगतान	2,193	9,13,961
5	मार्ग में विलम्ब होने के कारण दावों का भुगतान	39	47,712
6	टूट-फूट के कारण दावों का भुगतान	29	6,543
7	टपकने के कारण दावों का भुगतान	56	76,194
8	अन्य कारणों के फलस्वरूप दावों का भुगतान	215	2,18,129
	जोड़	12,730	68,27,844

दूसरा विवाह करने पर प्रतिबन्ध

6281. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी मतों तथा धर्मों से सम्बन्धित भारतीय नागरिकों के लिए दूसरा विवाह करने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच इस विषय पर विचारों में कोई एकरूपता नहीं है ।

चण्डीगढ़ विवाद पर हुए दंगों के दौरान रेल सेवाओं का बन्द किया जाना

6282. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी/फरवरी, 1970 में चण्डीगढ़ के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुये दंगों के दौरान दिल्ली और हरियाणा तथा पंजाब के कई कस्बों के बीच रेल सेवायें स्थगित की गई थी, और

(ख) क्या रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों की कोई गिरफ्तारियां की गई थीं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हां ।

(ख) जिन व्यक्तियों ने रेल सम्पत्ति को हानि पहुंचायी थी उनमें से कुछ को घटनास्थल पर और कुछ को बाद में भी गिरफ्तार किया गया । अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं और मुकदमा चलाने के लिए उन्हें अदालत में भेजा जा रहा है ।

Conversion of Meter Gauge line from Daurala to Mawana Into Broad-Guage

*6283. **Shri Mahraj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the difficulties being faced by Government in converting the Daurala-Mawana metre-gauge line run by the Daurala Sugar Mill into broad-guage line and the time by which the said project is expected to be completed ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : No proposal for converting the Daurala Mawana Tram Way line run by Daurala Sugar Mill into Broad Gauge line is under consideration.

भारतीय रेलवे टिकट निरीक्षक कर्मचारी संघ को मान्यता

6284. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** **श्री मणि भाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में भारतीय रेलवे टिकट निरीक्षक कर्मचारी संघ के बनाये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संघ को मान्यता प्रदान कर दी है;

(ग) क्या इस संघ ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) यह मालूम हुआ है कि कुछ टिकट जांच कर्मचारिगों के एक वर्ग ने संघ बनाया है और उसका नाम "अखिल भारतीय रेलवे टिकट जांच कर्मचारी संघ" रखा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) उनकी मांगे विभिन्न सेवा की शर्तों जैसे चल टिकट परीक्षकों और कंडक्टरों को रनिंग कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत करने, अतिव्यापी पदक्रमों को हटा देना, और वेतनमानों में संशोधन आदि के बारे में थे।

(ङ) अतीत में इस कोटि के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया है, लेकिन सरकार रनिंग कर्मचारी के रूप में उनका वर्गीकरण करने के बारे में सहमत नहीं हो सकी है और कर्मचारियों की अन्य कोटियों पर इसकी सम्भावित प्रतिक्रिया को देखते हुए किसी कोटि के कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य शर्तों में बड़े पैमाने पर संशोधन के लिये भी सरकार सहमत नहीं हो सकी है।

कोयला खानों को माल डिब्बों का आबंटन

6285. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 फरवरी, 1970 के "इकनामिक टाइम्स" में प्राबलम्स वेडविल कोलमाइन्स इन दी ईस्ट" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या पूर्वी क्षेत्र को झारिया-रानीगंज कोयला पट्टी की कोयला खानों से ही उत्तरी क्षेत्र को कोयला सप्लाई किया जाता है;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों ने पूर्वी क्षेत्र की कोयला खानों को मालडिब्बे न देकर मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्रों का पूर्वी कोयला खानों को अधिक माल डिब्बे सप्लाई किये हैं जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र की मण्डियां उन क्षेत्रों के हाथों में चली गई है;

(घ) क्या रेलवे अधिकारियों ने यह तर्क दिया है कि झारिया-रानीगंज क्षेत्रों में श्रमिक गड़बड़ी के कारण नियमित लदान तथा खानों के मुहानों पर पूरे रेक भरने के लिए स्टाक की उपलब्धता के अभाव के कारण उक्त परिवर्तन उचित है; और

(ङ) क्या सम्पूर्ण स्थिति तथा नवीनतम स्थिति की व्याख्या करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। बंगाल-बिहार के कोयला-क्षेत्रों से उत्तर भारत को कोयले के संचालन में जो उत्तरोतर वृद्धि हुई है, वह इन क्षेत्रों से मुगलसराय से आगे के लदान के तुलनात्मक आंकड़ों से प्रकट है :—

1967-68	2071 मालडिब्बे प्रतिदिन
1968-69	2163 मालडिब्बे प्रतिदिन
1969-70	2304 मालडिब्बे प्रतिदिन

(ग) कोयला-संचालन के युक्तिसंगत स्वरूप के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश के सिंगरेनी कोयला-क्षेत्र से और उसके साथ उड़ीसा के तालचेर क्षेत्र और महाराष्ट्र के चान्दा क्षेत्र से जाने वाला कोयला समूचे दक्षिण की आवश्यकता पूरी करता है। बंगाल-बिहार क्षेत्रों से दक्षिण को बढ़िया किस्म का कोयला रेलवे इंजनों में इस्तेमाल के लिए और ऐसे उद्योगों के लिए भेजने की अनुमति है जिन्हें यह प्रमाण-पत्र प्राप्त है कि उन्हें अपने बायलरों के लिए केवल बंगाल-बिहार के उपयुक्त कोयले की जरूरत है। पूर्वी अंचल की कोयला खानों का नुकसान करके आन्ध्र प्रदेश की कोयला खानों को अधिक मालडिब्बे अलाट नहीं किये गये।

मध्य प्रदेश की कोयला खानें इस समय पश्चिम भारत को कोयला सप्लाई कर रही हैं। यद्यपि पंजाब, हरियाणा और उत्तर-प्रदेश के कुछ भागों के खपत केन्द्र मध्य प्रदेश के मध्य भारत कोयला क्षेत्रों से अधिक समीप हैं, तथापि मध्य भारत क्षेत्रों से उक्त स्थानों को कोयला भेजने की इजाजत देना रेलों के लिए संभव नहीं हो सका है क्योंकि पहले संचालन की समिति क्षमता उपलब्ध थी। इन क्षेत्रों को बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयला जा रहा है। कोयले के लदान में उतरोत्तर वृद्धि होने के कारण बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से उत्तर भारत के मार्ग पर भारी दबाव को देखते हुये और पिछली मन्दी के मौसम में मध्य रेलवे मार्ग से दिल्ली के लिए कुछ क्षमता उपलब्ध हो जाने पर, परीक्षण के तौर पर, नवम्बर 1969 से मध्य भारत कोयला क्षेत्रों से दिल्ली और फिरोजपुर क्षेत्रों को प्रतिदिन एक रेक तक बुझे हुए कोयले के संचलन की अनुमति दे दी गयी थी। अभी तक नवम्बर 1969 और मार्च 1970 के बीच मध्य प्रदेश क्षेत्रों से दिल्ली और फिरोजपुर को केवल 298 डिब्बे कोयला भेजा गया है। यह संचलन पूर्वी अंचल की कोयला खानों का नुकसान करके नहीं किया गया है जिनके कोयले का संचलन 1969-70 में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक रहा था।

(ग) जी नहीं। मध्य भारत कोयला क्षेत्रों से उत्तर भारत को बुझे हुए कोयले का एक रेक प्रतिदिन भेजने की अनुमति इसलिए दी गयी थी ताकि बंगाल-विहार के क्षेत्रों से मुगलसराय से आगे कोयले के परिवहन में उतरोत्तर वृद्धि होने के कारण, पूर्व रेलवे और उत्तर रेलवे पर बंगाल बिहार क्षेत्रों से उत्तर भारत के मार्ग पर जो दबाव पड़ रहा है वह कम हो जाए।

(ङ) संचलन के आवश्यक आंकड़े प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में दिये जा चुके हैं। नीति यह है कि जहां तक रेल क्षमता को देखते हुए संभव हो, उपभोक्ताओं को निकटतम स्रोत से कोयला लेने की इजाजत दी जाये और एक ही किस्म के कोयले का दुतरफा संचलन न हो।

Railways Accidents on Central Railway due to Mechanical Defects

6286. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents in the Central Railway during the last three years ;

(b) the number of accidents which occurred because of mechanical defect and carelessness on the part of the employees ; and

(c) the extent of loss of life and Government property as a result thereof ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) During the period 1st April, 1967 to 28th February 1970 there were 315 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Central Railway.

(b) Of these 315 train accidents, 183 were attributable to the failure of railway staff and 33 to the failure of mechanical equipment.

(c) In these accidents 38 persons were killed. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs.47,45,861/-

Land Allotted to Harijans in Madhya Pradesh

6287. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total acreage of land allotted to Harijans in Madhya Pradesh and the acreage out of that which is being cultivated ; and

(b) the reasons for not allowing Harijans to have their due share in the cultivated land keeping in view their limited means and capacity and the fact that their rights as tenants of the land under cultivation lapse after a specified period ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : **(a) and (b)** The details are being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

Non-Payment of Dues to Retrenched Casual Labourers on Central Railways

*6288. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of casual labourers retrenched on the Central Railway in 1968-69 ;

(b) the reasons for the said re-trenchment ;

(c) the amount paid to each labourer ;

(d) whether it is a fact that these labourers have represented that they would not accept the compensation until their dues are also paid along with the compensation ; and

(e) the period from which these arrears are due and the reasons for their non-payment ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (e) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भारत में औद्योगिक विकास के बारे में पारकिन्सन का वक्तव्य

6290. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विख्यात राजैति वैज्ञानिक स्टर पारकिस्सन ने 26 फरवरी, 1970 को कलकत्ता में कहा था कि गत 20 वर्षों में भारत की औद्योगिक प्रगति होंग कांग अथवा सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में निराशाजनक तथा धीमा रही है, हालांकि उन देशों के संसाधन भारत की तुलना में बहुत कम है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार की औद्योगिक लाइसेन्स नीति समय-समय पर न केवल औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से ही अपितु देश के संविधान में प्रतिष्ठापित सिद्धान्तों और सरकार की औद्योगिक नीति संकल्पों को भी ध्यान में रखकर बनाई जाती है ताकि ऐसे सिद्धान्तों के दृढ़ता से पालन किया जा सके जिससे आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोका जा सके और मध्यम एवं उद्यमियों को अवसर प्राप्त हो सके ।

दिल्ली से मद्रास और दिल्ली से बम्बई तक राजधानी एक्सप्रेस

6291. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से मद्रास और दिल्ली से बम्बई तक राजधानी ऐक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो ये गाड़ियां किस किस दिन को चलायी जाया करेंगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) केवल दिल्ली और बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाने की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ख) ऐसी गाड़ियां चलाना तकनीकी अध्ययन के परिणाम पर निर्भर है जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

6292. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम बैरल एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई के बारे में 24 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 247 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के पास 1 जनवरी, 1960 और 1 जनवरी, 1961 को 'बोडी' तथा 'एण्ड' के लिये 18 गेज की इस्पात चादरों का अलग-अलग प्रारम्भिक स्टाक कितना था ;

(ख) क्या इस फर्म को मई, 1959 से जुलाई, 1961 में मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इनके अलावा भी किसी अन्य साधन से 'बोडी' तथा 'एण्ड' के लिये 18 गेज की चादरें प्राप्त हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्राप्तियों का मास-वार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और वह यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3193/70]**

(ख) और (ग) अन्य स्त्रोतों से प्राप्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें उक्त अवधि के कुछ महीनों में उत्पादकों से प्राप्त परिमाण भी दिखाया गया है ।

सिकन्दराबाद बंगलौर रेलवे लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

6293. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद से बंगलौर तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : **(क) और (ख)** : सिकन्दराबाद-बेंगलूरू मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन इसके एक भाग गुन्तकल्लू-बेंगलूरू मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में विचार किया जा रहा है । इस समय रेलवे बोर्ड इस खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने से सम्बन्धित सर्वेक्षणों की जांच कर रहा है । यह उन खण्डों में से एक है जिन्हें आमान-परिवर्तन से सम्बन्धित रेलों की संदर्शी योजना में शामिल किया गया है; इस योजना पर प्रायः अगले दस वर्षों में अमल किया जाना है । लेकिन इस खण्ड का वास्तविक आमान-परिवर्तन धन की उपलब्धता और इस बात पर निर्भर करता है कि इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों की तुलना में इस प्रस्ताव को क्या अग्रता मिलती है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमर्शियल क्लर्क / टिकट कलेक्टर / ट्रेन क्लर्क / स्टोर क्लर्क के पदों पर पदोन्नति

6294. **श्री जे० मो० विश्वास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कमर्शियल क्लर्कों, टिकट कलेक्टरों, ट्रेन क्लर्कों तथा स्टोर क्लर्कों आदि के पदों पर पदोन्नत करने के लिए क्या अर्हतायें निर्धारित की गई हैं,

(ख) क्या ऐसी शर्तें ब्लाक आपरेटरों को सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पदोन्नत करने पर भी लागू हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो ब्लाक आपरेटरों को जिन्होंने एस० एस० एल० सी० परीक्षा पास नहीं की है, पदोन्नत के क्या अन्य अवसर उपलब्ध हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) चतुर्थ श्रेणी के पात्र कर्मचारियों को टिकट कलेक्टरों, वाणिज्य क्लर्कों, ट्रेन क्लर्कों और क्लर्कों की अन्य कोटियों, जैसे भण्डार क्लर्कों आदि के पद पर पदोन्नत करने के लिए शिक्षा-सम्बन्धी कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गयी है। लेकिन पदोन्नति वाले पदों के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसे उम्मीदवारों से शिक्षा और बुद्धि के जिस सामान्य स्तर की अपेक्षा की जाती है, उसका विनिर्णय करने के लिए इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका प्रवरण किया जाता है।

(ख) और (ग) : चूंकि रेलों में ब्लाक आपरेटरों की कोई कोटि नहीं है, इसलिए सवाल नहीं उठता।

बिकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

6295. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में बिकलांक व्यक्तियों की संख्या अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये प्रशिक्षण केन्द्र तथा वर्कशाप खोलने के लिये एक निधि बनाने के लिये कोई विशेष उपकरण लगाने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : **(क) तथा (ख)** : कोई विश्वसनीय आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है, यद्यपि ऐसा विश्वास किया जाता है कि देश में बिकलांग व्यक्तियों की काफी संख्या है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बिकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास का प्राथमिक उतरदायित्व राज्य सरकारों पर है। भारत सरकार ने, अलबत्ता, निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं प्रवर्तित की हैं :–

(1) देहरादून में नेत्रहीनों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र।

(2) हैदराबाद में बधिरों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र।

(3) नई दिल्ली में मंद-गति बच्चों के लिए एक आदर्श स्कूल।

(4) बिकलांग व्यक्तियों के लिए 9 विशेष रोजगार कार्यालय।

(5) नेत्रहीनों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 4 केन्द्र।

(6) नेत्रहीन, बधिर तथा अपंग विद्यार्थियों को साधारण शिक्षा तथा तकनीकी अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना ।

(7) बिकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास को बढ़ावा देने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं तथा संगठनों को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए अनुदानें देना ।

Retrenchment of Class III and class IV staff of Medical Department, Allahabad Division (Northern Railway)

*6296. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Class III and Class IV Railway employees of the Medical Department of the Allahabad Division who were retrenched and reverted in 1969 :

(b) the number of those retrenched employees who had completed three years of service or more ; and

(c) the reasons for their retrenchment ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Recruitment of Scavanging Staff at Certain stations of Allahabad Division (Northern Railway)

6297. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of new Railway quarters constructed after 1967 on Aligarh, Tundla, Kanpur and Allahabad stations of the Allahabad Division, Station-wise ;

(b) whether scavanging staff was recruited for their newly constructed quarters and colonies ;

(c) if so, the number of persons so appointed and

(d) if not, the alternative arrangements made therefor ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) :

(a) Name of the Station	Quarters constructed (after 1967) after 1st April, 1967
Aligarh	.. 4 units.
Tundla	.. 16 units.
Kanpur	.. 18 units.
Allahabad	.. 24 units.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) The work is being managed by the existing staff.

Confirmation of Sanitary Staff in Allahabad Division (Northern Railway)

*6298. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of permanent posts of Sanitary employees at Aligarh, Tundla, Kanpur and Allahabad in the Allahabad Division of the Northern Railway ;

(b) the number of those Sanitary employees who have been confirmed ;

(c) the number of those sanitary employees of the said place who have rendered five years of service or more but have not so far been confirmed ; and

(d) the reasons for the delay in declaring them permanent ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

शाहदरा-सहारनपुर लाइन रेलवे द्वारा अर्जित लाभ

6299. **श्री अदिचन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में इस रेलवे द्वारा कितना मुनाफा कमाया गया,

(ख) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि यह रेलवे कम्पनी इसके द्वारा कमाये जाने वाले बहुत से मुनाफे को छुपा लेती है , और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1968-69 में शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को 3,66,163 रुपये की शुद्ध हानि हुई । 1969-70 के लेखे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

देश में अनाथों की संख्या

6300. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनाथों की कुल संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) देश में अनाथ बच्चों को रजिस्टर करने की कोई सामान्य प्रणाली नहीं है ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का अधिग्रहण

6301. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की प्रथम संयुक्त विधायक दल सरकार ने वर्ष 1970 में केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का तुरन्त अधिग्रहण किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस के लिये सरकार स्वयं पहल करना चाहती है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

Plea for Management of Public Sector Undertakings by Technical Persons instead of Politicians and Government Officials

6302. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : **Shri Bansh Narain Singh** :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a press report dated the 2nd January, 1970, which contained a statement by the Industry Minister of Tamil Nadu, Shri S. Madhavan, to the effect that Government should not be allowed to usurp all powers in the economic field in the name of imposing restirctions on the monopolists and the vested interest, that the entire economic power should not be vested in Government and that the politicians should not be allowed to act as bosses and take the places of capitalists ;

(b) if so, whether Government propose to replace all politicians, civil officers, I.C.S. and I.A.S. Officers, holding posts in public undertakings, by competent engineers, mistries and technicians and allow workers participation in the management of public sector undertakings ; and

(c) if so, the time by which action along these lines is proposed to be started and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) Government keeps in view the suitability and professional competence of the persons to hold such appointments. For facilitating selection to such posts in public Enterprises as Full-time Chairman, Managing Director and General Managers of Constituent units, the Bureau of Public Enterprises maintains panels of suitable persons drawn up from among those serving in industry, Public Enterprises, as well as Government Services, etc.

(c) The question of workers participation in the management of public sector undertakings is under consideration of the Government.

Workers employed in Bhilai Steel Plant on jobs meant for Engineers

6303. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given to Unstarre d Question No. 4187 on the 16th December, 1969 regarding loss in Bhilai Steel Plant and state :

(a) whether the workers in the Bhilai Steel Plant were asked to accept the acting position the duties of which they were not supposed to perform and in turn, the engineers were assigned light duties ;

(b) if so, whether the reasons for this are that engineers do not possess the practical knowledge and can perform only supervisory duties, which are also liked by them, and they shirk from manual work ;

(c)whether it is a fact that private factory owners cannot force the workers to work overtime under the Factories Act ;

(d) whether equal opportunities of promotion are available to an engineer, a worker and a mistry ; and

(e) whether it is proposed to dis-associate the Civilian and I.C.S. officers from the management and to appoint in their place persons having practical knowledge in the respective trade ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Factories Act, 1948 provides for regulation of hours of work and overtime work of workers employed in Factories irrespective of their ownership.

(d) Opportunities for promotion are available to all categories of employees of the H.S.L. according to well defined lines of promotion.

(e) In persuance of the recommendations of Administrative Reforms Commission, it has been decided that Government Officers deputed to Public Enterprises should be asked to exercise an option between permanent absorption in the Public Enterprises and reversion to the parent cadres within a prescribed period.

Loss to Bhilai Steel Plant

6304. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4187 on the 16th December, 1969 regarding loss in the Bhialai Steel Plant and state :

(a) the details of the demands made by the workers in August, 1969 and the reaction of the management thereto and the steps taken by the management consequent to which the situation became normal ;

(b) whether Government propose to discontinue paying bonus to the Engineers and other employees getting more than Rs.500 per month as is done in the case of the Central Secetariat employees getting more than Rs.500 per month so that the workers could be paid good salary ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to ensure that the public sector industries compete with the private sector industries fully and earn profits like private industries after making good their losses ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The workers demanded withdrawal of charge sheet issued to a loco driver, that loco and wagon repair shop workers should not be charge sheeted, that persons from outside should not be employed, posts should be upgraded manning should be increased and the charge sheets in respect of workers who refused to work should be withdrawn. Negotiations were conducted by the Plant Management with the Trade Unions and with the concerned agencies of the State Government. The management were forced to suspend 9 employees on specific acts of misconduct. The workers of the Loco Shed continued sit down strike. Inspite of the appeals by the Management, the local authorities of the State Government and by the Unions, the workers refused to resume work. The Management, therefore, was compelled to suspend 33 workers for grave acts of misonduct. Thereafter the situation improved and within a few days situation returned to normal.

(b) No, Sir.

(c) Profitability is linked with prices which again would be based on serveral considerations. However, to maximise product ion several steps have been taken including better utilisation of existing capacity with the addition of balancing equipment, ancillaries etc. adopting technological improvements and practices and above all by trying to maintain cordial industrial relations.

Setting up of a halt station between Motipur and Kanti Station (North Eastern Railway)

6306. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a decision had been taken last year for setting up a halt station between Motipur and Kanti Stations on the Muzaffarpur-Narkatiagang section of the North Eastern Railway ;

(b) if so, the reasons for delay being caused in its implementation ; and

(c) the time by which the entire work on the said halt station is likely to be completed ?

The Minister for Railway (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The construction of the halt could not be taken up because the local people represented for change of the site selected. The representations have since been considered by the North Eastern Railway Administration and it has been decided to provide the halt at the originally selected site near village Nariar.

(c) The construction work of the halt is likely to be completed and halt opened for traffic by the end of 1970.

Enquiry into smuggling of two drums of oil from Rajnagar Station (North Eastern Railway)

6307. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 13th February, 1970, two drums of oil, belonging to CARE Programme, were being smuggled out of the Rajnagar station of the North Eastern Railway in cllusion with the local Railway officials ;

(b) whether some social workers found this out and handed over the drums to the Government Railway Police, Jaynagar ;

(c) whether it is also a fact that efforts have been made by the Police and the Station Master of Rajnagar to break the seal and to change the oil content and that the police has been bribed to hush up the case ; and

(d) whether Government propose to institute an enquiry into this fraud and to punish the officials responsible therefor and, if so, the time by which the said inquiry would be constituted and, if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) On 13h February, 1970, two drums containing oil were recovered from the possession of one Radha Ballabh of Rajnagar, Police station Madhubani, in front of the Station Master's office. A case under section 7 of the Essential Commodities Act has been registered by Government Railway Police, Darbhanga. Superintendent, Railway Police, Muzaffarpur reported that, so far, it has not come to light whether they were being smuggled in connivance with the railwaystaff.

(b) The report was made by one Shri Namodhar Jha, Secretary Communist Party, Rajnagar Block, who learnt about this case from other persons. He reported it first to the Block Development Officer, Rajnagar who instructed Sub-Inspector Civil Police, Rajnagar to take action. Sub-Inspector Police, Rajnagar seized the drums and arrested the accused and forwarded the case to Government Railway Police, Darbhanga, where a case was registered vide crime No. 6 dated 14th February, 1970 under section 7, Essential Commodities Act.

(c) As regards efforts to break the seal and change oil contents by the Police and the Station Master, the matter is still under enquiry by the Govenment Railway Police.

Superintendent, Railway Police, Muzaffarpur has reported that it is not a fact that Police had been bribed to hush up the case.

(d) Investigation into the case is being conducted by Sub-Inspector, Government Railway Police, supervised by the Inspector, Government Railway Police and Superintendent, Railway Police, Muzaffarpur, who has been asked to finalise the investigation, in this case, as early as possible.

Deletion of Dhangar (Khatik) Caste from the list of Scheduled Castes

6308. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Onkarlal Berwa :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to delete the Dhangar(Khatik) caste from the list of Scheduled Castes :

(b) whether it is also a fact that concessions used to be given to this caste for its being included in the said list, have also been withdrawn ; and

(c) if so, the reasons for deleting the said caste from the list of Scheduled Castes ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Inclusions in or exclusion from the lists of Scheduled Castes can be made

only by Parliamentary Legislation. A bill for the amendment of the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is at present before Parliament.

(b) Members of the communities listed in the Presidential Orders will be entitled to the concessions admissible to the Scheduled Castes until the lists are revised by Parliament.

(c) Does not arise.

चीफ कन्ट्रोलर, बीकानेर (उत्तर रेलवे) द्वारा सरकारी शक्ति का दुरुपयोग किये जाने के बारे में शिकायत

*6309. **श्री शारदा नन्द :** क्या **रेलवे** मंत्री चीफ कन्ट्रोलर, बीकानेर (उत्तर रेलवे) द्वारा सरकारी शक्ति का दुरूपयोग किये जाने के बारे में शिकायत करने के बारे में 17 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच कार्यवाही सर्तकता विभाग के माध्यम से चीफ कन्ट्रोलर, बीकानेर उत्तर डिवीजन के विरुद्ध जांच की जा रही है ;

(ख) क्या जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है उस अधिकारी की परिस्थिति तथा उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उसे निलम्बित करने अथवा वहां से उसका स्थानान्तरण करने का है ताकि जांच शीघ्रता से तथा न्यायपूर्ण ढंग से की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : जांच कार्यवाही प्रायः पूर्ण हो चुकी है और इस स्थिति में चीफ कन्ट्रोलर, बीकानेर (उत्तर रेलवे) द्वारा रिकार्डों में गड़बड़ी करने या गवाहों को प्रभावित करने अथवा उनके स्थान्तरण या निलम्बन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी पर्यटकों को स्टेशनों पर सुविधा देने की समस्या को हल करने के लिए विशेष विंग

6310. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के लिए रेलवे सुविधाओं तथा मुख्य स्टेशनों पर जहां कि विदेशी पर्यटक बहुधा जाते हैं, अन्य रेलवे सुविधाओं की समस्या को हल करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक विंग है, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कार्य के लिए एक विभाग बनाने का प्रस्ताव कर रही है ।

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जिन गाड़ियों और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विदेशी पर्यटक आमतौर पर आते-जाते हैं वहां उनके लिये अपेक्षित रेलवे सुविधाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए रेलवे बोर्ड में समुचित व्यवस्था की गयी है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

आसाम में पेपर मिल

6311. **श्री रा० बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** ा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक छोटा पेपर मिल स्थापित करने के बारे में आसाम सरकार प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या यह मिल ग्वालपाड़ा जिले में स्थापित की जायेगी ताकि राज्य में नये उद्योगों के । में क्षेत्रीय असन्तुलन कुछ सीमा तक दूर किया जा सके ; और

(ग) क्या आसाम राज्य के पहले प्रस्ताव के कारण "पैकेज डील" के बारे में प्रधान मंत्री घोषणा में इसे शामिल किये जाने के बावजूद इस प्रस्तावित पेपर मिल को केन्द्रीय क्षेत्र में ापित नहीं किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली ्मद) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पेपर मिल स्थापित ने के लिए आसाम सरकार की ओर से एक औपचारिक आवेदन पत्र आने की अभी प्रतीक्षा । फिर भी उन्होंने विदेशी सहयोग के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जो विचाराधीन हैं ।

(ख) अभी तक इस मिल के स्थापित करने के लिए स्थान का निश्चित निर्णय नहीं किया ा है फिर भी ऐसा संकेत है कि यह आसाम के पश्चिमी भाग के किसी पिछड़े जिले में स्थापित ्या जायगा ।

(ग) जी, नहीं ।

भारतीय रेलवे द्वारा यवतमाल तथा मुरतियाजपुर रेलवे की छोटी लाइन को अधिकार में लेना

6312. **श्री देवराज पाटिल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यवतमाल तथा मुरतियाजपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों ; डिब्बे बहुत बुरी हालत में हैं तथा रोशनी और यात्रियों की सुरक्षा के प्रबन्ध अपर्याप्त हैं तथा लवे पटरी सुरक्षित नहीं है ।

(ख) यदि हां, तो इस विशेष रेलवे लाइन को विदेशी कम्पनी के बाद विभिन्न भारतीय म्पनियों को सौंपे जाने के क्या कारण हैं, जब कि इस बीच लगभग सब रेलवे लाइनों का ाष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ।

(ग) क्या सरकार का विचार जन हित में इस रेलवे लाइन को अपने नियंत्रण में लेने ा हैं, और ।

(घ) यदि हां, तो इस लाइन को कब तक सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने ी सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सरकार को इस प्रकार की किसी विशिष्ट शिकायत की जानकारी नहीं है । लेकिन यह उल्लेखनीय है कि गाड़ियों के निरापद चालन के लिये जो मानक निर्धारित हैं, उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए, रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, इसी प्रकार की अन्य प्राइवेट रेलों के साथ-साथ, सेन्ट्रल प्राविंसिज लाइट रेलवे नाम की छोटी लाइन की इस रेलवे का भी आवधिक निरीक्षण करते हैं । रेल संरक्षा के अपर आयुक्त से इस आशय की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं मिली है कि इस रेलवे की स्थिति या इसके किसी चल स्टाक का इस्तेमाल यात्री जनता के लिए खतरनाक है ।

(ख) नीति के रूप में सरकार तब तक प्राइवेट रेलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करती जब तक सभी सम्बद्ध पहलुओं की जांच करने से यह मालूम न हो जाये कि राष्ट्रीयकरण स्पष्ट रूप से जनहित में होगा । नियमित समयान्तरों पर इस बात की समीक्षा करने का अवसर सरकार को मिलता है, जब मालिकों के साथ किये गये करार की शर्तों के अधीन, किसी प्राइवेट रेलवे को अपने हाथ में लेने का विकल्प उसे प्राप्त होता है ।

(ग) सेन्ट्रल प्राविंसिज लाइट रेलवे को खरीदने का पिछला विकल्प 31–3–1967 को मिला था जब इसे न खरीदने का विनिश्चय किया गया । अगला विकल्प 31–3–77 को मिलेगा । उस समय सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न पर फिर विचार किया जायेगा ।

(घ) फिलहाल इस रेलवे को अपने हाथ में लेने का सरकार का विचार नहीं है ।

Demand for declaring Tyres and Tubes for Bullock Carts as Essential Commodities

6313. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the State Governments have demanded that the tyres and tubes for bullock-carts should be declared as essntial commodities ;

(b) if so, the action taken by the Central Government in this regard ; and

(c) the objection of the Central Government to the demand that the State Governments should have control over the distribution of such tyres and tubes ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) Tyres and Tubes of Animal Drawn Vehicles have been declared as an Essential Commodity on 13th February, 1970.

(c) Powers have already been delegated to the State Governments.

औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने में कठिनाइयां

6314. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जो लोग छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको औद्योगिक प्लाटों की कीमतें बहुत ऊंची होने के कारण देश में विभिन्न राज्यों में औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि यहां तक कि जब कोई व्यक्ति फैक्टरी शेड किराये पर लेना चाहता है तो किराया इतना अधिक है कि छोटे उद्योगपति उसे देने में समर्थ नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो छोटे उद्योगपतियों को सस्ती दर पर तथा आसान किस्तों पर प्लाट देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में उनके लिए कुछ प्लाट नियत करके उन्हें राहत देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : सरकार को यह भली भांति ज्ञात है कि शहरी क्षेत्रों में नये उद्योगों की स्थापना के लिये लघु उद्योग पतियों को उपयुक्त मूल्लों पर जमीन प्राप्त करने में प्रायः बड़ी कठिनाई होती है । इसी कारण सरकार ने औद्योगिक प्लाट बस्ती कार्यक्रम प्रारम्भ किया था जिसके द्वारा सरकारी अभिकरण उपयुक्त प्लाट अभिग्रहण करते हैं, उनका विकास करते है तथा उपयुक्त दरों पर उन्हें लघु उद्योग पतियों को उपलब्ध करते हैं । कुछ क्षेत्रों में सरकार ने भी औद्योगिक शेडों का निर्माण कार्य हाथ में लिया था जो किराये के आधार पर उपलब्ध कराये गये थे तथा कुछ राज्यों में किरायाखरीद के आधार पर किरायेदार-उद्योगपतियों को हस्तांतरित किये जा रहे हैं । अब तक विभिन्न राज्यों में 102 औद्योगिक क्षेत्रों में 6,530 विकसित प्लाट दिया जा चुका है और साथ ही औद्योगिक बस्तियों में 8,600 शेड़ों का निर्माण किया गया है ।

सरकार समझती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उस स्तर की समस्या नहीं है ।

जीवन बीमा निगम के एक भूतपूर्व अध्यक्ष को बोल्टाज लिमिटेड में निदेशक के रुप में नियुक्ति

6316. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एम० आर० भिडे को जो अभी हाल में जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में सेवा निवृत्त हुये है बहुत ऊंचे वेतन पर बोल्टाज लिमिटेड में निदेशक नियुक्त किया गया है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम ने बोल्टाज लिमिटेड में कितनी पूंजी लगाई है ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) बोल्टास लिमिटेड ने, अपनी 26 मार्च, 1970 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन को शर्त पर, श्री एम० आर० भिडे को, 26 मार्च, 1970 से पांच वर्ष की अवधि के लिये, कम्पनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पदनाम से प्रबन्ध निदेशक के पद की नियुक्ति; 7,000 रु० के मासिक वेतन तथा कुछ परिलब्धियों सहित, कम्पनी के शुद्ध लाभ के/प्रतिशत कमीशन पर, अनुमोदन के लिये एक संकल्प पारित किया है । कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 269/309/198 (1) के अन्तर्गत, इस नियुक्ति के लिये कम्पनी विधि बोर्ड के अनुमोदनार्थ, एक प्रार्थना-पत्र दिया है । कम्पनी के प्रार्थना-पत्र पर कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा, गत तीन वर्षों के मध्य, बोल्टास लिमिटेड में किये गये नियोजन निम्न प्रकार है :

वर्ष समाप्ति	ऋण-पत्र		इक्विटी हिस्से		योग	
	अंकित मूल्य	पुस्त मूल्य	अंकित मूल्य	पुस्त मूल्य	अंकित मूल्य	पुस्त मूल्य
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
31-3-67	20,00,000	19,60,000	*15,75,700	21,070	35,75,700	19,81,070
31-3-68	—	—	7,000	15,246	7,000	15,246
31-3-69	8,000	7,695	5,000	11,043	13,000	18,738

* इनमें 100 रु० की दर के पूर्ण प्रदत्त 15,657 लाभांश हिस्से भी सम्मिलित है; जिनके लिये उसी प्रकार का पुस्त मूल्य नहीं है ।

अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा, को पुनः चालू करना

6317. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा के पुनः चालू करने के बारे में 17 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार तथा आसाम सरकारों के सहयोग से अशोक पेपर मिल्स दर भंगा को पुनः चालू करने सम्बन्धी प्रस्तावित योजना में लुगदी तथा कागज की सभी मशीनों का आसाम में पूर्ण स्थानान्तरण करने और वर्तमान स्थान पर आयात करके एक नई (प्रति दिन तीस टन) मशीन स्थापित करने के बारे में उपबन्ध किया गया है;

(ख) क्या दरभंगा के लोग इन मशीनों के स्थानान्तरण का विरोध करने पर तुले हुये है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थान पर स्थित मिल को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) आसाम सरकार से प्राप्त अशोक पेपर मिल्स के पुनः स्थापन की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत दरभंगा में लगी बहुत सी मशीनों को आसाम स्थानान्तरित करना होगा और दरभंगा में नये कागज कारखाने के लिये नई मशीनों को लगाने की व्यवस्था है और नये कारखाने को लुगदी आसाम से प्राप्त होगी ।

(ख) तथा (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में शैड खलासी आदि की गलत वरीयता निर्धारित करना

6318. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में 1 अप्रैल, 1969 को एक वरीयता सूची (अस्थायी) प्रकाशित की गई थी जिसमें शेड खलासी तथा वी० ए० खलासी जिन्होंने इंजिन क्लीनर वर्ग के लिये विकल्प दिया था की वरीयता रेलवे सेवा में उनकी नियुक्ति की तारीख से निर्धारित की गई है जिससे विभिन्न पाठ्यक्रम तथा स्टैण्डर्ड के आधार पर इंजन क्लीनर के लिये औपचारिक रूप से चुने गये व्यक्तियों को हानि हुई है,

(ख) क्या उक्त आदेश के बदलने के बारे में बड़ी मांग की जा रही है और यदि हां, तो क्या उस पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि उस पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

एलिया पेरुमल समिति से सम्बन्धित दस्तावेज नष्ट करने का कथित समाचार

6319. **श्री सूरज भान** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग के अधीन पिछड़े वर्गों सम्बन्धी महानिदेशक के कार्यालय में अस्पृश्यता आदि सम्बन्धी एलिया पेरुमल समिति से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज जानबूझ कर नष्ट कर दिये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नष्ट किये गये उपर्युक्त दस्तावेजों में महानिदेशक के पास कार्य करने वाले एक स्टेनोग्राफर की शार्ट हैण्ड की कापी भी थी जिसमें उपर्युक्त अधिकारी का डिक्टेशन भी था जिसमें समिति के प्रतिवेदन में श्री आर० अच्युतन के नाम से पूरा नियत टिप्पण लिखा गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त कापी तथा अन्य दस्तवेाजों को विशेष रूप से सुरक्षित रखने के लिये कहा गया था; यदि हां, तो किसने कहा था और कब;

(घ) उल्लिखित दस्तावेजों को नष्ट किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य के लिये जिम्मेदार व्यक्ति का नाम तथा पदनाम क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग), (घ) तथा (ङ) : माननीय सदस्य ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बद्ध संसदीय समिति के अध्यक्ष को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एलिया पेरूमल रिपोर्ट के सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए। सभी उपलब्ध दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा रहा है । निदेशित शार्ट हैंड नोट बुकों को, अलबत्ता, मांग प्राप्त होने से पूर्व सामान्य अवधि में नष्ट कर दिया गया था ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में नियोजित नैमित्तिक मजदूरों को मजदूरी सहित अवकाश

6320. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में दिल्ली क्षेत्र में नियोजित नैमित्तिक मजदूरों को अवकाश की अविध में मजदूरी नहीं दी जाती है जब कि दिल्ली क्षेत्र से बाहर ऐसे लोगों को वेतन सहित अवकाश दिया जाता है;

(ख) क्या इस भेद-भाव को दूर करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Payment of Provident Fund and Family Pension to Families of Deceased class IV Employees of Railway Hospital, Bhatinda (Northern Railway)

*6321. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Class IV employees of the Railway Hospital, Bhatinda (Northern Railway), who died during the period 1964 to1968 and the number out of them of those whose dependents were sanctioned family pension and paid provident fund and the number of those who were not sanctioned any family pension ;

(b) the action being taken by Government to sanction family pension to the families of all the said deceased employees and the reasons for the delay in this regard ; and

(c) whether Government propose to set up a sepatate pension department to ensure that the dependents of the employees who died while serving and those who retire get pension expeditiously ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a), (b)& (c) Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

उत्तर बंगाल में कागज मिल

6322. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में शीघ्र कागज मिल स्थापित करने के बारे में कोई योजना है, जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कार्य किस तारीख को आरम्भ तथा पूर्ण होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Firing on a Violent mob of Wagon Breakers at Dum Dum Railway Station

6223. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police had to open fire on a violent crowd of wagon-breakers at Dum Dum Railway station area on the 20th March, 1970 ;

(b) if so, the number of persons killed and of those injured in the said incident ;

(c) whether some persons have been arrested in this regard ; and

(d) if so, whether the arrested persons belong to some political party ?

Minister for Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Yes.

(b) One criminal received a bullet injury and he later succumbed to it. No one else is reported to have received any injury.

(c) Yes, two miscreants were arrested.

(d) Not known.

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे की प्रतिशतता

6324. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 जनवरी, 1969 को जैसा कि भूतपूर्व रेलवे मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, क्या उनका मंत्रालय तृतीय श्रेणी क्लर्क कर्मचारियों को पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने के बारे में किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचा है, और

(ख) यदि हां, तो वर्धित प्रतिशतता कितनी है और इसे कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख) : रेलों पर जो अराजपत्रित कर्मचारी दो या इससे अधिक वर्षों से अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए हैं या रुके रहेंगे उन्हें निजी वेतन के रूप में राहत दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार ने एक नया वेतन आयोग स्थापित करने की पहले ही घोषणा कर दी है, इस समय सरकार इस मामले में और कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं रखती ।

Laying of Railway Line from Udhna to Bhugdala Port (Gujarat State)

*6325. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey has been carried out for laying a Railway line from Udhna to Bhugdala Port in Surat in Gujarat State ; and

(b) if so, the time by which the Railway line is likely to be laid ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) **and** (b) No surveys were carried out for this rail link in the past. Howerver, a traffic appreciation for a new line from Udhana to Magdalla Port is being taken up. Further consideration to the project will be given after the results of the traffic appreciation become known.

स्टेनोग्राफरों तथा टाइपिस्टों के लिये प्रोत्साहन योजना और टेलीफोन/टेली-प्रिन्टर/ कम्प्यूटर आपरेटरों को विशेष वेतन

6326. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री स्टेनोग्राफरों तथा टाइपिस्टों के लिये प्रोत्साहन योजना और टेलीफोन/टेलीप्रिन्टर/कम्प्यूटर आपरेटर को विशेष वेतन के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4058 तथा 4059 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक टाइपिस्ट को डी० ए० आर० तथा दुर्घटना जांच के मामलों में विभागीय अधिकारियों के साथ जाना पड़ता है और जहां उन्हें चलती गाड़ियों में अधिकारियों के सैलूनों में रात तक काम करना पड़ता है, उसका (टाइपिस्ट) का काम बहुत मेहनत का है ;

(ख) क्या यह सच है कि टाइपिस्ट को पाण्डुलिपि से टाइप करना पड़ता है जिन्हें लिखाई साफ न होने के कारण अधिकतर मामलों में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और उनमें स्पेलिंगों की गलती रहती है और ऐसा समझा जाता है कि टाइपिस्ट ऐसे सभी पत्रों को ठीक-ठीक टाइप करेगा ;

(ग) यदि हां; तो टाइपिस्टों को उसी आधार पर जिस पर स्टेनोग्राफरों को दिया जाता है, प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या यह भी सच है टाइपिस्टों को जिनका कार्य बहुत मेहनत का है; तपेदिक, रक्त चाप, हृदय की कमजोरी तथा शीघ्र आंखों की कमजोरी जैसी बीमारियां पकड़ लेती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें विशेष वेतन के रूप में संचालन भत्ता, जैसा कि टेलीप्रिंटर/टेलीफोन/कम्प्यूटर आपरेटरों को दिया जाता है, न देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जांच के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए बुक किये गये टाइपिस्टों के इस तरह के मामले अधिक नहीं है और इस तरह की ड्यूटी को दुष्कर नहीं माना जा सकता है ।

(ख) टाइपिस्ट को न केवल हस्थ लिखित प्रलेखों से, बल्कि छपे और टाइप किये हुए प्रलेखों से भी टाइप करना पड़ता है ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) में जो बातें कही गयी हैं, उनके आधार पर प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं बनता ।

(घ) यह नहीं कहा जा सकता कि स्थावर कामों में लगे रहने वाले अन्य कर्मचारियों की

अपेक्षा टाइपिस्टों को तपेदिक, रक्त चाप, हृदय की कमजोरी तथा आंखों की शीघ्र कमजोरी जैसी बीमारियां अधिक होती हैं और इनमें से किसी भी बीमारी को इस तरह का 'व्यावसायिक आपद' नहीं माना जा सकता जिसके लिए उन्हें कोई विशेष भत्ता दिया जाये।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

Traffic on Manjhi Bridge on Ghaghra River

*6327. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Manjhi bridge on the Ghaghra river connects Ballia with Chupra situated on the border of Uttar Pradesh and Bihar ;

(b) whether it is closed for pedestrians as also for the transport vehicles ; and

(c) if so, whether the arrangements for the movement of traffic would be made on it as has been done in the case of the bridge over the Jehva river in Pilibhit ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) and (b) Yes.

(c) For allowing transport vehicles and pedestrians on the Manjhi Bridge, it will be necessary to provide road decking on this bridge which is not feasible as it will result in the over-stressing of the girders and imposition of speed restriction over the bridge therby affecting the line capacity.

एक्सप्रैस/मेल गाड़ियों में टेलीफोन सेवायें

6328. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर तथा मद्रास के बीच चलने वाली वृन्दावन एक्सप्रेस में टेलीफोन सेवा चालू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और अन्य एक्सप्रैस/मेल गाड़ियों के नाम क्या हैं जिसमें ऐसी सुविधा की व्यवस्था की जायेगी ?

रेलव मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : परिचालन के प्रयोजन से चलती हुई गाड़ी और नियंत्रण कार्यालय के बीच टेलीफोन संचार स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षण किये जा रहे हैं। यदि ये परीक्षण सफल सिद्ध होते हैं, तो यात्रा करने वाली जनता के उपयोग के लिए ऐसी संचार-व्यवस्था उपलब्ध कराने की संभावनाओं के सम्बन्ध में संचार मंत्रालय के परामर्श से जांच की जायेगी।

दिल्ली राज्य नारी निकेतन बोर्ड का परामर्शदायी कार्य

6329. **श्री अचल सिंह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में "रैस्क्यू होम" और "दिल्ली राज्य नारी निकेतन" दो अलग-अलग और स्वतंत्र आश्रम चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली राज्य नारी निकेतन के व्यय की "रैस्क्यू होम" के नाम पर मंजूरी क्यों दी जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली राज्य नारी निकेतन बोर्ड एक परामर्शदायी बोर्ड है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सरकार को किस प्रकार से सलाह देती है तथा किन मामलों पर सलाह देती है ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) अनुदान रैस्क्यू होम के नाम पर नहीं, बल्कि नारी निकेतन के नाम पर मंजूरी की जाती है ।

(ग) नहीं, श्रीमान । यह प्राथमिक रूप से इस संस्था की प्रबंध समिति है, परन्तु सरकार को एक सलाहकार समिति भी है ।

(घ) नारी निकेतन के कार्य के क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निदेशित मामलों पर यह अपनी सलाह दे सकती है ।

दिल्ली राज्य नारी निकेतन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

6330. **श्री अचल सिंह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य नारी निकेतन के कर्मचारियों को दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के बराबर मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) **तथा (ख)** : दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए जब कभी मंहगाई भत्ते में परिवर्तन किया जाता है; वह नारी निकेतन के कर्मचारियों पर अपने आप लागू नहीं होता है । ऐसे मामलों में नारी निकेतन से अनुरोध प्राप्त होने पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते में संशोधन के लिए अलग से मंजूरी दे दी जाती है । पिछली बार बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के लिए जो 1 सितम्बर, 1968 से लागू होना था, दिल्ली प्रशासन द्वारा मार्च, 1970 में मंजूरी दे दी गई थी और नारी निकेतन के कर्मचारियों को उसकी अदायगी भी कर दी गई है ।

पश्चिम बंगाल में स्टेनलैस स्टील के निर्माण के लिए कम्पनियों को लाइसेंस देना

6331. **श्री जुगुल मंडल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने पक्षों ने वर्ष 1969-70 में स्टेनलैस स्टील के निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्ति हेतु आवेदन दिया था ; और

(ख) उस अवधि में कितने पक्षों को लाइसेंस दिये गए तथा वे कितने मूल्य के थे और वे किस उद्देश्य के लिए दिए गये थे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : वर्ष 1969-70 में पश्चिमी बंगाल की किसी पार्टी से वेदाग इस्पात के उत्पादन के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

फिल्म कम्पनियों को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी

6332. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी उनकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1970 को कितनी थी (1) वीनस पिक्चर्स (प्रा०) लिमिटेड मद्रास (2) प्रौसपरिटी पिक्चर्स (प्रा०) लिमिटेड मद्रास (3) बनहानी प्रोडक्शनस (प्रा०) लिमिटेड मद्रास ;

(ख) इन कम्पनियों को सरकार, बैंकों अथवा अन्य संस्थाओं से 31 मार्च, 1970 तक कितना ऋण प्राप्त हुआ ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गगा;

(घ) इन कम्पनियों के अंशधारियों के नाम क्या है तथा निदेशकों के नाम तथा पते क्या है ।

(ङ) गत तीन वर्षों में उनके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई नाम अथवा हानि हुई हो तो वह राशि कितनी है ; और

(च) हानि के क्या कारण है तथा वर्ष 1970-71 के प्राक्कलन क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) : तीन फिल्म कम्पनियों के बारे में इच्छित सूचना, संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3194/70**]

आदिम जातीय क्षेत्रों का पिछड़ापन निर्धारित करने हेतु सर्वेक्षण

6333. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिम जातीय क्षेत्रों के पिछड़ेपन को मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क), (ख) तथा (ग) 1961 की जनगणना में दी गई सामाजिक-आर्थिक आधार-सामग्री के अतिरिक्त, जिससे आदिम जातीय क्षेत्रों के पिछड़ेपन का पता चलता है, देश के आदिम जातीय क्षेत्रों के पिछड़ेपन की मात्रा को आंकने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है । राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की सिफारिश पर योजना आयोग ने, अलबता पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिए श्री बी० डी० पांडे, योजना आयोग के उस समय के सचिव, की अध्यक्षता में 1968 में एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी ।

महाराष्ट्र में फर्मों और समवायों को ऋण

6334. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों तथा समवायों की संख्या तथा नाम क्या हैं, जिनको गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक विकास के लिए ऋण दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ फर्में, जिनको ऋण दिया गया था, झूठी पाई गई हैं और उन्होंने कोई औद्योगिक संस्थान स्थापित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं और सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

'डीजल लोकोमोटिव वर्क्स' द्वारा निर्मित इंजन तेज चलने वाली गाड़ियों के लिए अनुपयुक्त

6335. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कस, वाराणसी द्वारा निर्मित इंजन तेज चलने वाली गाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो एक अमरीकी कम्पनी के सहयोग से इन इंजनों के भारत में निर्माण करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : इस समय डीजल रेल इंजन कारखाने में जो डीजल रेल इंजन बनाये जा रहे हैं उनका डिजाइन सामान्य सेवाओं के लिए है और मुख्य मार्गों पर माल और सवारी गाड़ियों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है । अधिक रफ्तार वाली गाड़ियों के लिए डीजल रेल इंजन कारखाने में बनाये जाने वाले उपयुक्त किस्म के रेल इंजनों का डिजाइन तैयार करने के प्रश्न पर अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली के बड़े होटलों में वेश्वावृत्ति करने वाली लड़कियों का गिरोह

6336. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली के बड़े होटलों में वेश्वावृत्ति करने वाली लड़कियों का गिरोह बढ़ता जा रहा है और इसके भष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : **(क) तथा (ख)** : राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है। तथा उनके प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में भारत-रूस करार

6337. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में भारत और रूस के बीच एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शर्तें क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पार्सल मार्ग बीजक के बिना सब्जी और ताजे फलों को भेजना

6338. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : **श्री चन्द्रिका प्रसाद** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे में व्यापारियों की सब्जी और ताजे फलों का मूल्य गन्तव्य स्थान पर, पार्सल मार्ग बीजक के बिना प्राप्त होने पर, चाहे उन्होंने इसके लिए सामान्य पहचान बंधक लगाये हों, चुकाना पड़ता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि यही प्रक्रिया अन्य रेलवे में नहीं अपनाई जाती है,

(ग) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ ऐसा भेद-भाव किये जाने के क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ङ) क्या सरकार व्यापारियों की कठिनाइयों को देखते हुए पश्चिम रेलवे में प्रचलित ऐसे आदेशों को समाप्त करेगी और समस्त रेलवे में समान प्रक्रिया अपनायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां; जब जल्दी बिगड़ने वाले माल के परेषण आते हैं और पार्सल रवन्ना/रेलवे रसीद या ठीक-ठीक मार्किंग के अभाव में सम्बद्ध नहीं किये जा सकते, तो यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उसका मालिक कौन है और इसी वजह से डिलीवरी मांगने वाले व्यक्ति द्वारा माल का अनुमानित मूल्य जमा कर देने पर माल की डिलीवरी दे दी जाती है।

(ख) जी नहीं; यह कार्याविधि सभी भारतीय रेलों पर लागू है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) यह कार्याविधि इस तथ्य को ध्यान में रखकर अपनायी गयी थी कि कुछ व्यापारियों ने, सामान्य क्षतिपूर्ति नोट पर माल की डिलीवरी लेने के बाद, मूल रेलवे रसीद/पार्सल रवन्ना पेश नहीं किया। इसके बजाय, उनके पास जो मूल रेलवे रसीद/पार्सल रवन्ना थे, उनके बल पर उन्होंने डिलीवरी न मिलने के दावे कर दिये। कुछ व्यापारियों ने मूल्य जमा प्रणाली के विरुद्ध दीवानी मुकदमें दायर किये हैं और इसलिए मामला न्यायाधीन है।

कुन्डरा (केरल) में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने की स्थापना

6339. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल लघु उद्योग सेवा संस्थान ने कुंडरा (केरल) की चीनी-मिट्टी का पूरा उपयोग किया है ; और

(ख) क्या कुंडरा में सरकारी क्षेत्र में इंदौर के समान चीनी मिट्टी का कोई एक सजावट कारखाना स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रत्येक राज्य में स्थापित लघु उद्योग सेवा संस्थान राज्य में उपलब्ध साधनों का स्वयं उपयोग नहीं करते हैं। फिर भी, वे कार्यक्षम उद्यमियों को जो इन संसाधनों का उपयोग करने हेतु उद्योग स्थापित करके के इच्छुक हैं, तकनीकी निर्देशन तथा परामर्शदात्री सेवा प्रदान करते हैं।

(ख) कुंडरा (केरल) में पहले से ही राज्य सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चीनी मिट्टी का सजावट का सामान बनाने वाला संयंत्र चल रहा है जिसका नाम केरल सिरेमिक्स लिमिटेड है।

अखिल भारतीय चमड़ा बोर्ड की स्थापना

6340. **श्री अनिरुद्धन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग बोर्ड की हाल की बैठक में एक अखिल भारतीय चमड़ा बोर्ड स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में हुये विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(घ) चमड़ा बोर्ड द्वारा और किस विकास कार्य का विचार किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : अखिल भारतीय चमड़ा बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को जनवरी, 1970 में लघु उद्योग बोर्ड की हुई बैठक में इस उद्योग में काम कर रहे व्यक्तियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने तथा इस उद्योग को आधुनिक ढंग से चलाने के लिए स्वीकृति दे दी गई थी । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

मूल्यों, वस्तुओं के गुण प्रकार तथा सेवाओं के मामले के उपभोक्ताओं के साथ न्याय के लिए आचार संहिता

6341. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेयर ट्रेड प्रेक्टिसिज एसोसिएशन ने यह सुनिश्चित करने के लिये एक स्वैच्छिक आचरण संहिता बनाई है कि मूल्यों, वस्तुओं के गुण प्रकार और सेवाओं के मामले में उपभोक्ता के साथ न्याय किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो चीजों की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में यह तरीका कहां तक सफल रहा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान की सीमा पर समाज कल्याण कार्य का विस्तार करना

6342. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने समाज कल्याण कार्य को राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में बढ़ाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस विस्तार कार्य पर कितने धन की आवश्यकता होगी ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा उपयुक्त कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के श्रेणी–I के अधिकारियों को स्थायी करना

6343. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री वर्ष 1958 में नियुक्त रेलवे यातायात विभाग के श्रेणी—I के अधिकारियों को स्थायी करने के बारे में 17 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3302 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1954 से अब तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें किस-किस तारीख को हुई हैं और भविष्य में इसकी बैठक कब होगी,

(ख) उस समिति के उन सदस्यों के नाम क्या हैं, जो उन बैठकों में उपस्थित थे,

(ग) क्या उन अधिकारियों के मामलों पर जो कि गत दस वर्षों से स्थायी रूप में नियुक्ति के लिये रुके पड़े हैं, विचार किया जायेगा,

(घ) अधिकारियों में स्थायीकरण आदि के सम्बन्ध में जो असन्तोष व्याप्त है क्या वह रेलवे के कार्यकुशलता में कमी आने का प्रमुख कारण है,

(ङ) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड में कार्य करने वाले अधिकारियों को शीघ्र ही स्थायी कर दिया जाता है जबकि लाइन पर कार्य करने वाले अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे बोर्ड और लाइनों पर अलग-अलग कार्य करने वाले श्रेणी—I तथा श्रेणी—2 के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने अधिकारियों को स्थायी बनाया गया है और कितने अधिकारियों को स्थायी बनाना शेष है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) माननीय सदस्य के अतारांकित प्रश्न 3302 का सम्बन्ध परिवहन विभाग के अस्थायी (अवर्गित) अधिकारियों से है। विभागीय पदोन्नति समिति की पांच बैठकें हुई, अर्थात् 30-1-1965, 18-12-1965, 10-1-1967, 4-4-1968 और 15-4-1969 को। आशा है कि इसकी अगली बैठक लगभग दो महीनों में होगी। इन बैठकों की तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियत की जाती है।

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति में संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होता है जो समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा उसमें रेलवे बोर्ड के दो निदेशक, अर्थात् निदेशक स्थापना और सम्बन्धित विभाग का निदेशक, होते हैं। इनके नाम संलग्न 'अनुबन्ध' में दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3195-70]**

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। इस कल्पना का कोई आधार नहीं है।

(ङ) जी नहीं। रेलवे बोर्ड और रेलों पर अधिकारियों को स्थायी करने की कार्य-विधि एक ही है।

(च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की तारीख	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
30-1-1965	1—श्रीमती बी० खांगमेन, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ।
	2—श्री वी० डी० गौड, निदेशक, स्थापना, रेलवे बोर्ड ।
	3—श्री जगजीत सिंह, निदेशक यातायात (परिवहन), रेलवे बोर्ड ।
18-12-1965	1—डा० ए० अप्पदुरै, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ।
	2—श्री वी० डी० गौड़, निदेशक, स्थापना, रेलवे बोर्ड ।
	3—श्री एन० एस० स्वामिनाथन, निदेशक, संरक्षा, रेलवे बोर्ड ।
10-1-1967	1—श्री बी० सिंह, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ।
	2—श्री बी० डी० (गौड़) निदेशक, स्थापना, रेलवे बोर्ड ।
	3—श्री जी० एस० खोसला, निदेशक यातायात (परिवहन), रेलवे बोर्ड ।
4-4-1968	1—श्री बी० सिंह, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ।
	2—श्री के० बी० कस्तूरी रंगन, निदेशक, स्थापना, रेलवे रेलवे बोर्ड ।
	3—श्री वी० एम० कौल, निदेशक यातायात (परिवहन) रेलवे बोर्ड ।
15-4 1969	1—श्री हरि शर्मा, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ।
	2—श्री के० टी० कस्तूरीरंगन, निदेशक, स्थापना, रेलवे बोर्ड ।
	3—श्री वी० एम० कौल, निदेशक यातायात (परिवहन) रेलवे बोर्ड ।

तमिलनाडु में बिना जोड़ इस्पात पावर मिल

6344. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बिना जोड़ इस्पात पावर मिल स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तमिलनाडु में बिना जोड़ की इस्पाती ट्यूबें बनाने के लिए राज्य क्षेत्र में एक नया एकक स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम, मद्रास से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) : आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है ।

तमिलनाडू बिजली बोर्ड को इस्पाती सामग्री का आवंटन

6345. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू बिजली बोर्ड ने अपने ग्रामीण विद्युतकरण कार्यक्रम के लिये इस्पाती सामग्री का आवंटन किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या तमिलनाडू बिजली बोर्ड को शीघ्र ही इस्पात भेजने में कोई कठिनाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या तमिलनाडू बिजली बोर्ड को अपनी आवश्यकतानुसार इस्पात का आयात करने दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) : जी, हां ।

(ख) से (ङ) : सारे देश में निर्माण-कार्य की गति तीव्र होने तथा बहुत से राज्य-विद्युत बोर्डों द्वारा ग्रामों में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू करने से कुछ किस्म के इस्पात की मांग बहुत बढ़ गई है, अतः संभव है कि तमिलनाडू विद्युत बोर्ड की समस्त आवश्यकता की तत्काल पूर्ति करना कठिन हों । उनकी अत्यावश्यक आवश्यकताओं की यथासम्भव पूर्ति की जाएगी । चूंकि उन्होंने जितना सामान मांगा है उस सब का वे एक साथ उपयोग नहीं करेंगे और इस्पात का सामान प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार सप्लाई किया जा सकता हैं अतः आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

अरकोनम (तमिलनाडू) में लगातार इस्पात ढलाई कारखानों की स्थापना

6346. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडू में आरकोनम में एक लगातार इस्पात ढलाई कारखानें को इस्पात की कमी के कारण स्थापित करने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या तमिलनाडू सरकार ने इस्पात के आवंटन के लिये कई बार निवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अपेक्षित इस्पात आवंटित करने के लिए क्या कार्यवाही की हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) **और (ख)** : तमिलनाडु सरकार ने आरकोनम में लगातार इस्पात ढलाई कारखाने के निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात सामग्री की आपूर्ति में शीघ्रता करने के लिए अभिवेदन किया था ।

(ग) प्रायोजना की प्राथमिकता को देखते हुये संयुक्त संयंत्र समिति को माल की आपूर्ति में शीघ्रता करने के लिए कहा गया है । इस प्रायोजना से बिलेट की जिसकी सप्लाई इस समय देश में कम हैं, सप्लाई बढ़ेगी ।

औद्योगिकी में विदेशी सहयोग

6347. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के भारतीय निर्माताओं को, जहां तक उत्पादन की विशिष्ट प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है; विदेशों में उन्हीं निर्माताओं के साथ सहयोग करने की अनुमति दी गई है;

(ख) वस्तुवार भारतीय निर्माताओं तथा सहयोगकर्ताओं, के नाम क्या है;

(ग) सरकार ने इस दोहरे कार्य को समाप्त करने के लिये जिसके कारण उसी वस्तु अथवा प्रौद्योगिकी के लिये विदेशी मुद्रा बरबाद होती है, क्या कार्यवाही की है; **और**

(घ) कितने मामलों में विभिन्न फर्मों के साथ एक ही प्रौद्योगिकी के लिये एक ही उत्पाद के मामले में सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) (ख) **तथा** (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जानकारी के आयात की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से सरकार ने निश्चय किया है कि ऐसे क्षेत्रों में सम्बन्धित विदेशी सहयोगियों से करार किए हुए हैं तथा उसी जानकारी के लिए कोई नई पार्टी आवेदन पत्र भेजती है; अथवा

जहां एक ही समय के लगभग एक ही क्षेत्र के कई नए एकक देश में स्थापित होने का प्रस्ताव हो ।

बिना टिकट यात्रा करने वालों को रोकने के लिए कार्यवाही करना तथा प्लेटफार्मों पर बाड़ लगाना

6348. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना टिकट यात्रा करने वालों को रोकने के लिये रेलवे प्लेटफार्मों पर बाड़ लगाने के लिये सर्वेक्षण करने के क्या कारण हैं;

(ख) अगर इसके लिये कोई कार्यक्रम बनाया जायेगा तो उस पर कितना व्यय होगा;

(ग) रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलगाड़ी या प्लेटफार्मों के टिकट के बिना व्यक्तियों के प्रति

नरमी दिखाये जाने को रोकने के लिये रेलवे सुरक्षा दल का उपयोग प्लेटफार्मों के दरवाजे बन्द न करने के क्या कारण हैं;

(घ) रेलवे प्लेटफार्मों पर सभी व्यक्तियों को रेलगाड़ी तथा प्लेटफार्म पर टिकट की जांच न करने के कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सम्पति की चोरी का पता लगाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और गत वर्ष कुल कितने मूल्य के पुरस्कार दिये गये ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य रेलवे के प्रशासनिक तथा डिवीजन कार्यालयों में अधिकारियों तथा क्लर्कों की पदावलियों में समान वर्गोन्नति

6349. **श्री नीतिराज सह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के प्रशासनिक तथा डिवीजन कार्यालयों में 1966 से काम में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या कर्मचारियों की संख्या में भी उसी अनुपात में वृद्धि की गई है और यदि नहीं, तो अपेक्षित स्तर पर कार्य कुशलता कैसे कायम रखी जा रही है;

(घ) 1965 से अधिकारियों के संवर्ग में पदों की वर्गोन्नति की प्रतिशतता कितनी है; और

(ङ) क्या क्लर्कों के संवर्गों में पदों की वर्गोन्नति समान अनुपात से की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे बोर्ड तथा जोनल रेलवे के क्लर्कों के संवर्ग तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के संवर्ग में वृद्धि

6350. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में कार्य करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 1955 में कितनी थी और अब कितनी है,

(ख) इसमें वृद्धि होने के क्या कारण हैं,

(ग) उक्त अवधि में विभिन्न जोनल रेलों में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारी संवर्ग में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या क्लर्कों के संवर्ग में भी इसके अभाव में वृद्धि हुई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :

(क) 1965 : 382

1970 : 347

(ख) ऊपर भाग (क) को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(ग) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में 25.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से तृतीय श्रेणी के सहायक सर्जनों के पदों का सामूहिक रूप से दर्जा बढ़ाकर उन्हें द्वितीय श्रेणी के सहायक चिकित्सा अधिकारी बना देने के कारण है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

होशंगाबाद रेलवे स्टेशन के निकट मध्य रेलवे के कृषि क्षेत्र का पट्टे पर देना

6351. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री होशंगाबाद रेलवे स्टेशन के निकट मध्य रेलवे के कृषि क्षेत्र को नीलामी से पट्टे पर देने के बारे में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथाकथित पट्टा बिना नीलामी दिया गया था और राजस्व बोर्ड के आयुक्त ने उसे रद्द घोषित कर दिया था;

(ख) क्या क्लेक्टर ने 15 मार्च, 1969 को प्लाट को कब्जे में ले लिया था;

(ग) क्या उस व्यक्ति ने लगभग तीन वर्ष तक गलत तरीके से अपना कब्जा जमाये रखा; और

(घ) क्या उसके द्वारा अवैध तरीके से अर्जित लाभ को उससे वसूल करने का कोई प्रस्ताव है

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय कार्यालय को मार्शलिंग यार्ड से दूर रखना और इटारसी कन्ट्रोल कार्यालयों को भीलाखेड़ी यार्ड में स्थानान्तरित करना

6352. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के मार्शलिंग तथा अन्य यार्डों में दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक होती हैं क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के माल से लदे वैगन बड़ी संख्या में खड़े होते हैं,

(ख) क्या मध्य रेलवे के भुसावल यार्ड में विस्फोट और कल्याण यार्ड में आग लगने के कारण रेलवे की सम्पत्ति तथा लोगों की प्राण हानि हुई थी,

(ग) क्या रेल गाड़ियों के आने जाने के लिए नियंत्रण कार्यालय अत्यावश्यक हैं,

(घ) क्या अत्यंत सावधानी के तौर पर नियंत्रण कार्यालयों को यार्डों से दूर रखा जाता है, और

(ङ) यदि हां, तो इटारसी नियंत्रण कार्यालय को मिलाखेड़ी में स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। किसी दूसरे स्थान की अपेक्षा रेलवे यार्ड में दुर्घटनाओं की अधिक सम्भावना नहीं रहती।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। यार्डों की निकटता या दूरी नियंत्रण कार्यालयों को स्थापित करने की कसौटी नहीं है।

(ङ) सवाल नहीं उठता। लेकिन वेहतर पर्यवेक्षण के लिए इटारसी नियंत्रण कार्यालय को भिलाखेड़ी यार्ड में ले जाया जा रहा है।

रेलवे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का सम्मेलन

6353. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 तथा 30 सितम्बर, 1969 को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त सम्मेलन ने रेलवे के औषधि निर्माताओं के वेतनमानों तथा उनके लिए पदोन्नतियों के अवसरों की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी।

(ग) क्या अग्रेतर यह सच है कि रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसार सिफारशों पर विचार नहीं किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसा सम्मेलन करने की आवश्यकता तथा उद्देश्य क्या है ; और

(ङ) इस सम्मेलन पर कितना समय तथा धन खर्च हुआ है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने रेलों पर औषध कारकों की पदोन्नति सरणियां और वेतनक्रमों के बारे में सिफारिश नहीं की।

(घ) और (ङ) नीतियों और तत्सम्बन्धी योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन, प्रत्येक विभाग की तकनीकी तथा प्रशासनिक समस्याओं और अन्य मामलों पर विचार विमर्श करने के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों की बैठकें बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। किन्तु इन बैठकों में की जाने वाली सिफारशें अनिवार्य नहीं होतीं और उनके गुण दोष और वित्तीय फलितार्थ के अधार पर उनकी जांच की जाती है। सितम्बर, 1969 में हुई मुख्य चिकित्सा की बैठक पर समय और धन के रूप में उस खर्च की तुलना में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ अधिकारियों जो ऐसे मामलों में बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों के दैनिक भत्ते, लेखन सामग्री आदि पर आम तौर पर होता है। इस खर्च का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। बोर्ड ने नियंत्रित लोगों को, जिनमें सम्बन्धित सेवाओं के प्रतिनिधि भी शामिल थे, दोपहर का खाना भी दिया था जिस पर 515 रुपये 76 पैसे खर्च हुआ।

उत्तर रेलवे के नई दिल्ली स्थित डिवीजन लेखा कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को मानदेय तथा यात्रा भत्ता देना

6354. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के नई दिल्ली स्थित डिवीजन लेखा कार्यालय के कुछ चुने हुए कर्मचारियों के सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों को अनुग्रह-पूर्वक पेंशन देने के लिये नियमित रूप से अन्य स्थानों पर प्रतिमास भेजा जाता है ;

(ख) इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों को बाहर की ड्यूटी के लिये "चुनने" का आधार क्या है और प्रतिमास वे कितनी बार बाहर जाते हैं और वर्ष 1968-69 में उनके यात्रा भत्ते के कितनी राशि के दावे तय हुए ;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों को नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते के अतिरिक्त बाहर के स्थान का मानदेय भी मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में इन व्यक्तियों को मानदेय के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) स (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Free Legal aid to the Poor

*6355. **Shri Janeshwar Misra** : **Shri Valmiki Chaudhary** :
Shri Devindar Singh Garcha : **Shri Hem Raj** :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal for providing free legal aid to the poor ; and

(b) if so, the time by which this proposal is likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem) :

(a) Administration of free legal aid to the poor is primarily the responsibility of State Government and hence no such proposal is at present under consideration.

(b) Does not arise.

होतगी स्टेशन (दक्षिण-मध्य-रलवे) में रलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों की जीर्ण अवस्था

6356. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होतगी स्टेशन (दक्षिण-मध्य-रेलवे) में रेलवे अधिकारियों ने कर्मचारियों को कई वर्षों से खाली पड़े हुए क्वार्टरों में रहने के लिए बाध्य किया है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि वे क्वार्टर जीर्ण अवस्था में हैं और रहने के योग्य बिल्कुल भी नहीं हैं ;

(ग) क्या सरकार उन्हें गिरायेगी और नये क्वार्टर बनायेगी अथवा कर्मचारियों को वर्तमान निजी क्वार्टरों में रहने देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) **से (घ)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पाटल पर रख दी जायेगी ।

विकरोली स्टेशन (बम्बई उपनगरीय स्टेशन) के निकट रेलवे फाटक

6357. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विकरौली (बम्बई उपनगरीय स्टेशन) के लोग विकरौली स्टेशन के निकट रेलवे फाटक खोलने की लगातार मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तक यह कार्य किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) (ख) और (ग) : विखरौली के निकट स्टेशन के दक्षिण की ओर एक नया समपार बनाया गया और 11-4-64 को खोला गया । इसके साथ ही वर्तमान समपार नं० 13 बन्द कर दिया गया जैसा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मान लिया था । क्या समपार 'निक्षेप' के रूप में महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड द्वारा पास में निर्मित मकानों तक पहुँचने के लिए बनाया गया था और उसका खर्च उसी बोर्ड द्वारा दिया जाना था ।

इसके तुरन्त बाद विखरौली गांव के निवासियों ने समपार नं० 13 को फिर से खोलने के लिए महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में एक रिट दायर किया । उच्च न्यायालय ने 27-4-64 को अन्तरिम आदेश पास किया जिसमें रेल प्रशासन को नया समपार बन्द करने और पुराने समपार नं० 13 को फिर से खोलने को कहा गया । इस आदेश पर 1-5-64 को अमल किया गया और तब से मामला बम्बई-सिटी दिवानी अदालत में अन्तिम निर्णय के लिए पड़ा है ।

दोनों समपारों को खुला रखना रेल प्रशासन के लिए सम्भव नहीं है क्योंकि इन दोनों समपारों के बीच मुश्किल से $4\frac{1}{2}$ फर्लांग का अन्तर है और वह भी ऐसे खंड पर जहां रेल यातायात बहुत अधिक है । इसे देखते हुए और यह भी कि समपार नं० 13 को बन्द करने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही रेल प्रशासन नया समपार खोलने के लिए राजी हुआ था नये समपार को फिर से खोलने का सवाल तभी उठेगा यदि दीवानी अदालत यह फैसला करें कि पुराना समपार बन्द कर दिया जाय ।

दिल्ली प्रभाग (उत्तर रेलवे) के स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, तथा गार्डों के सम्बन्ध में दिये गये आदेश को लागू करना

6358. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जी) 67-एल आर I-II दिनांक 25 नवम्बर, 1969 के अनुसार स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, चालकों तथा गार्डों इत्यादि के सभी ग्रेडों में छुट्टी रिजर्व के लिये कम से कम 16. 2/3 प्रतिशत पदों की व्यवस्था की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली प्रभाग में गार्डों तथा चालकों के सभी ग्रेडों अर्थात क, ख, तथा ग के सम्बन्ध में इस आदेश को लागू किया गया है ;

(ग) क्या इसे स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के सम्बन्ध में भी लागू किया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रक्रिया तैयार की है कि खंड रेलवे उसके आदेश को ठीक-ठीक तथा उचित समय के भीतर लागू करती है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और रेलवे बोर्ड द्वारा स्टेशन मास्टरों के सम्बन्ध में इस आदेश को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) परिचालन कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए छुट्टी रिजर्व का न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत 16.2/3 हैं जब कि रनिंग कर्मचारियों के लिए यह 15 प्रतिशत है। रेलवे बोर्ड के 25-11-1968 के पत्र में रेल प्रशासनों को केवल इतना ही अधिकार दिया गया है कि यदि गाड़ी परिचालन को संरक्षा से सम्बद्ध कोटियों में छुट्टी रिजर्व का प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम से कम हो, तो उसे उस न्यूनतम तक लाया जाय।

(ख) और (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक न हो या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयां न हों, तो रेलवे बोर्ड के आदेश रेल प्रशासनों द्वारा सदैव उचित समय के अन्दर क्रियान्वित किये जाते हैं।

मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा मैसर्स मद्रास सीमेंट में सीमेंट की उत्पादन लागत की जांच

6359. **श्री लताफत अली खां** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट संबंधी प्रशुल्क आयोग ने 1961 में मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा मद्रास सीमेंट को सीमेंट पर तदर्थ मूल्य दिया था और आयोग द्वारा 1962 की दूसरी तिमाही में उनकी लागत के बारे में विचार किया जाना था ;

(ख) क्या उनकी उत्पादन लागत पर कभी विचार नहीं किया गया और वे 15 अप्रैल, 1969 तक तीन सूत्री प्रणाली के अन्तर्गत अधिकतम तदर्थ मूल्य लेते रहे हैं, यदि हां, तो उनकी लागतों की जांच न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन कारखानों को जिनमें बाद में उत्पादन आरम्भ हुआ, अधिकतम मूल्य रखने दिया गया और उनके बारे में कोई उत्पादन लागत जांच नहीं की गई; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सौराष्ट्र सीमेंट की उत्पादन लागत, जैसा कि उसके सन्तुलन पत्र से पता चला है अन्य कारखानों की तुलना में सबसे कम है और इसकी साधारण कीमत बिना किसी लागत जांच के सबसे अधिक है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : माननीय सदस्य का ध्यान इस विषय पर सरकारी संकल्प की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसकी एक प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3196/70]

मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स मद्रास सीमेंट के सीमेंट के मूल्य

6360. श्री लतीफ अली खां : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 में सीमेंट की उत्पादन लागत और मूल्यों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त प्रशुल्क आयोग ने मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स मद्रास सीमेन्ट के लिये 1962 के दूसरी तिमाही तक इन एककों की अन्तिम उत्पादन लागत का अध्ययन करने से पूर्व सोन वैली पोर्ट लैंड सीमेन्ट के लिये सिफारिफ किये गये मूल्य से कम मूल्य देने का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त दोनों कम्पनियों को, उनकी उत्पादन लागत का अध्ययन किये बिना और बावजूद इसके कि उनके द्वारा प्रकाशित संतुलन पत्रों से सोन वैली की उत्पादन लागत से कम उत्पादन लागत का पता लगता है, 9 वर्ष तक सोन वैली की तुलना में अधिक मूल्य दिया जाता रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : माननीय सदस्य का ध्यान उक्त विषय पर सरकार के संकल्प की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसकी एक प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3197/70]

सीमेंट के मूल्य

सं० सीमेंट 8 (27) / 61. अपने संकल्प संख्या सीमेंट 8 (5) / 60 दिनांक 20 अक्तूबर, 1960 में भारत सरकार ने यह समझते हुए कि सीमेंट उद्योग के सभी पहलुओं अर्थात् उत्पादन, मूल्य, वितरण, विकास आदि बातों को ध्यान में रखकर इस उद्योग की व्यापक सीमक्षा आवश्यक है, प्रशुल्क आयोग से जांच करने का निवेदन किया था । आयोग ने जांच करने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

2. आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(क) खुले सीमेंट का कारखाने से चलते समय का अन्तिम मूल्य इस प्रकार निश्चित किया जाना चाहिए :

एकक	प्रति मीट्रिक टन मूल्य (रु०)
1. डालमिया भारत	67.50
2. आन्ध्र सीमेंट कं० लि०	73.00
3. उड़ीसा सीमेंट्स	73.00
4. रोहतास इंडस्ट्रीज लि०	73.00
5. मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स	73.50
6. ए० सी० सी०	73.50
7. के० सी० पी० लि० (रामकृष्ण सीमेंट्स)	73.50
8. डालमिया दादरी सीमेंट कं० लि०	75.00
9. बगलकोट सीमेंट कं० लि०	75.00
10. उत्तर प्रदेश सरकार का कारखाना	75.00
11. जयपूर उद्योग लि०	75.00
12. अशोक सीमेंट	75.50
13. इण्डिया सीमेंट्स लि०	76.50
14. सतना सीमेंट	77.50
15. कल्याणपुर लाइन एण्ड सीमेंट वर्क्स	79.00
16. सोन वेली पोर्टलैण्ड सीमेंट कं० लि०	79.00
17. श्री दिग्विजय सीमेंट कं० लि०	79.00
18. पण्यम सीमेंट्स एण्ड मिनरल इंडस्ट्रीज लि०	79.50
19. त्रावणकोर सीमेंट्स लि०	103.00

(ख) कारखाने से चलते समय के इन मूल्यों को 1 जुलाई, 1961 से 30 जून, 1964 तक प्रवृत्त रहने चाहिए । हां, यदि इन मूल्यों प्रशासनिक दृष्टि से भूतलक्षी प्रभाव देना संभव न हो तो अनेक कारखानों के मूल्यों का इस प्रकार उपयुक्त रूप से समायोजन किया जाना चाहिए जिससे 1 जुलाई, 1961 से लेकर उस तारीख तक के मूल्यों का ध्यान रखा जा सके जब ये मूल्य लागू किए गए ।

(ग) सौराष्ट्र सीमेंट्स ऐण्ड कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० और मद्रास सीमेंट्स लि० नाम के जिन दो कारखानों ने 1961 में उत्पादन आरम्भ किया था, उनके बारे में यह सिफारिश की गयी थी उनके खुले सीमेंट का कारखाना निकलता विक्रय मूल्य 77.50 रु० प्रति मीट्रिक टन निश्चित किया जाये । यह दर 1 जुलाई, 1961 से लेकर एक वर्ष तक लागू रहेगी और उनकी लागत के बारे में जांच आयोग द्वारा 1962 की दूसरी तिमाही में की जायेगी ।

(घ) यदि कोई कारखाना एतद् पश्चात् किन्तु जून 1964 से पूर्व उत्पादन आरम्भ करता है तो उसका मूल्य, प्रचलित प्रथा के अनुसार, भारत सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर नियत किया जाये और जब वह कारखाना वाणिज्यिक स्तर पर कम से कम एक वर्ष की अवधि तक नियमित रूप से उत्पादन करता रहे तब उसका मामला विस्तृत अन्वेषण के लिए आयोग के पास भेज दिया जाये ।

(ङ) भविष्य में, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पैक करने का जो खर्च नियत किया जायेगा वह सीमेंट के बोरों के उद्घृत मूल्यों के आधार पर, जब भी वे मूल्य लागू किये जायेंगे, तय किया जाना चाहिए । चूंकि पैकिंग पर होने वाला आनुषंगिक व्यय कारखाना निकलते मूल्यों में सम्मिलित कर लिया गया है, अतः इस व्यय में केवल बोरों की लागत लगायी जानी चाहिए ।

(च) चूंकि बिक्री एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन की व्यवस्था कारखाना निकलते मूल्यों में कर ली गयी है, अतः राज्य व्यापार निगम को इस हिसाब में उत्पादकों व बिक्री एजेन्टों को कोई भुगतान नहीं करना चाहिए ।

(छ) जब कभी (केवल ईंटों के भट्ठों व बिजली पैदा करने के काम आने वाले) कोयले के डिलीवरी मूल्य घटे या बढ़े अथवा खरीदी गयी कारखाने की बिजली के प्रशुल्कों में कोई परिवर्तन हो तो संबंधित कारखानों के सीमेंट के जिन मूल्यों को सिफारिश की गयी है उनको कायम रखने के लिए इस संबंध में उपयुक्त समायोजन किया जाना चाहिए ।

(ज) सीमेंट की अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता हेतु लाइसेंस देने के संबंध में सरकार को लचीली नीति अपनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन पुराने उत्पादकों के पास संसाधन व तकनीकी जानकारी है उन्हें सीमेंट के नये कारखाने खोलने या वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से निरुत्साहित न किया जाये या रोका न जाये ।

(झ) आशा है कि 1964 में सीमेंट की मांग 128 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ जायेगी और सीमेंट के उत्पादन के लिए अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता हेतु लाइसेंस देने की आवश्यकता है ।

(ञ) चूंकि सीमेंट के आन्तरिक व्यापार के संबंध में राज्य व्यापार निगम ने अपने आपको मुक्त ही कर लिया है, इसकी वर्तमान वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

3. सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना को तथा सीमेंट के मूल्यों को एक सीमा तो स्थायी रखने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया है । सरकार सामान्यतः प्रशुल्क आयोग की इस बात से सहमत है कि ऐसी परिस्थिति पैदा की जाये जिससे उत्पादन अपेक्षाकृत बढ़े क्योंकि अन्तिम रूप से विश्लेषण करने पर उससे उपभोक्ताओं का हित होगा ।

4. जबकि प्रशुल्क आयोग ने इस बात को ध्यान में रखा है कि प्रत्येक कारखाने के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली से इस उद्योग के कारखानों को कार्यकुशलता सुधार करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला है, उसने इस उद्योग के अधिकांश कारखानों के लिए लगभग समान मूल्य की सिफारिश नहीं की है क्योंकि विभिन्न कारखानों की उत्पादन लागत में स्पष्ट रूप से बहुत अन्तर है । सरकार ने इस पर अच्छी तरह से विचार

कर लिया है कि प्रत्येक कारखाने की उत्पादन लागत के आधार पर विभेदी मूल्यों की वर्तमान प्रणाली कार्यकुशलता तथा उत्पादन बढ़ाने में सहायक नहीं है और इस उद्योग के लिए एक समान मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि जिन कारखानों को उत्पादन लागत उपेक्षाकृत अधिक है उन पर बचत करने के लिए और अधिक दबाव पड़ सके और जो कारखाने बचत कर सकें उन्हें उसका लाभ मिल सके। तथापि सरकार यह मानती है कि जिन थोड़े से कारखानों की कुछ विशेष कारणों से उत्पादन लागत अपेक्षाकृत काफी अधिक है, उन्हें कुछ समय तक के लिए एक ऐसा अतिरिक्त मूल्य लेने की अनुमति देनी होगी जिससे वे उस समय तक उत्पादन जारी रख सकें जब तक उत्पादन लागत के समान स्तर पहुंच कर एक समान मूल्य पर अपना माल बेचने के योग्य न हो जायें।

5. प्रशुल्क आयोग ने कारखाने से चलते समय के मूल्यों में वृद्धि के क्रम के संबंध में जो सिफारिश की है, उसके बारे में सरकार ने यह देखा है कि मूल्यों में अधिकांश वृद्धि के कारण हैं। सीमेंट उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरूप मजूरी की बढ़ाया जाना; खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पंचाट का लागू किया जाना और उसके फलस्वरूप चूनापत्थर / समुद्री रेत आदि की लागत बढ़ जाना; पहले से अधिक रेल-भाड़ा; कोयले की दरों में वृद्धि; बिजली प्रशुल्कों और साथ ही राज्य सरकारों द्वारा बिजली पर लगाये गये करों में वृद्धि, और स्टोर की अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि। इन सब बातों के होते हुए भी, जैसा कि प्रशुल्क आयोग का विचार है, प्रबन्ध संबंधी अधिक अच्छे नियंत्रण से बचत की जा सकती है और सरकार प्रशुल्क आयोग के इस सुझाव से सहमत है कि इस उद्योग को भविष्य में उत्तरोत्तर अपनी उत्पादन लागत घटाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिए। मकान आदि बनाने के काम आने वाली सीमेंट जैसी आधारभूत चीज के मूल्य में अनुचित वृद्धि को रोकना कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सभी जानते हैं। एक ओर तो उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए और दूसरी ओर उत्पादन बढ़ाने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन देने और उत्पादन लागत घटाने के लिए बचत करने के लिए सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि आयोग ने मूल्य में जितनी वृद्धि करने की सिफारिश की है, उतनी वृद्धि करना आवश्यक है।

6. (क) तदनुसार, सरकार ने इस उद्योग के लिए खुले सीमेंट का एक समान कारखाना निकलता मूल्य 69.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन निश्चित किया है।

(ख) नीचे लिखे कारखानों के संबंध में एक अतिरिक्त मूल्य को, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, अनुमति दी जायेगी।

इण्डिया सीमेंट्स दिगविजय सतना कल्याणपुर	3 रु० प्रति मीट्रिक टन
सोनवेली पनयाम सौराष्ट्र मद्रास	5.50 रु० प्रति मीट्रिक टन
त्रावनकोर सीमेंट्स	25.50 रु० प्रति मीट्रिक टन

(ग) उपर्युक्त मूल्यों में बिक्री एजेन्टों को दिया जाने वाला (1.50 रु० प्रति मीट्रिक टन) और पैकिंग पर होने वाला आनुषंगिक व्यय 1.25 रु० प्रति मीट्रिक टन सम्मिलित नहीं है। इनका भुगतान करने की वर्तमान प्रणाली प्रचलित रहेगी।

(घ) उपर्युक्त मूल्यों में पुनर्स्थापना तथा अनुसंधान, विकास आदि अन्य स्वीकृत कार्यों के लिये 2.00 रु० प्रति मीट्रिक टन का भत्ता सम्मिलित है। इस संबंध में पुनर्स्थापना भत्ते के संबंध में लागू होने वाली वर्तमान प्रक्रिया लागू होगी।

(ङ) ये मूल्य सरकार की कार्यवाही के परिणामस्वरूप जिसमें ईंधन के कारखाने की बिजली के मूल्यों का बढ़ना सम्मिलित है, होने वाले परिवर्तनों के लिए आवश्यकता पड़ने पर किए गये समायोजनों के अधीन रहते हुए 31 मार्च, 1966 तक प्रवृत्त रहेंगे।

(च) नये कारखानों के और पर्याप्त विस्तार के मामलों के बारे में उपर निर्धारित सामान्य ढ़ांचें के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

(छ) खुले सीमेंट का परिणामी बिक्री मूल्य 94 रु० प्रति मीट्रिक टन जमा उत्पादन शुल्क होगा।

इन मूल्यों को निश्चित करने में सरकार ने उस बीच की अवधि का ध्यान रखा है जो 1 जुलाई, 1961 से अब तक बीती हैं। उपर्युक्त कारखाना निकलते व बिक्री मूल्यों को सीमेंट नियंत्रण आदेश के उपबन्धों के अधीन अधिसूचत किया जा रहा है और 1 नवम्बर, 1961 से लागू होंगे। सरकार बराबर इस पर निगाह रखेगी कि इन निर्णयों के लागू होने पर यह उद्योग किस तरह से चलता है और ऐसे उपाय करेगी जो उपभोक्ताओं के हितों में आवश्यक समझे जायेंगे।

7. सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि सीमेंट के उत्पादन के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हेतु लाइसेंस देने की वर्तमान नीति का अभिप्राय सीमेंट उद्योग में पदार्पण करने वाले नये उद्योग-पतियों को प्रोत्साहन देना है किन्तु इसका आशय वर्तमान एककों का विस्तार रोकना नहीं है।

8. सरकार प्रशुल्क आयोग की इस बात से सहमत है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा वितरण कराने की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है।

9. प्रशुल्क आयोग ने कई अन्य सहायक सिफारिशें की हैं। इनको ध्यान में रख लिया गया है। उन पर यथा समय उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाये तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ह० (स० रंगनाथन)
सचिव, भारत सरकार।

भारतीय रेलवे में औषधि निर्माताओं के स्थायी करण के लिये व्यावसायिक परीक्षा

6361. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों पर औषधि निर्माताओं को अपने संवर्ग में स्थायी-करण के पात्र बनने से पूर्व प्रथमोपचार की एक व्यावसायिक परीक्षा देनी होती है।

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक्टरों और नर्सों के लिये ऐसी परीक्षा की आवश्यकता हीं है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर 'हां' है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर ख दी जायगी ।

भारतीय रेलों में औषधि निर्माताओं के पद

6362. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में औषधि निर्माताओं के कितने पद हैं ;

(ख) सभी रेलों में विभिन्न तिथियों को तिथिवार, रिक्त पदों की संख्या कितनी थी ;

(ग) उन्हें न भरने के क्या कारण थे; और

(घ) वर्ष 1968–69 में औषधि निर्माताओं के कितने पद छोड़ दिये गये ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी को जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में प्रकाशन कार्य की नई कम्पनियां

6363. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी नई कम्पनियों ने दिल्ली में अक्तूबर, 1968 से मार्च 1970 तक प्रकाशन कार्य आरम्भ किया;

(ख) उन कम्पनियों के निदेशकों तथा उनके पंजीकृत कार्यालयों तथा मुख्यालयों के नाम तथा पते क्या क्या हैं ।

(ग) इनमें से किन कम्पनियों अथवा उनके निदेशकों और संवर्धकों ने अमरीकी प्रकाशकों और विदेशियों के साथ सहयोग के लिए करार किये हैं ; और

(घ) क्या ये सभी कम्पनियां अपने भवनों के बाहर अपने नाम पट्ट लगाती है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : अक्तूबर 1968 से मार्च, 1970 तक की अवधि के मध्य, हिस्सों द्वारा सीमित इस प्रकार की 14 कम्पनियां दिल्ली में पंजीकृत हुई थी । उनके नाम, पंजीकरण तिथि, पंजीकृत कार्यालयों के पते तथा उनके निदेशकों के नामों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3198/70**]

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मै० अमेरिन्द पब्लिशिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड ने विदेशी प्रकाशक मै० अमेरिन्द पब्लिशिंग कारपोरेशन, न्यूयार्क से सहयोग का करार किया है ।

(घ) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक कम्पनी के लिये अधिनियम की धारा 147 (1) (क) के उपबन्धों की शर्तों में, कार्यालय अथवा वह स्थान जहां उसका कारोबार चल रहा है, के बाहर अपने नाम तथा पंजीकृत कार्यालय का इंगित अथवा नाम पट्ट लगाना, अपेक्षित है।

उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी और कालका शिमला सेक्शनों में डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियों की व्यवस्था करना

6364. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलाभप्रद रेलवे लाइनों पर विचार करने वाली समिति ने यह सिफारिश की है कि उत्तर रेलवे की छोटी लाइन वाले कांगड़ा घाटी सेक्शन और कालका-शिमला सेक्शन पर डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाय ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ वर्ष पूर्व कांगड़ा घाटी सेक्शन के लिये कुछ इंजनों के आदेश दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनके बारे में क्या हुआ है। और इन छोटी लाइन वाले सेक्शनों पर कब तक डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियां की व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। कालका-शिमला खण्ड में कुछ हिस्से पर डीजल इंजन से गाड़ी चलायी जाती है।

(ख) और (ग) 1964–65 में भारतीय रेलों के लिये छोटी लाइन के 25 डीजल इंजन प्राप्त किये गये थे और उनका आबंटन इस प्रकार किया गया था :—

उत्तर	10
दक्षिण-पूर्व-	15

चौथी योजना में छोटी लाइन के 10 डीजल इंजन बनाने का प्रस्ताव है। जैसे जैसे ये इंजन उपलब्ध होंगे अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खण्डों के डीजली करण को ध्यान में रखा जायेगा।

मद्रास जनता एक्सप्रेस गाड़ी को पठानकोट तक बढ़ाना

6365. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री नगर एक्सप्रेस तथा काश्मीर मेल रेलगाड़ियों में वर्ष भर भीड़ रहती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता पूर्वी क्षेत्र और बम्बई (पश्चिमी क्षेत्र) के लोग क्रमशः सियालदह एक्सप्रेस तथा पश्चिमी एक्सप्रेस गाड़ियों का प्रयोग करते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दक्षिण भारत के राज्यों के लिये पठानकोट तक कोई गाड़ी नहीं है और उस क्षेत्र के सैनिकों और पर्यटकों को बहुत कठिनाई होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या जनता की सुविधा के लिये मद्रास जनता एक्सप्रेस को पठानकोट तक बढ़ाने और पठानकोट से दिल्ली तक भीड़ कम करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। अधिकांशतः अम्बाला और पठानकोट के बीच।

(ख) कलकत्ता और पठानकोट के बीच एक सीधी गाड़ी अर्थात् सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस चलती है, लेकिन बम्बई और पठानकोट के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं है, यद्यपि इन दोनों स्टेशनों के बीच 1 अप्रैल से 15 नवम्बर की अवधि में फ्रंटियर डाकगाड़ी में, जो दिल्ली स्टेशन पर काश्मीर डाकगाड़ी से मेल लेती है,...3 सीधे डिब्बे जोड़े जाते हैं। पश्चिमी एक्सप्रेस गाड़ी बम्बई सेन्ट्रल और नई दिल्ली/अमृतसर के बीच चलती है।

(ग) और (घ) दक्षिण भारत के राज्यों से पठानकोट जाने के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है। लेकिन दिल्ली। नयी दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी बदलकर सुविधाजनक समय पर मेल लेने वाली गाड़ियां उपलब्ध हैं। गाड़ी नं० 60 पठानकोट से 22-50 बजे छूटती है और नयी दिल्ली 9-55 बजे पहुँचती है और यह गाड़ी नयी दिल्ली से 10-50 बजे छूटने वाली गाड़ी नं० 18 से मेल लेती है। दूसरी दिशा में, गाड़ी नं० 15 नयी दिल्ली स्टेशन पर 11-10 बजे पहुँचती है और 21-10 बजे गाड़ी नं० 59 से मेल लेती है। इसलिये 17 डाउन/18 अप मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस को पठानकोट तक चलाना न तो आवश्यक समझा गया है और न विशेषतः दिल्ली-अम्बाला खंड में लाइन क्षमता के अभाव के कारण ऐसा करना फिलहाल व्यावहारिक ही है।

बिहार में गोविन्दपुर कोयला खान के निकट रेलगाड़ी के एक डिब्बे से बम तथा छोटे हथियार बरामद होना

6366. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गोविन्दपुर कोयला खान के निकट रेलगाड़ी के एक माल डिब्बे से कुछ बम तथा अन्य छोटे हथियार बरामद किये गये थे; और

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। 24-3-70 को कतरासगढ़ स्टेशन पर एक खाली माल डिब्बा प्राप्त हुआ जिसे कोयला लादने के लिए तिनतुलिया कोयला खान साइडिंग पर लगा दिया गया। जब इसे खोला गया, तो इसमें सैनिक विस्फोटक पदार्थ के 21 बक्से पाये गये, जिसमें से एक के साथ छेड़-छाड़ की गई थी।

(ख) मामले को रिपोर्ट पुलिस स्टेशन/कतरासगढ़ को कर दी गयी और इसकी जांच की जा रही है।

पांडे तथा वांचू समितियों द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिये सुझाये गये मापदंड

6367. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में उद्योगों की स्थापना के लिए पांडे तथा बांचू समितियों ने कुछ माप-दंडों के सुझाव दिया है ;

(ख) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केन्द्रीय सरकार उनका पालन नहीं कर रही है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर हां में है तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पांडे तथा वांचू कार्यकारी दल की नियुक्ति देश भर में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई माप-दंड निर्धारित करने हेतु नहीं की गई थी । पहले कार्यकारी दल की नियुक्ति पिछड़े हुए क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिये कसौटी का सुझाव देने तथा दूसरे की नियुक्ति पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए राज्य कोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में सुझाव देने के लिए की गई थी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव का अखिल भारतीय अनाज विक्रेता संस्था संघ द्वारा विरोध किये जाने के समाचार

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Sir, I call the attention of the Minister of food and Agriculture to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :—

" Protest by Federation of All India Foodgrain dealers Association against move to nationalise wholesale trade in food grains. ".

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : सरकार ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के तत्वावधान में हुए खाद्यान्न व्यापारियों की कनवेंशन की कार्यवाही की रिपोर्ट समाचार पत्रों में देखी है ।

2. सरकार की नीति का उद्देश्य उत्पादक को प्रमुख अनाजों के लिए सरकार द्वारा घोषित मूल्य और सभी महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के बारे में लाभकारी मूल्य दिलाना है और उत्पादक तथा उपभोक्ता का बिचौलिये द्वारा शोषण भी रोकना है । इसे सुनिश्चित करने के लिए देश में विक्रय अधिशेष का काफी उल्लेखनीय भाग सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदने के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी है । भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारें और सहकारी समितियों जैसी सरकारी एजेंसियां खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति तथा सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से उनका वितरण सम्बन्धी कार्य कर रही हैं और इस प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हितों की सुरक्षा कर रही हैं । सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों द्वारा राज्य व्यापार के दायरे को बढ़ाने के बारे में सरकार द्वारा समय समय पर चल रही स्थिति की दृष्टि में विचार किया जाता है ।

Shri Om Prakash Tyagi : The main thing is this whether the policy being followed by Government will be in the interest of the traders or not. The producer can get the

maximum price only when there is a competition in the market. In this connection I will say that the Government should keep in view the cost of production while fixing the price of the foodgrains. The Government should also safeguard the interests of the farmers while fixing the prices.

In is true that the Government have opened centres for the purchase of foodgrains at the rates fixed by it but their working needs improvement. Farmers have to wait in queues for a long time for their turn to come. In this connection I want to know whether the Government have created sufficient storage capacity ? I also want to know whether the Government have necessary funds of four thousand crores of rupees for the purchase of foodgrains through State Trading Corporation ? I further want to know whether the Government have made alternative arrangements for the rehabilitation of the persons who will be rendered jobless as a consequent of taking over this trade by the State Trading corporation ?

The Hon. Minister should also make it clear that there is no conspiracy behind it to bring the deficit States into their own fold.

Shri Jagjiwan Ram : No new policy has been adopted . We have been following the old policy which has been discussed and accepted by this House. Some dealers met in Delhi and passed some resolutions. I do not think that these resolutions are so important that they should be discussed in this House.

The Hon. Member has expressed great sympathy for the farmers. In this connection I may state that farmers are free to sell their produce anywhere they like. They are not bound to sell their produce to the Government. We do not want to exploit them. Similarly the dealers are also free to purchase the foodgrains at a rate higher than Rs. 76 per quintal from anywhere they like. This arrangement has been made in the interest of the farmer as well as consumer. There is a basic difference between the two purchasers i.e. the Government and the private dealer. The Government sends the foodgrains where they are needed most and the dealer sends them at those places from where he gets the maximum profit. The Hon. Member should understand this position.

So far as the question regarding selling price of the foodgrains is concerned I may state that we have to pay sales tax, market and administrative charges, interest on the capital, storage and other charges. All these things are kept in view while fixing the selling price.

We have now created sufficient capacity for storing the foodgrains. The arrangements made by Government are in the interest of both the farmer and consumer.

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : माननीय मन्त्री ने इस समस्या को आर्थिक पहलू से निपटाने के बजाये सभा की भावनाओं को उभारने का प्रयास किया है । लाखों लोग खाद्यान्न का व्यापार करते हैं। व्यापारियों के लगभग 20,000 प्रतिनिधि दिल्ली में एकत्र हुये थे। बम्बई में यह संकल्प पास किया गया है कि खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाये । इसी कारण व्यापारियों के दिल में शंका उत्पन्न हुई है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एकाधिकार को समाप्त करने के लिए यह पग उठाया गया है अथवा साधारण व्यक्ति की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है ।

जब सरकार एक व्यापारिक रूप में बाजार में जाती है और यह कहती कि यदि भाव इस स्तर विशेष से नीचे गये तो सरकार इस चीज को निर्धारित दर पर खरीद लेगी तो व्यापारी के लिए विमान का शोषण करने की कोई गुंजायश नहीं रह जाती । अब जबकि सरकार यह घोषणा कर

रही है कि हरी क्रान्ति के पश्चात देश में अनाज की कोई कमी नहीं और कि कुछ वर्षों में हम अनाज का निर्यात करने लगेंगे तो इस प्रकार का प्रस्ताव पास करने की क्या आवश्यकता थी ?

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बम्बई अधिवेशन में पास किये गये इस प्रस्ताव को कि खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जायें क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है। यदि सरकार एक प्रतियोगिता के रूप में बाजार में प्रवेश करती है और खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारित करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यदि राष्ट्रीयकरण द्वारा लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया जाता है तो हमें आपत्ति है और हम चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा की जाये। क्या आप ऐसे कुछ लोगों कि जो कि शोषण करते हैं गधिविधियों पर विधिवत ढंग से रोक नहीं सकते ? यदि सरकार अनाज के समूचे थोक व्यापार को अपने नियन्त्रण में लेती है तो उसे लगभग 1800 करोड़ रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी। क्या इतनी बड़ी राशि को उत्पादन कार्य पर लगाने के बजाये वितरण पर लगाना उचित होगा ?

सरकार द्वारा इस व्यापार को अपने हाथ ले लेने के फलस्वरूप जो लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे क्या उनको वैकल्पिक रोजगार देने के प्रश्न पर भी सरकार ने विचार किया है और क्या सरकार के विचार में व्यापारी तथा सरकार दोनों के लिए इस क्षेत्र में प्रतियोगी के रूप में कार्य करने की पर्याप्त गुंजायश है !

श्री जगजीवन राम : हमारा अनुभव यह रहा है कि जब भी किसान अधिक उत्पादन करता हैं तो उसको अपने उत्पाद का कम मूल्य मिलता है। मैंने पिछले कुछ वर्षों से किसानों को यह आश्वासन दे रखा है कि यदि वह किसी वर्ष अधिक उत्पादन भी करते हैं तो मूल्यों को गिरने नहीं दिया जायेगा। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी सन्देह नहीं है कि यदि इस मामले को व्यापारियों पर छोड़ दिया जाता है। इस वर्ष भी मूल्य गिर जाते। जहां तक पूंजी का प्रश्न है तो मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार पूंजी का प्रबन्ध नहीं कर सकती तो निजी व्यापारी पूंजी का प्रबन्ध किस प्रकार कर सकते हैं ?

बम्बई अधिवेशन में पास हुए प्रस्ताव को सरकार क्रियान्वित का रही हैं। इस बात का उल्लेख मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में भी किया है। व्यापारी लोग परचन व्यापार कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It has been stated that Government takes over a particular trade for the benefit of the people. I do not want to indulge in this discussion. I simply want to know whether it will be possible for the Government to take over the wholesale trade of foodgrains in a definite period. I would also like to know as to how much foodgrains are being purchased and distributed by Government agencies and private dealers separately ?

The Hon. Minister should also supply figures in regard to the purchase and sale price of foodgrains in various states. I also want to know whether the Hon. Minister will give an assurance that Government will came forward to purchase the foodgrains in time and will also pay reasonable price to the farmers for their produce ?

Shri Jagjiwan Ram : The Government do not intend to take over the wholesale trade of all kinds of foodgrains in the country. The wholesale trade in foodgrains will be nationalised wherever it is considered necessary and where we wanted to nationalise this trade we have already done it.

So far as the question of purchase and sale price is concerned I may state that we purchase it at the rate of Rs. 76 per quintal and we supply to states at. Rs. 78 per quintal and it is sold to consumers after adding 4 to 8 rupees in it. Necessary figures will be supplied to the House is due course.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi -Sadar) : Will the Hon. Minister assure that the prices will not be allowed to fall below this level and that Government will make purchases in time ?

Shri Jagjiwan Ram : I assure the House that we will purchase all the wheat that will be offered to us but we have to see that the wheat which is being offered to us is of good quality because we have fixed the said rate for good quality wheat.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु-प्रकाश सिंह) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of Order. He should not be allowed to speak because he is collecting signatures against the declared Government policy in regard to privy purses.

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मद संख्या 4 (2) (ii) (ख) और 4 (2) (iii) (ख) एक जैसे हैं । उनको दो बार रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रिंटिंग की गलती है ।

भारतीय मानक संस्था का वर्ष 1966–67 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बंगलौर की वर्ष 1688–69 के वर्ष की समीक्षा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इत्यादि

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) वर्ष 1966-67 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड इन्स्टीट्युशन (भारतीय मानक संस्था) के लेखे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3183/70**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सर-कार द्वारा समीक्षा ।

(ख) वर्ष 1968-69 के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ;

(दो) (क) मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) वर्ष 1967-68 के लिए मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(तीन) (क) मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) वर्ष 1968-69 के लिए मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त मद 4 के मद 2 (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3188/70]**

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के वर्ष 1968–69 की समीक्षा

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे :––

(1) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, के वर्ष 1968–69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) वर्ष 1968-69 के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3185/70]

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970 तथा सरकार द्वारा लिये गये ऋण के परिणाम बताने वाला एक विवरण

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1 संविधान के अनुच्छेद (5) (1) के अन्तर्गत, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1970 की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3186/70]**

(2) विनियोग लेखे (सिविल) 1968-69 की एक प्रति ।

(3) अप्रैल, 1970 में भारत सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋण परिणाम बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3187/70]

निर्वाचकों को रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 1970

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मै श्री मुहम्मद यूनस सलीम की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा 131 के अन्तर्गत, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 12 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1033 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3188/70]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा का बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबन्धी समिति ने अपने 13वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :--

(1) महारानी विजयमाला राजाराम छत्रपति फैंसले

(2) श्री पारस भाई पटेल

(3) श्री नारायण दाण्डेकर

(4) महारानी गायत्री देवी

(5) दिज हाइनस यशवन्तराव भुकने ।

मैं समझता हूँ कि सभा समिति का सिफारिशों से सहमत है । इस बारे में सम्बन्धित सदस्यों को सूचना दे दी जायेगी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

61वां प्रतिवेदन

श्री स्वैल (स्वायत्र जिले) : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 61वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

108 वां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाड़ा): मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग)--वन विद्या—के बारे में प्राक्कलन समिति के 76वें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 108 वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1970-71 के बजट प्रस्तावों के बारे में याचिका

PETITION RE : BUDGET PROPOSALS OF CENTRAL GOVERNMET FOR 1970-71

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir I present a petition regarding the budget proposals of 1970-71 on which Dr. Bhai Mahavir and 96183 other persons have signed.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे आप का विनिर्णय चाहिए इस याचिका को प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 160 के अन्तर्गत पेश किया जा रहा है। इस नियम में कहा गया है कि :

"अध्यक्ष की सम्मति से निम्न पर यात्रिकायें सभा में उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी—

(1) ऐसा विधेयक जो नियम 64 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सभा में पुनः स्थापित हो चुका हो।

नियमों में आगे यह भी कहा गया है।

"कि प्रत्येक याचिका, यथास्थिति, सदस्य द्वारा उपस्थापित किये जाने के बाद या सचिव द्वारा प्रतिवेदित किये जाने के बाद समिति को सौंपी गई समझी जायेगी।"

इस याचिका को भी एक माननीय सदस्य श्री कंवरलाल गुप्त द्वारा पेश किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि चीनी, तम्बाकू, पेट्रोल तथा चाय पर जो कर लगाया गया है वह न लगाया जाये। मेरा निवेदन यह है कि वित्त विधेयक पर इस महीने के अन्त में चर्चा होने वाली है।

मेरा निवेदन है कि याचिका समिति से अपना प्रतिवेदन, वित्त विधेयक पर चर्चा आरम्भ होने से पूर्व प्रस्तुत करने के लिये कहा जाय। नहीं तो, याचिका का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : समिति को बजट के बारे में मालूम है। उन्हें शुल्क दरें भी ज्ञात हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं समिति से उन बातों पर ध्यान देने के लिये कह सकता हूं जो श्री बनर्जी ने कहीं हैं। इस विषय में आप आश्वस्त रहें। बजट पारित होने के पश्चात याचिका समिति के प्रतिवेदन का कोई मूल्य नहीं है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past fourteen of the Clock.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 20 मिनट म० प पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at twenty minutes past fourteen of the Clook.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : तेल कम्पनियों के साथ कच्चे तेल की दरों में कमी करने के लिये पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने शीत युद्ध करके जो सफलता प्राप्त की है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । रसायन उद्योग के सम्बन्ध में भी उन्हें ऐसी ही भावना बनाये रखनी चाहिये और रसायन विशेषतौर पर औषधियों की दरें कम करनी चाहिये ।

यद्यपि हम आत्म निर्भरता का ढोल पीटते हैं परन्तु उर्वरकों को अब भी हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है । हमारे लक्ष्यों तथा कार्यों के बीच बहुत बड़ा अन्तर है । उदाहरणार्थ नाइट्रोजन की वर्तमान क्षमता 11 लाख टन है । चौथी योजना के प्रारूप के अनुसार 1973-74 में देश के 37 लाख टन की आवश्यकता होगी । अतः हमें 25 लाख टन अतिरिक्त क्षमता को पैदा करनी है ।

केन्द्रीय सरकार योजनाओं को अन्तिम रूप देने में काफी समय लगा रही है । गैर सरकारी क्षेत्र में 11 योजनायें हैं, और सरकारी क्षेत्र में 7 तथा सहकारी क्षेत्र में 1 योजना है जिनपर सरकार जांच कर रही है । इस मामले को शीघ्र निपटाये जाये ।

सरकार के द्वारा मामलों में देरी करने का एक उदाहरण इस प्रकार है तूतीकोरिन में उर्वरक परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये दक्षिणी पेट्रो-रसायन उद्योग निगम लिमिटेड नामक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना की गयी । यह परियोजना नेप्था पर आधारित है । सरकार ने पहली कम्पनी के नाम में एक पत्र जारी किया इस पत्र को दक्षिणी पेट्रो-रसायन उद्योग निगम के नाम में परिवर्तित करने का सरकार से निवेदन किया गया परन्तु यह मंत्रालय में अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है । नेप्था की स्थितियां बड़ी अजीब है । आज हम इसका निर्यात करते हैं परन्तु 1971 से आगे हम इसे निर्यात करने की स्थिति पहली स्थिति में नहीं रहेंगे, उसमें कमी हो जायगी । यह कमी 1972 में 76,000 टन से बढ़कर 1974 तक 20,46,000 टन हो जायगी ।

तूतीकोरिन उर्वरक परियोजना की तरह अन्य कई परियोजनाओं को नेप्था पर निर्भर रहना पड़ता है । सरकार इन योजनाओं के लिये प्रर्याप्त नेप्था प्रदान करने का आश्वासन देना चाहिये ।

मनाली में अथवा उसके आस पास एक पेट्रो-रसायन कारखाना समूह स्थापित करने के लिये तमिलनाडू सरकार बहुत इच्छुक है । सरकार के कहने पर इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड ने जो प्रति वेदन तैयार किया है; उसमें पैट्रो-रसायन कारखाना समूह की सम्भावना के विषय के स्थिति उत्तम बताई गई है । नेप्था तोड़ने के कारखाने की स्थापना के लिये परिष्कृत तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हैं और आरम्भिक चरण में नेप्था आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये । ये समस्यायें किसी अच्छी विदेशी फर्म की सहायता से सुलझाई जा सकती हैं ।

मैं मंत्री महोदय को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमें मद्रास में सभी प्रकार की कुशल जनशक्ति और आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की सभी बुनियादी आवश्यकतायें प्राप्त हैं। अतः सरकार को इस योजना के लिये अबिलम्ब स्वीकृति प्रदान करनी चाहिये।

कावेरी घाटी में तेल तथा प्राकृतिक गैसे आयोग (ONGC) द्वारा तेल के कुओं की खुदाई के विषय में काफी समय से सुना जा रहा है। गत जून में हमें बताया गया था कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग चिदम्बरम और थन्जावर जिले में कुछ कुएं खोदने वाला है। इस सम्बन्ध में क्या परिणम हुआ है कृपया बताया जाय।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अमोनिया यूरिया और नाइट्रिक गैस संयत्र और नाइट्रोफोसफेट संयत्र की सप्लाई के लिये भारतीय उर्वरक निगम को ट्राम्बे यूनिट को जो ठेके दिये गये, उनकी जांच करने के लिये सरकार ने एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था। इसका प्रतिवेदन नवम्बर या दिसम्बर 1969 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है। हमें आशा है कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

केवल नेवेली लिगनाइट निगम ही देश में लिगनाइट का उत्पादन करता है। लगभग 4.87 करोड़ रुपये की खनन मशीनों की सहायता से लिगनाइट का उत्पादन 45 लाख टन से बढ़कर 63 लाख टन हो सकता है। जब 4 करोड़ रुपये से भी अधिक की आवश्यकता है चौथी योजना के प्रारूप में 2.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था है तब मंत्रालय को सरकार तथा योजना आयोग से तुरन्त ही दूसरी खान यूनिट के बारे में कहना चाहिये। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या लिगनाइट की कमी के कारण बिजली संयत्र बेकार पड़ा रहेगा क्योंकि नेवेली ताप बिजली घर 1970 में पूरा हो जायगा तथा लिगनाइट का उत्पादन बढ़ाने के लिये अतिरिक्त मशीनों की स्थापना 1971-72 तक होगी।

नेवेली लिगनाइट निगम से जो बिजली प्राप्त होती है उसकी दर हाल में 5.2 पैसे से बढ़ाकर 5.9 पैसे कर दी गई है। जिन विशेषज्ञों ने इस परियोजना की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है उनका अनुमान है कि 100% की क्षमता पर एक यूनिट की लागत 0.6 पैसे से 0.7 पैसे तक होनी चाहिये। यदि क्षमता 50 प्रतिशत आंकी जाती है तो इसकी लागत 1.5 पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिये। लेकिन इस मंत्रालय की अकुशलता के कारण तमिलनाडू के लोगों को काफी अधिक मूल्य देना पड़ता है।

नेवेली लिगनाइट निगम/1000 जूनियर इन्जिनियर्स 700 ओवरसीयर्स तथा आपरेटर्स और प्रयोगशाला कर्मचारी अपने वेतनमानों के नवीकरण की मांग कर रहे हैं। वहां काफी असन्तोष है। मन्त्री महोदय को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास दशक में तमिलनाडू सरकार की सहायता से खनिज विकास परियोजना ने 20,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया है। और परिणाम उत्साह वर्धक रहे हैं। मैं मंत्रालय से अनुरोध करूँगा कि उत्तरी एवं दक्षिणी आर्कोट, धर्मपुरी तथा सलेम जिलों में जहां खनिज प्राप्त होने की संभावनायें हैं, खुदाई का कार्य तुरन्त आरम्भ कराया जाय जिससे तमिलनाडू की काया पलट हो सकती है। इस संबंध में हम मंत्रालय की कठिनाईयों को भी नहीं झुठला सकते हैं। इस कार्य के लिये सभी राज्यों की सहायता की आवश्यकता है।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। हैदराबाद को आई० डी० पी० एल यूनिट में पिछले 38 दिन से हड़ताल चल रही है। इस संबंध अन्य कई संसद सदस्यों ने मंत्री महोदय से कहा है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कृपया मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : यह कहना ठीक नहीं है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी देश में सारी खनिज सम्पत्ति के उपयोग करने का प्रयत्न नहीं किया गया। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने देश के दो तिहाई भाग का सर्वेक्षण और अनुसंधान कर लिया है, केवल एक तिहाई भाग शेष रह गया है जिसे आने वाले वर्षों में पूरा कर दिया जायगा।

राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल जैसे चुने हुए प्रदेशों में अलौह अयस्क भंडार की खोज करने के कार्य को तीव्रता प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक भूभौतिक सर्वेक्षण किये गये हैं। इन क्षेत्रों में अनेक ऐसे स्थानों का पता चला है जहां अलौह अयस्क होने की सम्भावना हो सकती है। इन क्षेत्रों में भूभौतिक सर्वेक्षण के पश्चात जमीन पर गहन कार्य आरम्भ कर दिया गया है। अलौह-धातुओं के लिए भी देश के अन्य भागों में इसी प्रकार के सर्वेक्षण कराये जायेंगे। एक भूभौतिक-यूनिट भारतीय भूभौतिक सर्वेक्षण के लिए बनाई जायगी जो शेष देश के अन्दर वायूवाहिक सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर करेगी। देश का भूविज्ञान चित्र, जो खनिज स्थानों का पता लगाने का आधार है, अगले 10 वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना हैं।

इस मन्त्रालय ने दूसरे भी कई उपाय किये हैं। खान तथा खनिज अधिनियम 1957 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव की सरकार परीक्षा कर रही है जिससे खोज करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने और खनन पट्टे प्राप्त करने तथा खानों के तीव्र निकास कार्यक्रम की प्रक्रिया सरल और सुचारू हो सके। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को लाइसेन्स तथा खनन पट्टे दिये गये उन्होंने ठीक प्रकार से खुदाई का कार्य नहीं किया और इस प्रकार जिस क्षेत्र से खनिज उपलब्ध होने की संभावना थी वहां खुदाई ही नहीं हो पाई। इसको दृष्टि में रखते हुए हम अधिनियम की व्यवस्था में कुछ संशोधन करने का विचार कर रहे हैं जिससे कि उन लोगों के खनन पट्टे रद्द किये जा सकें जो निर्धारित समय में स्वीकृत उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करते।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा खनिजों की खोज गति में तीव्रता लाने और इन कार्यों को जितना भी हो सके वाणिज्यिक आधार पर रखने के लिए भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के खनिजों की खोज संबन्धी विभाग को भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के अर्न्गगत ही एक स्वायत्त यूनिट के रूप में प्रथक यूनिट बनाने का निश्चय किया गया है। विस्तृत खनिज खोजों के प्रस्तावों के परीक्षण और उनके शीघ्रता से क्रियाविन्वत करने के उद्देश्य से इस यूनिट की सहायतार्थ एक उच्चस्तरीय तकनीकि दल नियुक्त किया जायगा।

हम छोटे खानमालिकों को खोज कार्य तथा उसके विकास के लिए तकनीकि एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक योजना पर विचार कर रहे हैं। बेकार खान इंजीनियरों को छोटे भंडारों के लिये जब भी सम्भव हो तभी खनन पट्टे देने के प्रस्ताव पर भी हम विचार कर रहे हैं।

जहां तक कोयला उत्पादन का सम्बन्ध है यह ठीक है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरा लक्ष्य 9 करोड़ 83 लाख टन निश्चित किया गया था, परन्तु मध्यावधि पुनरीक्षण में उसे 9 करोड़ 50 लाख टन कर दिया गया। परन्तु अन्त में देश की मांग नहीं बढ़ी जिसके कारण कई खानों को बन्द करना पड़ा। देश के अन्दर जो कोयला उपलब्ध है उसके लिये हमें रेलों पर निर्भर नहीं रहना है क्योंकि रेलों में डीजल तथा बिजली से चलने वाले इन्जनों को बढ़ाया जा रहा है। ताप बिजली घर तथा सीमेन्ट फैक्टरी के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात है। हमें उपलब्ध कोयले के उपयोग के नये ढंग से खोजने होंगे। जिससे खान मालिकों को कठिनाई न हो।

उड़ीसा सरकार ने तालशेर में फोर्मड कोक (Formed Coke) परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। धनबाद में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था ने इस कार्य को पूरा और विकसित कर दिया है। इसके प्रयोग द्वारा कम फासफोरस वाला लौह अयस्क का उत्पादन किया जा सकता है। घरों के उपयोग में आने वाली गैस के उत्पादन के लिये कम ताप वाले कार्बनाइज्ड यूनिट बना सकते हैं। हम इससे धुँआ रहित घरेलू ईंधन भी बना सकते हैं। चौथी योजना के अन्दर कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार कोयले के उपयोग के लिये अन्य मार्ग खोजे जा सकते है परन्तु इसके लिये आर्थिक पहलुओं का अध्ययन अपेक्षित है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सम्बन्ध में इस विचार से सहमति प्रकट नहीं की जा सकती कि इस निगम में कुशलता एवं प्रबन्ध का अभाव है। इस निगम ने कई खानों का विकास किया तथा बाहर से मशीनें मंगायी परन्तु कोयले की निकासी (मांग) कम होने के कारण कई खानों को बन्द करना पड़ा। यदि मांग बढ़ती तो निगम को लाभ हो सकता था। गत वर्ष निगम को 1·21 करोड़ का लाभ हुआ और 1969-70 में यह लाभ 1·7 या 1·8 के लगभग होगा।

राष्ट्रीय ईंधन नीति के अध्ययन के लिए हम एक समिति बना रहे हैं जिससे हम विश्वास दिला सकें कि विकास में गतिरोध नहीं होगा। एल्यूमीनियम के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इसके विस्तार के लिये लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं। देश में इसका वर्तमान उत्पादन 163,000 टन है। मांग लगभग 1·80 लाख टन है। 1970-71 में यह मांग लगभग 2 लाख टन तथा चौथी योजना के अन्त तक यह 2·74 लाख टन हो गयी। आज समस्त एल्यूमीनियम उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में है। हमने सिद्धान्त रूप में इसके विकास को स्वीकार कर लिया है और हम ब्यौरे की जांच कर रहे हैं। दिनांक 6 दिसम्बर को 'हिन्दुस्तान' एल्यूमीनियम कम्पनी को 1,20,000 टन उत्पादन क्षमता का लाइसेन्स प्राप्त हुआ। कम्पनी ने 60,000 टन की क्षमता का एक संयन्त्र स्थापित किया और अब उसकी क्षमता बढ़कर 75,000 टन हो गई है। किन्तु फिर भी 45,000 टन बाकी रहता हैं। हमने इस विषय में उनको लिखा था और उन्होंने जवाब में कहा इसके लिए वे प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं कि जो कार्यवाही उन्होंने की है उन्हें प्रभावशाली कदम कहा जा सकता है और क्या उसके आधार पर वह लाइसेन्स के अधिकारी हैं अथवा नहीं। विषय विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

'दि इण्डियन अल्यूमीनियम कम्पनी' ने बेलजाम में एक संयन्त्र स्थापित किया है। उन्हें अपनी क्षमता में 70,000 टन विस्तार करने का आशय पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने बताया है कि वह तत्काल ही अपनी क्षमता में 10,000 टन विस्तार कर सकने से समर्थ हैं, इसी तरह मद्रास अल्यूमीनियम जिसकी क्षमता अभी 12,500 टन है, उसे अपनी क्षमता दुगनी करके 25,000 टन करने

की अनुमति दी गई है। उनकी उत्पादन क्षमता 15,000 टन हो गई है और लगभग 1973-74 तक निर्धारित क्षमता पूरी हो जाएगी।

आसनसोल के 'अल्यूमीनियम कार्पोरेशन' की उत्पादन क्षमता 7,500 टन है और उन्होंने 15,00 टन का अतिरिक्त विस्तार कर लिया है। शीघ्र ही वे निर्धारित क्षमता पूरी कर लेंगे।

उड़ीसा में जे० के० इन्डस्ट्रीज ने 30,000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का एक आशय पत्र दिया है और हम उस पर आगे विचार कर रहे हैं। कोरबा के सरकारी क्षेत्र की क्षमता 100,000 टन है। यह अल्यूमीनियम संयत्र निर्माणाधीन है और 1972 तक उसके चालू होने की आशा है। जून 1970 तक स्मेलटर के प्राप्त हो जाने की आशा है और 1975-76 तक यह अपना पूरा उत्पादन प्रारम्भ कर देगा। कोयला में भी 50,000 टन की क्षमता है। 1970 तक स्मेलटर प्राप्त हो जाएगा। और 1973-74 तक इसके चालू होने की आशा है यह भी 1974-75 तक अपना पूरा उत्पादन शुरू कर देगा।

पर्याप्त मात्रा बौक्साईट प्राप्त होने के कारण हमारा अल्यूमीनियम उद्योग सुरक्षित स्थिति में है। इस तरह सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों का ही काफी विस्तार हुआ है और आगामी वर्षों में हम अल्यूमीनियम केब्ल्स जैसे तैयार उत्पादनों का निर्यात करने की आशा करते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहूंगा कि हम इस वर्ष अल्यूमीनियम अनुसंधान संस्था स्थापित कर रहे हैं। इससे बोक्साईट के नमूनों के परीक्षण तथा मिश्रित धातुओं के विकास में सहायता मिलेगी।

कल श्री बोहरा ने बताया कि तांबा के लिए हमारे पास 2 करोड़ 40 लाख टन की क्षमता है। राजस्थान के खेतरी और कोलिहन क्षेत्र में 7 करोड़ टन और 3 करोड़ 13 लाख 50 हजार टन तांबा के उपलब्ध होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के नल्ल कोण्डा और मैलारम और मैसूर में चिताल दुर्ग हैं। इन सभी भण्डारों में एक साथ काम शुरू किया जा रहा है क्योंकि देश में तांबे की अत्यधिक आवश्यकता है और प्रतिवर्ष हम इसके आयात में मूल्यवान विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 9 करोड़ रुपये का तांबा आयात किया। अतः हम हर सम्भव उपाय से इस महत्त्व-पूर्ण अलौह धातु के आयात में कमी करना चाहते हैं।

बिरला बन्धुओं ने मार्च 1961 में राजस्थान का खेतरी क्षेत्र सरकार को वापिस कर लिया था तब यह क्षेत्र राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दे दिया गया। मई 1961 में यू० एस० ए० की एक कम्पनी वैस्ट्रन नैपइन्जीनियरिंग कम्पनी को परामर्शदात्री कम्पनी के रूप में नियुक्ति कर लिया था। 1963 में अमरीको सहायता ऐजेन्सी से 9 करोड़ रुपये ऋण देने की प्रार्थना की गई। उन्होंने पहले तो यह सहायता देने का बचन दे दिया पर बाद में नहीं दी। 1965 में एक फ्रांसिसी फर्म बेनाट-पिकएन्सा को विस्तृत रूप से डिजाइन तैयार करने इन्जीनियरिंग सम्बन्धी कार्य यथा उपक्रमों की सप्लाई सम्बन्धी प्रस्ताव को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। अक्टूबर 1966 में सरकार ने इस परियोजना को 31,000 टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। हिन्दुस्तान कॉपर कार्पोरेशन 9 नवम्बर 1967 को स्थापित किया गया था। इस योजना के मुख्य संयन्त्र निर्धारित समय-सूची के अनुसार अपना कार्य आरम्भ कर देंगे। हम देश में उपलब्ध अन्य छोटे-छोटे निक्षेपों के विकास का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि पर्याप्त तांबा उपलब्ध हो सके। मैं जस्ता के बारे में कुछ शब्द कहना

चाहता हूं । वस्तुत: दि हिंदुस्तान जिंक एकक भारतीय धातु निगम के अन्तर्गत था । जब इस कम्पनी ने काम शुरू किया तो प्रारम्भ में यह केवल 500 टन जस्ता ही निकाल सकती थी और अब सरकार के अधिकरण में आने के बाद इसकी क्षमता 900 टन प्रति दिन हो गई है । प्रतिदिन 2000 टन अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए हमने फरवरी में एक लाभदायक संयन्त्र प्रारंभ किया है और आशा है भारतीय धातु निगम द्वारा निर्धारित समय दिसम्बर 1971 तक हम 2,000 टन अयस्क उत्पादन करने की स्थिति में पहुंच जायेंगे । हमारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है । हम जस्ता के अन्य भंडारों का भी विकास कर रहे है और साथ ही हम अन्य क्षेत्रों का भी विकास करेंगे जिससे अयस्क उपलब्ध होता रहे और उत्पादन में रुकावट न हो । यही कारण है कि हिंदुस्तान जिंक में काम भली-भांति चल रहा है पांचवी योजना में इसका विस्तार 36,000 टन प्रति वर्ष कर दिया जाएगा पुनः इसका विस्तार 54,000 टन तक होने की संभावना है इस प्रकार अकेले राजस्थान में 1 लाख टन जस्ता निकलेगा जिसमें से जरा भी बाहर नहीं भेजा जाएगा हमारे काम में रुकावट न आए इसलिए हम अयस्क का आयात भी कर रहे हैं और जिस क्षण हमें अपनी आवश्यकता के अनुकूल अयस्थं प्राप्त होने लगेगा हम आयात बन्द कर देंगे । जहां भी सीसा भण्डार उपलब्ध है वहां हम उनके विकास का प्रचलन कर रहे हैं । दरीबा का निक्षेप काफी बड़ा है अतः हमें पर्याप्त मात्रा में सीसा उपलब्ध होगा । उड़ीसा की सुखिन्डा तहसील में भी निकल का विकास किया जा रहा है । हमने व्यवहारिक रिपोर्ट के लिए यह मामला एक परामर्शदाता को सौपा है और हम इस वर्ष के अन्त तक काम चालू कर देंगे । खेतरी और हिंदुस्तान जिंक के सम्बन्ध में मैंने समय-सूची को जानकारी दे दी हैं । जब तक हमारे सम्मुख एक लक्ष्य तिथि न होगी तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते । हो सकता है निर्धारित तिथि से एक दो महीने देर हो जाए फिर भी हमें उसी को लक्ष्य बना कर आगे बढ़ना होगा । जहां तक हीरों का प्रश्न है पटना और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में वज्राकरूर और रामलकोटा में इसके कुछ भण्डार है । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने यह काम अपने हाथों में ले लिया है । वहां पर हीरों के मिलने की अच्छी संभावना है और हम आशा करते हैं कि हमें बड़ी मात्रा में हीरे प्राप्त होंगे । अतः किसी भी राज्य में यह भंडार है हम उन चौथी योजना के अन्तर्गत उनका विकास करेंगें ।

श्री जी० विश्वनाथन : मन्त्री महोदय ने नवेली परियोजना के विषय में कुछ नहीं कहा है ।

श्री जगन्नाथ राव : चौथी पंचवर्षीय योजना में नवेली निगम के खनन लक्ष्य को बढ़ाकर 60 लाख टन कर दिया जाएगा । इसके लिए 4½ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । आवश्यक उपकरणों की सप्लाई के लिए फर्मों को क्रय आदेश दे दिये गए हैं ।

श्री स० कुन्डु : खेतड़ी खनन परियोजना घाटे पर चलने वाली परियोजना है वहां उत्पादन के लिये आयात की गई मशीनरी भी बेकार पड़ी है और न ही लक्षित उत्पादन भी हो रहा है । क्या सरकार इस विषय में जांच कराएगी ।

श्री धीरेश्वर कलिता (गौहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पैट्रोलियम रसायन एवं धातु मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ा है । कच्चे तेल के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो सशक्त नीति प्रस्तुत की है उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं कम से कम वे विदेशी तेल कम्पनियाँ जो कच्चे तेल का आयात कर रही हैं उन्हें कच्चे तेल की कीमतों में कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा है वस्तुतः यह उनके मंत्रालय

के लिए महान उपलब्धि है। कच्चे तेल के आयात के सम्बन्ध में भी सरकार को कुछ उपलब्धि हुई है। किन्तु इतने से ही उन्हें सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए।

हम सब इस बात को जानते हैं कि कुछ समय पूर्व सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों को अशोधित तेल के मूल्यों को कम करने के लिए कहा था। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि उस समय सरकार के मस्तिष्क में कोई वैकल्पिक प्रबन्ध था। मेरा निवेदन यह है कि इन कम्पनियों को प्रति-वर्ष 132 से 134 करोड़ रुपये के मूल्य का शोधित तेल के आयात की अनुमति देने के बजाए सरकार को यह काम स्वयं अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। इन कम्पनियों को अशोधित तेल के आयात की अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उर्वरक नीति के सम्बन्ध में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। हाल ही में योजना आयोग ने उर्वरकों के आयात के लिए 1200 करोड़ रुपये आंवटित करना स्वीकार किया है जबकि उर्वरक में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए हमें 300 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। इस दृष्टि से देखने पर उर्वरकों के आयात के लिए 1200 करोड़ के आबंटन की योजना अनुचित लगती है।

मीठापुर परियोजना पर बहुत समय से निर्णय नहीं किया गया है।

हिन्दुस्तान तांबा परियोजना के अन्तर्गत भी उर्वरकों का कुछ उत्पादन करने का प्रस्ताव था परन्तु अब तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमें प्रतिवर्ष विदेशों से 400 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरक का आयात करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ सरकार अपनी इस नीति में परिवर्तन करे तथा विदेशों से उर्वरक आयात करने के बजाए आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए 300 करोड़ रुपये तुरन्त इस मंत्रालय को दिए जाएं। दि खेतड़ी हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट का मामला 1945 से लटक रहा है। महराजा ने इसे बिरला बन्धुओं को सौंप दिया और बिरला बन्धुओं ने भारतीय सरकार को इस परियोजना पर अभी तक 30-40 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है इसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ होगी। 1972 तक इससे 31,000 टन तांबा उत्पादित होने की आशा है लेकिन पिछले 25 वर्षों में इससे कुछ भी तांबे का उत्पादन नहीं किया गया। खेतड़ी तांबा परियोजना हमारे राजकोष पर एक बहुत बड़ा भार है इस परियोजना के समूचे कार्य की जांच करने के लिए एक संसदीय जाँच समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए।

सरकर ने हाल ही में समुद्र से कच्चे तेल को निकालने का कार्य प्रारम्भ किया है और यह अच्छी परियोजना है किन्तु बात यह है कि क्या समुद्र से तेल निकालने के कार्य को आरम्भ करने से पहले भूमि से तेल निकालने का कार्य समाप्त कर लिया है? क्या सरकार ने आसाम, त्रिपुरा, मनीपुर, नेफा, पश्चिमी बंगाल, गंगा घाटी, पंजाब, कश्मीर तथा दक्षिण क्षेत्रों में भूमि से तेल निकालने का कार्य समाप्त कर लिया है। 1967 में हमें गंगा की घाटी में संभावित तेल भंडार के विषय में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था पर इस दिशा में अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। भूमि से तेल निकालने के बजाए सरकार समुद्र से तेल निकालने पर ज्यादा जोर दे रही है। किन्तु समाचार पत्रों की सूचनाओं के अनुसार समुद्र में जिस स्थान पर उन्होंने तेल निकालने का कार्य आरम्भ किया है वह खतरनाक है, और इससे सारी परियोजना विध्वंस हो सकती है। अतः भूमि से तेल निकालने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जहां तक भारत में काम कर रही विदेशी तेल कम्पनियों के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों का सम्बन्ध है मेरा निवेदन यह है कि इन करारों को खत्म किया जाना चाहिए। इन

करारों को जारी रखना भारत सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। 1968 में तेलों के मूल्यों के बारे में इस सभा में चर्चा हुई थी जिसके फलस्वरूप शांतिलाल शाह समिति नियुक्त की गई थी इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। सरकार को यह प्रतिवेदन अविलम्ब सभा के समक्ष रखना चाहिए ताकि सभा चर्चा करके किसी निर्णय पर पहुँच सके। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन करारों के कारण मद्रास, हल्दिया, आसाम, अहमदाबाद तथा लगभग समूचे देश को ही हानि उठानी पड़ रही है।

जहां तथा स्वायत्तशासी निकायों का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि मजदूरों तथा प्रबंधकों के आपसी सम्बन्धों को सुधारने के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रयोग समाप्त किया जाना चाहिए।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : Sir, I wish to draw the attention of the Hon. Mi-Minister for Petroleum and Chemicals and Mines and Metals to the disorderliness prevailing in the three pharmacutical and surgical instruments manufacturing factories. There is a great loss to the country because of strikes in these factories. The entire matter should be investigated and the officials found guilty should be punished. Foreign oil Companies should be nationalised . There is strike going on in Syenthtic factory of Hydrabad. Their demands should be met. The report of the inquiry Commission on Water pollution of Ganga river should be considered immediately. The persons found guitly should be punished.

According to the news papers it was expected that agencies of petrol pumps etc. would be given to the unemployed graduates : But it is the matter of great concern that the applications of unemployed graduates have not been considered for a long time while other persons have been provided with such agencies. Therefore, I request that their applications should immediately be dealt with a sympathetic approach.

It has been observed that certain owners of the petrol pumps mix Kerosine Oil with the petrol. The matter should be looked into by a high level enquiry committee. The persons who are found guilty should be brought to book.

I am sorry to say that the manager of fertiliser factory, Barauni has a partial attitude. He gives employment in the factory only to those persons who belong to Punjab. Even the well educated persons of Bihar are not given any job in that factory. I request that the Hon. Minister should look into this matter and see that the interests of the people of Bihar are not ignored.

The powers of the Chairman of Oil and Natural Gas Commission should be limitedl to a great extent. The Government must have the power in their hands.

Now I would like to draw the attention of the Minister towards, the activities of Oi and Natural Gas Commission, Dehra Dun. This Commission wanted to take the two tea estates in Assam, Nazira and Gelki. for drilling oil and they fixed the value of these estates for Rs. 10 lakhs. But later an amount of Rs. 60 lakhs,was allotted out of which Rs Rs. 10 lakhs each were given to the owners of the estates. The rest of the amount went in the pockets of the Chairman. and other high officials of the Commission. This being a serious case I request the Minister to institute an inquiry into the alleged matters.

Another instance of corruption on the part of the Chairman is that without taking permission from the Government of India, the Chairman gave orders for the purchase of pipes worth Rs. 5 crores. I came to know that the same pipe is available in Canada for half of this price. Hence it is as clear as day light that the Chairman has committed bungling for about Rs. 2 crores. He went toCzechoslovakia with his wife and Mr. Khemka a seth from Rajastan. I want to know who met this expense ?

I am told that this Chairman has constructed a building of his own in Dehradun worth about 2 lakhs. He deputed an engineer who is working under the Commission and is paid by the Commission for his personal. purposes Therefore. I strongly plead that a sudden probe must be instituted into these matters and if he is found guilty, he should be severely dealt wth.

The Minister always says that due to the lack of foreign exchange, we are not in a position to make oil explorations on a large scale. But what a large amount this Chairman is spending in tours and other purposes every year ; Once this Chairman was deputed for the resettlement of refugees in Dandakaranya. There also he misused the money allotted for the scheme.

Hence the Minister is requested to take necessary actions in this regard.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Deputy Chairman, this Government raises attractive slogans of social justice, anti-monopoly and slogans of big leap in production. But the Government is contradicting the whole matter. To curb the growth of monopoly, to give social justice, public sector undertakings should be installed on a large scale. The Government is committed to a policy of increasing the public sector undertakings. Then why did they issue license to Birla for setting up a fertilizer project in Goa ? I have no complaint in giving license to any body, but I cannot like the political motive inherent in it.

If the Government has the real motive to step up production, then why did they commit delay of six years in giving license to Birla ? Had license been issued earlier, production in this direction would have been stepped up by now. If the Government is sincere to this declared aim of social justice, then why did they give license to a man, against whom a series of allegations have been levelled, from time to time ? If the Minister is not willing to give the correct answer, I would like to say that this Government is playing dirty game against the Parliament and the will of the people. They under the disguise of increasing production, are doing away with social justice.

The Government is proposing to set up new undertakings with a view to increasing the employment potentialities. The private enterprenuers are purely profit motivated. How for the Government implemented their radical measures ? All the promises given in the Bombay Session proved to be a fraud.

Sulphur is produced in Amjhor in Bihar. But it is not utilised in Sindhri festilizer Plant., The reason mentioned is that the sulphur produced in Amjhor is costly. The Government imports sulphur from abroad. When they import sulphur from abroad, they meest put stress on minimising the expenses. Those who will be deprived of job, must be provided alternative jobs. But the employees are retrenched and, sulphur is imported from foreign countries, and thereby we an loosing foreign exchange.

श्री त्रिगुण सेन : हम गंधक का आयात नहीं करते ।

I am a firm supporter of public undertakings. The first step to stop private enterprises is to nationalise the foreign industries. But this Government is giving free-hand to foreign industries. Why this Government is not nationalising the foreign oil companies such as Esso, Caltex, Burma Shell etc. Every year they extract a very large amount from this country.

The functioning of Indian Oil Corporation is dissatisfactory. Hitherto, they could not install a pump in Bombay. I urge the Minister to give the data regarding the installa-

tion of Petrol Pumps in big cities like Calcutta, Bombay, Delhi etc. Then we can realise the inefficiency of Indian Oil Corporation.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० अव्हाण) : माननीय सदस्य को जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि भारतीय तेल निगम को, जो 1960 में शुरू हुआ, तेल की कुल बिक्री का 44 प्रतिशत प्राप्त है और अगले वर्ष यह प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know regarding Bombay. This is my specific question. Another point which I want to emphasise is that the sooner we abolish the agencies, the better for the effective functioning of public sector.

If the functioning and setup of public sector undertaking is the same as that of private undertakings what is the benefit of public enterprises? But if the Government is much particular in maintaining the agency, then they should give it to poor Harijans or adivasis. Agencies of all Petrol Pumps, Fertilisers etc. should be given to Harijans and adivasis. Then only this Government can be considered to be honest to their cause. I want clear reply from the Minister

Shrimati Lakshmi Kantamma (Khammam) : Mr. Deputy Speaker, I suppor the demands for the Ministry of Petrolium, Chemicals, and Minerals. Only thsoe countries which are rich in oil, can prosper in this modern world. We must give top prionity to this aspect. It is highly essential that India should become self reliant in the field of oil.

The State Government and members of Parliament from our State have made repeated appeal to the Central Government to explore the possibilities of oil in the Krishna Godavari river basin. About three years ago, Russian experts had confirmed the possibility of getting oil in this area. But inspite of repeated correspondence and deputation, the Central Government has not resorted to any positive measure. But ,now on the contrary they say that it cannot be given priority. This stand is not well-thought one. Hence I would like to appeal to the Minister to make necessary arrangements for survey of this area. Otherwise it will help creating doubts in the minds of the people about the real motive of the Government. At least three Sismic parties should be sent to this area. I cannot understand why the Chairman of O. N. G. C. and the Minister are not taking interest in this matter. The Russian Seismetic expendition in its report had mentioned of the immense possibilities of oil in this area. I firmly believe that Sahli district in Andhra Pradesh is pregnant with oil and any effort in this direction will be fruitful.

Andhra Pradesh is considered to be the 'grannary ' of India. With the improvement in irrigation, the need for fertilizers and insecticides have also increased immensely. Keeping this necessity in view, the Government should set up an insecticider plant in Andhra.

Manganese ore is exported in large quantity. But the Government is imposing ex-export duty on Manganese. As a ressult export has come down considerably. I request the Government to remove the export duty on manganese ore.

In the areas of Hyderabad and Mehbubnagar there an hidden treasures of quarleeze and falspar. In the international market, these things have a high value. This will contribute immensely to our foreign exchange.

In Karnool and Kadappa, barytes is available in plenty. The main difficulty is that these areas are for away from port. Due to the heavy expense in the transportation, we are unable to stick on in the international competition. If the railway charge-rate is decreased, we have immense possibilities of our export being improved.

Raylalaseema in Andhra is a back ward area. Diamond is available there. In Ranagiri and this area it is reported that there are hidden treasures of Gold. Now the exploration has been started. I thank the Minister for his interest in the affairs of Andhra.

Shri Shinkare (Panjim) : Mr. Deputy Speaker, I would like to draw the attention of the Government towards Goa Mining business started there on a small scale in 1914. At that time means of transportation was bullock-cart. But now the business has increased to a very great extent. Now 7.5 million tonnes of iron ore and manganese ore is exported from Goa. We earn Rs. 40 Crores as foreign exchange. We have to look into the facilities given by the Ministry. The Minister has said that, lease is distributed to all mines whether small or big. The Government gives instructions as to how much they must produce etc. But such a situation should not be created in which production is hindered.

When the Government is taking decisions on the distribution of lease they must take into account the conditions of states. The minerals in Goa are exported in full, where as that of Madhya Pradesh is used in manufacturing steel. In this connection I would like to put forward a suggestion. A functions Committee Should be set up comprising members from foreign Trade Ministry, Transport and Shipping Ministry and representatives from Ralway and mines. This Committee will decide what facilties should be given to mines. For example, 1 would like to say one thing about the Marma Goa port. Unless a broad gauge line is installed to take the minerals to this port, transportation process will face much difficulties. Therefore to give necessary suggestions in this regard to all concerncerned ministries members from the concerned ministries must be there.

I have to say one thing about the Zoari frtrilizer plant. This issue raised a furore in and out of Parliament. So far as I know, an American Corporation has 54 per cent. shares in this plant. But they are not taking the administrative responsibility in their hands. They have rendered valuable services in Africa, and other countries of Asia. Since the Government has issued license for this plant, I extend my sincere thanks to the Govvernment. Had it been in the Public Sector, we would have welcomed it more gladly. But anyway we are satisfied with it. Only some Tatas and Birlas of Goa are criticising this. Employment potentialities will be imensely increased by this plant. People like me are only concerned with more and more production whether it is in public Sector or pri-private Sector. We want the production to be increased. Since the Government has taken a good step, I come forward to thank them.

At the time of opening of a branch of M. M. T. C. in Goa, it was assured that this Branch would purchase ore from the small mine owners. But this assurance has not so far been implemented with . The results is that the small mine-owners in Goa have to sell their produce to the big mine-owenrs and capitalists at a very small margin of profit. Something should be done in this regard.

Shri C. Gautam (Balaghat) : I riise to support the demands for grants relating to the Ministry of Petroleum and Chemicals and Metals and Mines. The progress which has been made in the mines and Metals front in quite commendable and the Minister-incharge of this Ministry deserves congratulation.

Besides the old mines where mining operations are being carried an as usual, a number of new schemes have been undertaken to dig iron ore from new mines. Crores

of tonnes of iron ore is being produced. A contract in respect of 7 crores tonnes of iron has been signed and this transaction is to be completed by 1979. 80 lakh tonnes of iron ore is planned to be mined from Balladilla mines nos. 5 and 14 every year. Besides this, 20 lakh fonnes of iron ore is proposed to be dugf from Kiriburu mine every year and thus we are going to get an additional quantity of one crore tonnes of iron ore every year. Not only this, iron ore is being produuced in Bhilai, Donomalai, Kudremukh and at some other places also. If all goes well and this rate of progress is maintained, we will be able not only to meet our requirements but also to export iron ore abroad and thus earn foreign exchange.

The Shidy Team on iron ore has emphasised the need for the production of quality processed iron. Due consideration should be given to this matter.

The price of manganese ore can be brought down in Goa as there the transport is cheaper. Wide-spread deposits of manganese ore are available in Balaghat, Nagpur and Bhandara.

A few years ago, when most of the mining operations were being carried on by the private Sector, the Government was getting royality and land rent besides export duty, income-tax and sales-tax etc. and its price was Rs. 200 per ton. At that time there was a big company know as C. P. M. O. which used to make huge profits every year.

But now the Manganese Ore (India) Ltd. is running at a loss. There is slump in the market and its price has now come down to Rs. 110 per tonne. It is good that an agreement for the export of 3 lakh tonnes of this ore has recently been signed, but this is not going to help the above company much as huge stocks of iron ore are lying with it.

A number of areas have been reserved for public Sector companies. No private individual can get lease in these areas. Public sector has been given a number of mining leases but it is not working at all. Moreover the mine-owners are not making any profit as the production cost comes to Rs. 103 per tonne. In the circumstances, some licences should also be given to private sector companies.

In order to promote this trade the increase of Rs. 2.60 per tonne affected recently in the railway freight rate should be withdrawn and the rate should be further reduced.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरि) : 1963 से यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि कोंकण क्षेत्र में कोयना एल्यूमीनियम परियोजना स्थापित की जायेगी परन्तु खेद है इस आश्वासन को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इस परियोजना को कब आरम्भ किया जायेगा।

कोंकण एक पिछड़ा क्षेत्र है। यहां पर पिछले कई वर्षों से न तो कोई रेलवे लाइन ही बिछाई गयी है, न ही कोई पत्तन और न ही सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई कारखाना ही खोला गया है। बार-बार यह कहा जाता रहा है कि वहां पर कोई कारखाना खोलना लाभकारी नहीं होगा। आखिरकार इस क्षेत्र में 40 लाख लोग बसते हैं और इन लोगों की कुछ मांगें और आवश्यकतायें हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिये। इस क्षेत्र के विकास के मामले को राजनीतिक बातों का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिये और इस क्षेत्र का विकास करने के लिये कुछ ठोस उपाय किये जाने चाहिये।

दूसरी बात, जिसकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है, यह है कि देश में नकली औषधियों तथा इनके काफ़ी ऊंचे मूल्यों के बारे में बराबर शिकायत रही है। हम जानते हैं कि औषधि निर्माता मोटरगाड़ियों, रसायन, इस्पात, तेल आदि के निर्माताओं की तुलना में दुगना मुनाफा कमा रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अमरीका में औषधियां निर्माण लागत से 18 से 20 गुना अधिक मूल्य पर बेची जाती है, जबकि भारत में यही औषधियां इनसे भी अधिक मूल्यों पर बेची जाती है हालांकि अमरीका एक धनी देश है। सरकार को आयात पर नियंत्रण रखने की पूरी शक्ति प्राप्त है क्योंकि सरकार विदेशी विनियोजन सम्बन्धी तथा अन्य करारों की मंजूरी देती हैं और इस प्रकार मूल्यों पर नियंत्रण रख सकती है। यह जानते हुए भी कि औषधि उद्योग पर एकाधिकारी नियंत्रण की काफी गुंजाइश है और उपभोक्ता को इस मामले में कोई विकल्प नहीं है, सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। परिणाम यह है कि औषधियों के मूल्य एक अधिक समृद्ध देश अमरीका में औषधियों के मूल्यों से भी अधिक है। उदारहणार्थ यहां पर टैट्रासाइक्लाइन के चार कैपसूलों की कीमत 4.90 रुपये हैं जबकि अमरीका में एक कैपसूल 1.50 सैंट का बिकता है। इसी प्रकार सरपासिल की एक हजार गोलियों की कीमत अमरीका में 63 सैंट अर्थात लगभग 4.73 रुपये है, जबकि भारत में 4 कैपसूल 5.30 रुपये के बिकते हैं। इसका कारण यह है कि सरकार इन पदार्थों का आयात जातिगत नाम की बजाए व्यापार-चिन्ह के आधार पर करती है। यदि औषधियां का आयात करने में थोड़ी-सी सावधानी बरती जाए, मूल्यों के निर्धारण के मामले पर एक संसदीय समिति बनाई जाये, सरकारी क्षेत्र के कारखानों का अधिक दक्षता से संचालन किया जाए और इस प्रकार औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाए और गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों को वही मूल्य लेने पर बाध्य किया जाए, तो स्थिति में सुधार हो सकता है।

पेटेंट विधेयक को सबसे पहले 1957 में पेश किया गया था, किन्तु इसे अभी तक पारित नहीं किया गया है। इसमें और अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये और इसे कम-से-कम अब पारित कर दिया जाना चाहिये।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : इस समय देश में 10 तेलशोधक कारखाने हैं जिनमें से चार सरकारी क्षेत्र में हैं और इनमें से एक आसाम में है जिसकी क्षमता इस समय भी 7.5 लाख मीट्रिक टन है हालांकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात 10,20 अथवा 30 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले कारखाने स्थापित किये गये हैं परन्तु गोहाटी तेलशोधक कारखाने की क्षमता में अभी तक कोई विस्तार नहीं किया गया है। गुजरात तेलशोधक कारखाने की निर्धारित क्षमता 30 लाख मीट्रिक टन है जबकि इसका वास्तविक उत्पादन 36 लाख मीट्रिक टन है। पहले गोहाटी में कारखाने की क्षमता बढ़ा कर 12.50 लाख मीट्रिक टन तथा बाद में इसे कम कर के 11 लाख मीट्रिक टन कर देने की व्यवस्था की गई थी परन्तु खेद है कि इस कारखाने का अभी तक कोई विस्तार नहीं हुआ है। मन्त्री महोदय इसके कारण बताएं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, जिसका पूर्वी मुख्यालय आसाम में है; बहुत धन बर्बाद कर रहा है। उदाहरणार्थ इस आयोग ने आसाम चाय कम्पनी से कुछ भूमि तथा इमारतें 24 लाख रुपये की खरीदी थीं। किन्तु 1965 में इस आयोग का प्रबन्ध जब एक नये अध्यक्ष ने सम्भाला, तो उस समय उन्होंने इस सम्पत्ति के लिए 15 लाख रुपये देने से भी इन्कार कर दिया। करारनामे के अनुसार 183.23 एकड़ भूमि होनी थी परन्तु जब उसकी पामायश की गई, तो वह 182.01 एकड़

पाई गई । इससे आयोग को 10,650 रुपये का घाटा हुआ । इसके अलावा 4.93 एकड़ भूमि को जो बेच दी गई थी तथा 23.14 एकड़ भूमि को जो आसाम चाय कम्पनी ने पट्टे पर दी हुई थी, ध्यान में भी नहीं रखा गया था । इस माम ले में पूर्वी क्षेत्र के महाप्रबन्धक अथवा इस आयोग के अध्यक्ष का हाथ है ।

इसी प्रकार लकुआ चाय कम्पनी से जो भूमि अर्जित की गई उसके लिये प्रतिकर दिया गया क्योंकि जब रेलवे ने रेलवे लाइनें बिछाने के लिये भूमि का अर्जन किया था उस समय उन्होंने चाय की प्रत्येक छोटी तथा बड़ी झाड़ी के लिये क्रमशः 3.96 रुपये और 6.906 रुपये दिये थे जबकि इस बार चाय की प्रत्येक 5 से 50 तथा 3 से 5 वर्षीय झाड़ी के लिये क्रमशः 11 रुपये तथा 5 रुपये दिये गये । इस प्रकार वास्तविक मूल्य से 15 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया ।

मंत्री महोदय को उक्त दोनों सौदों की तुरन्त जांच करानी चाहिये ।

जीपों की चोरी के सम्बन्ध में 2 मार्च, 1979 को एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में श्री द० रा० चव्हाण ने दो जीपों के चोरी हो जाने की सूचना दी थी । परन्तु जब यही प्रश्न तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में सदस्यों द्वारा पूछा गया था तो उन्होंने यह स्पष्ट रूप से बताया था कि केवल एक ही जीप चोरी गई है । स्पष्ट है कि इस आयोग के अध्यक्ष झूठ बोलने तथा संसद सदस्यों को भ्रम में डालने से आनाकानी नहीं करते हैं । इस मामले की भी छानबीन की जानी चाहिये ।

मैं पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में ठोस सुझाव दिये हैं । भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों तथा प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों द्वारा अपने प्रदेशों में विभिन्न परियोजनाओं की क्रियान्विति में धीमी प्रगति अथवा कोई प्रगति न होने पर असंतोष की अभिव्यक्ति करना वजा ही है ।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर मेरे साथियों ने पहले ही दे दिया है । मैं केवल उन्हीं मामलों पर चर्चा करूंगा जिनकी चर्चा के दौरान कटु आलोचना की गई है ।

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह ने शिकायत की है कि तेल की खुदाई एवं निर्णय लेने में विलम्ब किया गया है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने रूस की सहायता से 1964-66 के दौरान समुद्री भूकम्प सम्बन्धी सर्वेक्षण करके कैम्बे की खाड़ी, कोरोमंडल एवं आन्ध्र प्रदेश के समुद्री किनारे और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेल प्राप्ति के स्थानों की खोज की है ।

1967 में अमरीका की टेनक्को कम्पनी ने भागीदारी के आधार पर संयुक्त रूप से कार्य करने का प्रस्ताव रखा । इसी प्रकार होस्टन की जेप्टा ऑफशोर कम्पनी ने 'बम्बई हाई' क्षेत्र से ठेके पर तेल निकालने का प्रस्ताव रखा । इसी प्रकार और भी कई प्रस्ताव मिले परन्तु सरकार किसी

निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। यह बात सभी को मान्य होगी कि देश हित के लिए समुद्र तट से दूर तेल खोजने एवं निकालने के लिए उपयुक्त उपकरणों की आवश्यकता है और इस कार्य में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। विदेशी फर्मों को तेल निकालने का ठेका देने की अपेक्षा उनकी सहायता लेना अधिक अच्छा होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले कुछ महीनों से हमने निम्नलिखित निर्णय किए हैं :—

इन्जीनियरों एवं तकनीकी-विशेषज्ञों की सहायता से कैम्बे की खाड़ी के उथले पानी में खोज करने के लिए प्लेटफार्मों का डिजाइन बनाने एवं उन्हें बनाने का कार्य प्रारम्भ करना। यह कार्य रूप निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो गया है।

दूसरे, गहरे समुद्र की स्थितियों का अध्ययन करने एवं खोज करने के लिए उपयुक्त उपकरण सुझाने के लिए परामर्शदायित्री फर्म को नियुक्ति करना। कुछ महीने पहले एक ब्रिटिश परामर्शदाता फर्म की नियुक्ति की गई थी और उन्होंने जो सिफारिशें प्रस्तुत की, उन्हें सरकार ने मान लिया है।

तीसरे, विश्व के विभिन्न भागों में समुद्र के किनारों से दूर तेल की खुदाई का काम करने वाले भारतीय इन्जीनियरों और तकनीकी-विशेषज्ञों को उनकी अर्हताओं के अनुसार उचित वेतन देना ताकि वे स्वदेश में जाकर काम कर सकें।

चौथे, वांछित उपकरणों के निर्माण के लिए रुपयों में ऋण की व्यवस्था करना।

स्वयं-चालित उठाने वाली मशीनों (सेल्फ-प्रोपेल्ड जैक-अप) के निर्माण के लिए विदेशी फर्मों से निविदाएं प्राप्त हुई हैं। उनके द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और कुछ ही महीनों के अन्दर निर्णय किया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आलोचना की है परन्तु जांच करने पर पता चला कि यह आयोग ठीक कार्य कर रहा है लेकिन तकनीकी तौर पर इसे शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में प्रयत्न कर रही है। सरकार माध्यमिक स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। यह कार्य इसलिए भी आवश्यक बन गया है क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तट से दूर खुदाई का काम करने वाला है। परन्तु साथ ही इस आयोग को आधुनिकतम उपकरणों की आवश्यकता है। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूँ कि यह आयोग पश्चिमी बंगाल में सफलता से खुदाई का काम करने वाला है।

तेल-शोधन के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गए हैं; केवल मिट्टी का तेल एवं भट्टी-तेल का थोड़ा सा आयात किया जाता है। 1969 में 11 करोड़ रुपये के तेल उत्पाद का निर्यात किया गया था। असम की कोयली शोधनशाला का विस्तार किया जाएगा। हल्दिया में नई शोधनशाला खोली जा रही है। इसी प्रकार मद्रास शोधनशाला अच्छा काम कर रही है। भारतीय तेल निगम एवं ध्यूब इण्डिया स्नेदन संयंत्र का निर्माण कर रही है जिससे हम चिकने स्नेदकों पर आधारित माल में आत्म-निर्भर हो जाएंगे और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष कई करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बच जाएगी।

जहाँ तक गैर सरकारी तेल शोधन-शालाओं के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, ऐसा करने से कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा और विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्षेत्र अपने नए संयंत्रों में तकनीकी-ज्ञान का लाभ उठा सकता है। गैर-सरकारी तेल शोधनशालाओं के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य विश्व बाजार मूल्य के सम्बन्ध में अत्याधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर आयातित

कच्चे तेल को उपलब्ध करना है और यह उद्देश्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अतः इन तेल शोधनशालाओं का राष्ट्रीयकरण आवश्यक प्रतीत नहीं होता। सुझाव दिया गया है कि सरकार गैर सरकारी तेल शोधनशालाओं की परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में ले ले। परन्तु ऐसा करने से सरकार को बहुत अधिक मुआवजा देना पड़ेगा। यदि इन तेल शोधनशालाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो हमें सबसे बड़ी कठिनाई तेल शोधनशालाओं को चलाने के लिए कच्चे तेल उपलब्ध कराने की होगी।

अब सरकार ऐसे तकनीकी उपायों को लागू करने का विचार कर रही है। जिनसे हमें निरन्तर तेलशोधनशालाओं के लिए कच्चा तेल प्राप्त हो सकता है। इस विषय में गैर-सरकारी कम्पनियों का सहयोग भी आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। परन्तु बड़े ही खेद की बात है कि उन कम्पनियों ने केवल अपने ही लाभ पर ध्यान दिया और सरकार की कोई सहायता नहीं की।

कुछ सदस्यों ने तेलशोधनशालाओं सम्बन्धी समझौते के बारे में प्रश्न उठाये हैं। पांचवें दशक के प्रारम्भ में जब सरकार ने गैर सरकारी तेल कम्पनियों से समझौता किया था, उस समय हमारे पास कच्चा तेल उपलब्ध नहीं था। इन कम्पनियों ने भारत के उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो करार किए गए थे वे अब समय के प्रतिकूल एवं राष्ट्रविरोधी हैं। तेल कंम्पनियों को चाहिए कि वे समझौते की शर्तों में संशोधन करने में सहयोग दें क्योंकि ऐसा करना राष्ट्र-हित में तो होगा ही, नीति के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक भी होगा।

जहाँ तक दी इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेसिटिकल्स का सम्बन्ध है, इसमें 1967-68 में 232.54 करोड़ रुपये का एवं 1968-69 में 891.10 करोड़ रुपये का घाटा पड़ा था। इस मंत्रालय का प्रभारी होने के कारण मुझे इस घाटे का बड़ा खेद है।

1959 में सहयोग के आधार पर रूस से समझौता किया गया था। हालांकि हमको पता था कि रूस की प्रोद्योगिकी सर्वोतम नहीं है फिर भी यह सोचा गया था कि रूस द्वारा दी गई मूल तकनीकी सुविधाओं का विकास भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी-विशेषज्ञ करेंगे। इन सब बातों पर विचार करने के बाद रूसी सहायता लेने का निर्णय किया गया था। बड़े ही हर्ष की बात है कि रूस द्वारा दी गई तकनीकी आशाएं पूरी हो गई हैं। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उत्पादन की अनेक वस्तुओं का आयात प्रतिस्थापन किया जा चुका है और शल्यक उपकरण संयन्त्र में परिवार नियोजन सम्बन्धी उपकरणों का आविष्कार किया है। तकनीकी विशेषज्ञ शल्यकार समिति की सिफारिशों के आधार पर शल्यक उपकरणों के नए सेटों का आविष्कार कर रहे हैं। 1968-69 मे शल्य उपकरणों की बिक्री 105 लाख रुपये थी जो 1969-70 में बढ़कर 511 लाख रुपये हो गई। गत महीनों में हमें जो सफलता प्राप्त हुई है, उससे आशा की जाती है कि हम लगभग दो वर्षों में घाटे की स्थिति को पूरा कर सकेंगे। अतः इस सुझाव को नहीं माना सकता कि करोड़ों रुपया लगाने के बाद इन संयन्त्रों को बन्द कर दिया जाए।

औषधियों के मूल्यों में कमी की दिशा में हमने जो उपाय किये है, मैंने उनका उल्लेख किया है। यह एक बहुत उलझा हुआ विषय है। मेरे सहयोगी स्वास्थ्य मन्त्री ने इस कार्य में हमारा हाथ बटाया है। वास्तव में इस उद्योग में अनेक हित निहित हैं। उनके अपने मतभेद हैं। हमने उद्योग के विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन किया है। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग सभी

ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। अब उन्होंने एक प्रोजना तैयार की है जिसके अनुसार मूल्यों में 20 से 25 प्रतिशत की कमी हो जायेगी। हमारा उद्देश्य तो उपभोक्ताओं को आवश्यक राहत दिलाना है। साथ ही साथ हमें छोटे पैमाने के निर्माताओं के हितों का भी ध्यान रखना है। हमें आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करनी है। वैसे मेरा मन्त्रालय विश्व बैंक, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, कनाडा तथा जापान आदि के सहयोग से कार्य कर रहा है। इनके अतिरिक्त रूस, चेकोस्लावाकिया, योगोस्लाविया, रूमानिया, तथा पोलैंड के साथ भी सहयोग किया जा रहा है।

लगभग सभी माननीय सदस्यों ने उर्वरक का उल्लेख किया है। पहले हम इसका बड़ी मात्रा में आयात करते थे। साथ में हमें खाद्यान्नों का भी आयात करना पड़ता था। अब उर्वरक के उत्पादन के कारखाने के निर्माण को आरम्भ करने के समय से लगभग तीन वर्ष बाद उसमें उत्पादन आरम्भ हो पाता है। विश्व बैंक ने हमें दो कारखानों की स्थापना में सहायता करने का वचन दिया है। उन्होंने विशेषज्ञों को भी उपलब्ध करने का आश्वासन दिया है। हमें आशा है कि हम इस प्रकार अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे। विश्व बैंक के विशेषज्ञों की सहायता से हम अपने वर्तमान कारखानों में भी सुधार कर सकेंगे। मैं मानता हूँ कि सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों का कार्य बहुत सन्तोषजनक नहीं रहा है। वास्तव में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तीसरी पंच वर्षीय योजना गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 10 परियोजनाओं को अनुमति दी गई थी परन्तु उनमें केवल एक ही स्थापित हो सकी। उनके लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं हो सकी थी। विदेशी विनियोजन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने 1965 में अपनी नीति उदार कर दी थी। इस बारे में उस समय के मन्त्री महोदय ने 31 मार्च, 1967 को एक वक्तव्य दिया था। 1967-68 की प्राक्कलन समिति ने सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा भी की थी।

इसी नीति के अन्तर्गत गोआ उर्वरक कारखाने को अनुमति दी गई थी। अब सरकार ने इस कारखाने की स्थापना के लिए आदेश दे दिया है और यह निर्णय भी किया गया है कि निदेशक मंडल में दो सरकार द्वारा नामांकित निदेशक होंगे। यह परियोजना 27 महीनों तक पूरी हो जाने की आशा है। इसके चालू हो जाने से हम प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये के आयात से बच जायेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने मीठापुर के प्रस्तावित टाटा उर्वरक कारखाने का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में स्वयं वहां गया था और श्री जे० आर० डी० टाटा से मिला भी था। मैंने उनसे कहा था कि आप बड़े धनी व्यक्ति है आप 60 करोड़ रुपये लगातार राष्ट्र की सेवा कर दीजिये। मेरे ऐसा कहने पर पहले तो वह हैरान हुए, परन्तु बाद में उन्होंने मेरे सुझाव पर विचार किया। अब उन्होंने एक योजना भेजी है जिस पर सरकार विचार कर रही है। हम चाहते हैं कि सभी उद्योगपति देश के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। अब हमारे समक्ष दो ही मार्ग है। या तो हम विदेशों से आयात करें अथवा भारत में ही कारखाने स्थापित कर के उत्पादन में वृद्धि करें।

श्री यादव ने सरकारी उपक्रमों में भर्ती का प्रश्न उठाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने सभी उपक्रमों को लिखा है कि पांच सौ रुपये तक के वेतन वाले सभी पदों पर रोजगार दफ्तर के

माध्यम से स्थानीय लोगों की भर्ती की जाये। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि भी होना चाहिए। इन आदेशों का ठीक प्रकार से पालन किये जाने का आदेश भी दिया गया है।

पहले पेट्रोलियम उत्पादों की एजेन्सियाँ धनी लोगों को ही दी जाती रही है। मैंने इस प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया है और अनेक लोग मेरे से नाराज भी हो गये हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय तेल निगम ने निर्णय किया है वितरण कार्य स्थानीय बेरोजगार स्नातकों को ही दिया जायेगा। और राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे लोगों को आवश्यक पूंजी उपलब्ध करने को तैयार हो गये हैं। ऐसी आशा है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 40,000 स्नातक प्रति वर्ष काम पा लेंगे।

आंध्र प्रदेश में उर्वरक के वितरण के घुटाले का हमें कल ही पता चला है। भारतीय उर्वरक निगम ने निर्णय किया है कि विज्ञान तथा कृषि स्नातकों के गांवों में रहकर किसानों की सहायता की एक योजना बनायी जाये। उनको इसके लिये 300 रुपये वजीफा दिया जायेगा। इससे उर्वरक के वितरण तथा प्रयोग आदि के कार्य को ठीक प्रकार से किया जा सकेगा। इस प्रकार विचौलियों से बचा जा सकेगा।

बड़ी सड़कों पर डीजल के वितरण की व्यवस्था करने के साथ साथ तेल उत्पादों के वितरण की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। हम लोगों में भारतीयता की भावना जागृत करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि सभी दल इसका समर्थन करेंगे।

सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध अनेक आरोप लगाये गये हैं। मैं उनकी जांच करूंगा और यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी। मैं इस समय मन्त्रालय में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पूरी लगन से अपने कार्य को किया है। यदि हमें कोई सफलता मिली है तो यह उसी के फलस्वरूप है। भविष्य में हमें और अधिक कार्य करना है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी ने कोणकन क्षेत्र में विकास कार्य पर व्यय न किये जाने की शिकायत की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1973-74 से कोयना एल्युमीनियम परियोजना चालू किये जाने की संभावना है। यदि पहले कुछ नहीं किया गया तो अब तो कार्यवाही की जा रही है। मिस्टर धर्म से मोरारजी ने उर्वरक के कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस के लिये आवेदन दिया था। मैं शीघ्र निर्णय करने का आदी हूँ। हमें चूंकि उर्वरक की बहुत आवश्यकता है। अतः मैंने लाइसेंस देने का निर्णय कर दिया। इस बीच उनके कुवैत के सहयोगियों ने कोई अड़चन खड़ी कर दी है। ऐसी स्थिति में मैंने उनसे कह दिया है कि शीघ्र निर्णय करें और पन्द्रह दिन में हमें सूचना दें नहीं तो हम सरकारी क्षेत्र में कारखाने की स्थापना करेंगे। हम कोंकण के पिछड़े क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं।

हैदराबाद के संशलिष्ट औषध कारखाने में चल रही हड़ताल पर हमें बहुत चिन्ता है और हम चाहते है कि वह यथाशीघ्र समाप्त हो जाये।

श्री मतुभाई पटेल : श्रीमान, मैंने अनेक बातें उठायी थी उनके मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं

दिये हैं। जल दूषण अधिनियम; ऋषिकेश संयन्त्र आदि के बारे में मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हम मंत्री महोदय के उत्तर के बाद इस तरह से प्रश्न उठाते रहेंगे तो हमें बहुत समय चाहिये होगा।

डा० त्रिगुण सेन : श्रीमान, कल छुट्टी का दिन है। यदि कोई माननीय सदस्य कुछ जानकारी लेना चाहें तो मुझे मिल सकते हैं। मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ।

श्री मनुभाई पटेल : हमारे प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न नहीं हैं। यह अनुदानों की मांगों से सम्बंधित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 5 से 36 और 47 से 56 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 58 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ :

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 19 : विपक्ष में 103

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 59 से 62 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motion was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 57 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The cut motions was put and negatived.

श्री राम चरण : मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या 63 अलग से मतदान के लिये रखा जाये और सभा में उस पर मतदान कराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जाये।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 32 : विपक्ष में 106

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The cut motions was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 64, 65 तथा 68 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motion were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 66 तथा 67 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय की निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following demands for grants in respect of the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
74	पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु	44,88,000
75	भूगर्भ सर्वेक्षण	9,37,58,000
76	पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	14,23,91,000
128	पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय का पूंजी व्यय	87,99,93,000

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

अनुदानों की मांगें (जारी)

DEMANDS FOR GRANTS contd.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी ।

वर्ष 1970-71 के लिये औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
57	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय	80,57,000
58	उद्योग	4,62,78,000
59	नमक	61,85,000
60	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	13,21,27,000
123	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	5,35,17,000

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
57	12	**श्री यशवंत** सिंह कुशवाह : डाकू ग्रस्त क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने में असफलता ।		100 रुपये
57	13	**श्री यशवंत** सिंह कुशवाह : नोमच में सीमेंट का कारखाना चलाने में असफलता ।		100 रुपये
57	14	**श्री यशवंत** सिंह कुशवाह : चम्बल द्वारा सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र में जापानी पद्धति की कुटीर उद्योग पद्धति अपनाने में असफलता ।		100 रुपये
57	15	**श्री यशवंत** सिंह कुशवाह : देश में सस्ते ट्रेक्टरों को पर्याप्त संख्या में बनाने में असफलता ।		100 रुपये
57	16	**श्री यशवंत** सिंह कुशवाह : वनस्पति उद्योग, स्कूटर उद्योग तथा चीनी उद्योग के सम्बन्ध में लाइसेंस समाप्त करने में असफलता ।		100 रुपये

1	2	3	4	5
57	17	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह :** गैर-सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में अनुचित नीति ।		100 रुपये
57	18	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह :** सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुप्रबन्ध और हानि ।		100 रुपये
57	19	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह :** छोटी मोटर कार योजना को क्रियान्वित करने में असफलता ।		100 रुपये
57	20	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह :** थोड़े से उद्योगपतियों के साथ पक्षपात किया जाना ।		100 रुपये
57	43	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य कम न करना ।		100 रुपये
57	44	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** लिपस्टिक आदि विलास की वस्तुओं के लिये विदेशी सहयोग से कारखाने खोलने को अनुमति देना ।		100 रुपये
57	45	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** विभिन्न प्रांतों में सरकारी उद्योगों की स्थापना में पक्षपात से काम लेना ।		100 रुपये
57	46	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** औद्योगिक नीति में अमरीका और रूस का अन्धानुकरण करना ।		100 रुपये
57	47	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** औद्योगिक नीति बनाते समय भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में न रखना ।		100 रुपये
58	48	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** हरिजनों व आदिवासियों की आर्थिक उन्नति के लिये छोटे उद्योगों की ओर उन्हें आकर्षित करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
58	49	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** देश के पिछड़े भागों में छोटे उद्योगों की स्थापना व प्रसार की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
58	50	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** छोटे उद्योगों को एक करोड़ तक के उद्योगों के लिये लाइसेंस से मुक्त करने से उत्पन्न खतरा ।		100 रुपये
58	51	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** छोटे उद्योगों के मध्य सहयोग उत्पन्न करने की आवश्यकता ।		100 रुपये

1	2	3	4	5
58	52	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** छोटे उद्योगों को समुचित सुरक्षा न देना ।		100 रुपये
58	53	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** छोटे उद्योगों को उत्पादन के लिये कच्चे माल की यथोचित व्यवस्था न करना ।		100 रुपये
58	54	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** कुछ मुट्ठी भर शहरों में ही उद्योगों का केन्द्रीयकरण कर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में आर्थिक विषमता उत्पन्न करना ।		100 रुपये
58	55	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** खेती प्रधान उद्योगों की ओर ध्यान न देना ।		100 रुपये
58	56	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की दूषित नीति का सुधार न करना ।		100 रुपये
58	57	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** लाइसेंस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।		100 रुपये
58	58	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण करने की उपेक्षा ।		100 रुपये
58	59	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** उद्योगों का ग्रामीण तथ्य शहरी क्षेत्र में समान रूप से विस्तार न करना ।		100 रुपये
60	60	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** खादी और ग्राम उद्योग की आड़ में प्रति वर्ष लाखों रुपये का घुटाला ।		100 रुपये
60	61	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** खादी और ग्राम उद्योग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच कमीशन की आवश्यकता ।		100 रुपये
60	62	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** व्यापार चिन्हों के लिये महा-पुरुषों, देवी-देवताओं, राष्ट्रीय चिन्हों तथा राष्ट्रीय नाम का दुरूपयोग रोकने में असफलता ।		100 रुपये
60	63	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** माप तोल विभाग द्वारा छोटे व्यापारियों को व्यर्थ में तंग करने को रोकने में असफलता ।		100 रुपये
123	64	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** भारत के छोटे किसानों के अनुकूल छोटे ट्रेक्टरों के बनाने में असफलता ।		100 रुपये

1	2	3	4	5
123	65	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** ट्रेक्टरों के निर्माण तथा आयात दोनों की लगातार उपेक्षा ।		100 रुपये
57	66	**श्री शिव चन्द्र झा :** भारतीय एकाधिकार को न्यास के गांधीवादी सिद्धांत के अन्तर्गत जाने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	67	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में उपेक्षा ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	68	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** लघु उद्योगों को निर्यात प्रोत्साहन देने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाये
58	69	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** औद्योगिक नीति ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	70	**श्री श्रद्धाकार सूपकार :** मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्य ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए

[SHRI SHRICHAND GOYAL IN THE CHAIR]

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय का देश के आर्थिक तथा वित्तीय विकास की दृष्टि से बहुत महत्व है । देश में उद्योगों का ठीक प्रकार से विकास कार्य करना इसकी ही जिम्मेदारी है । इसे ही नीतियां बनानी होती हैं । वास्तव में देश के औद्योगिक विकास के प्रत्येक पहलू पर इसका नियन्त्रण है ।

वर्ष 1965 से पूर्व देश में उद्योगों ने बहुत प्रगति की थी । अनेक नये उद्योग स्थापित किये गये थे । आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही निर्माण आरम्भ होने लगा था । परन्तु 1965 के बाद स्थिति में आगे प्रगति नहीं हुई है । इसका कारण बहुत अधिक करों का लगाया जाना है । इससे अनेक आवश्यक वस्तुओं की कमी महसूस की जाने लगी है । ऐसी स्थिति में अधिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

सरकार ने उद्योगों पर बहुत पूंजी लगायी है पर सभी उद्योगों की स्थिति बड़ी शोचनीय है । दि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसिटिकल्वर, दि हिन्दुस्तान आरगैनिक कैमिकल्स, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और सिंगरेनी खानें सभी घाटे में चल रही है सरकारी क्षेत्र में यही सब होता है क्योंकि वहां धन की कोई कमी नहीं होती यदि निजी क्षेत्र में होते तो हानि का पता पहले सप्ताह में ही चल जाता और स्थिति को सुधार लिया जाता ।

सरकारी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में लागत अनुमानित लागत से कहीं अधिक बढ़ गई है। बोकारो इस्पात कारखाने को ही लीजिए उसमें पहली अवस्था में ही 89 करोड़ रुपये अधिक व्यय हुए। खेतड़ी तांबा कारखाने की लागत, भी 24 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गई है। अतः इस बात को अत्यधिक आवश्यकता है कि अनुमान ठीक-ठीक लगाए जाये क्योंकि यदि किसी परियोजना में अनुमानित लागत से अधिक लागत आती है तो वह अलाभकर हो न होकर घाटे को परियोजना भी होगी। इसलिए परियोजनाओं की अन्तिम लागत अनुमानित लागत से बढ़नी नहीं चाहिए।

सरकार ने बड़े जोर शोर से यह दावे किये हैं कि आयात की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं के बदले विकल्पों का उत्पादन करके पर्याप्त रुपया बचाया है। पर सम्भवतः देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और बहुत से उद्योगों की स्थापना करके और भी अच्छे परिणाम निकल सकते। उदाहरणतः हम अभी भी ट्रैक्टर, शक्ति चालित हल, मुद्रण मशीनों, फोटो फिल्मों, स्कूटरों, करों, इस्पात, मिश्रित इस्पात, कास्टिक सोडा, समाचार पत्रों के कागज, सोडा राख और कागज आदि का आयात करते हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योग प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

ट्रैक्टरों और शक्ति चालित हलों के निर्माण की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। पंजाब की तीन पार्टियों को आयात करने के लाइसेंस दिए गये थे पर कारखाना करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। इस बात को जांच की जानी चाहिए कि वे कारखानों की स्थापना में देरी क्यों कर रहे हैं जबकि उन्हें इसी आधार पर लाइसेंस पर दिये गये थे। इन वस्तुओं का अगर हम आयात बन्द कर दें तो हम बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं।

यही बात मुद्रण मशीनों के निर्माण में है। बहुत से लोग इनके निर्माण का कारखाना स्थापित करना चाहते हैं पर फिर भी देरी हो रही है। इनकी स्थापना के लिए शीघ्रता की जानी चाहिए।

मैं अनुभव करता करता हूँ कि सरकार यह नहीं चाहती कि बड़े-बड़े उद्योगपति इनका निर्माण करें इस हालत में सरकार नए उद्योगपतियों को चुनकर उन्हें यथोचित सहायता दे सकती है। यदि सरकार का यह प्रयत्न सफल नहीं होता है तो सरकार बड़े उद्योगपतियों के आड़े नहीं आना चाहिये देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिये हमें इनका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए, फिर चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में।

हमें फोटो फिल्म और अखबारी कागज का निर्माण करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए, अखबारी कागज के लिये आसाम से पर्याप्त कच्चा माल मिल सकता है।

स्कूटरों की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा स्कूटर लेने के इच्छुक लोगों ने प्रतिभूति के रूप में 6.25 करोड़ रुपये जमा करा रखे हैं। उसी प्रकार कार के इच्छुकों ने 13.28 करोड़ रुपये जमा किए हैं। यह राशि इस प्रकार 20 करोड़ रुपये हो जाती है जिससे एक कारखाना आसानी से खड़ा किया जा सकता है और निर्माण शुरू किया जा सकता है। वर्तमान स्कूटर कारखानों को और अधिक स्कूटर निर्माण करने का अधिकार देना चाहिए।

इसलिए देश में जिन वस्तुओं की कमी है तथा आवश्यकता है उनका उत्पादन बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। यदि आप यह नहीं कर सकते तो इसे किसी अन्य को सौंप दें।

एक अन्य बात जो वस्तुओं के उत्पादन में बाधक है उनका अलाभकारी विक्रय मुल्य/नियंत्रण तभी लगाया जाना चाहिये जबकि वस्तुओं का मूल्य और लाभ सीमा से अधिक हो जाए। परन्तु कभी-कभी सरकार लागत मूल्य बढ़ जाने पर भी मूल्य बढ़ाने को राजी नहीं होती। कागज के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ। लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई और कोई और कारखाना स्थापित नहीं किया गया। इस्पात का मूल्य भी बढ़ गया है। सरकार को अपनी नीति दृढ़ बनानी चाहिए तथा उसे मात्र कुछ लोगों के दबाव में आकर नहीं बदलना चाहिए। सीमेंट के मामले में ऐसा ही हुआ कुछ लोगों के दबाव में आकर उस पर लगा कन्ट्रोल हटा दिया गया।

एकाधिकार अधिनियम के परिवर्तनों के सम्बन्ध में बड़ा शोर शराबा किया गया है। हमें किसी को भी उत्पादन करने से नहीं रोकना चाहिए।

श्री एस० आर० दामानी : यह बड़े ही सन्तोष की बात है कि देश में मंदी का जो समय था वह समाप्त हो गया है और औद्योगिक गतिविधियां फिर शुरू हो गई है। पिछले साल हमारे औद्योगिक उत्पादन में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तथा इस वर्ष 7.3 प्रतिशत की।

नए उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तार में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है। उत्पादन में जो वृद्धि हुई वह वर्तमान क्षमता के अच्छे उपयोग से हुई है। देश में बढ़ती हुई योग की पूर्ति तथा निर्यात बढ़ाने के लिए नए उद्योगों की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है। अतः नए उद्योगों की स्थापना में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए सरकार ने नई नीति की घोषणा की है तथा बहुत से प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया है। प्रतिबन्धित सूची को निलम्बित कर दिया गया है। एक करोड़ की पूंजी के निवेश के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रही है तथा इसके 10 प्रतिशत तक की विदेशी मुद्रा मशीनें आदि लाने के लिए दी गई है।

यह एक बहुत ही उत्तम और सही समय पर लिया गया निर्णय है। इसमें छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों को निश्चय ही मदद मिलेगी तथा नए उद्योगों की तेजी से स्थापना करने में सहायक होगी।

प्रतिबन्धित सूची को निलम्बित करने से कुछ और उद्योग चालू होंगे पर मेरा तो कहना यह है कि इस सूची को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये इन उद्योगों की उन्नति और विस्तार हो सके। विलास सामग्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। देश में इन चीजों की मांग तीव्रता से बढ़ रही है। इसलिए अतिरिक्त उत्पादन से भय नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त उत्पादन से तो स्वराज्य स्पर्धा होगी और माल की किस्म में सुधार होगा तथा मूल्यों में कमी होगी तथा साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

संयत्र तथा मशीनों के अयात के लिए 10 प्रतिशत विदेशी मुद्रा उन लोगों को दी जायेगी जो एक करोड़ तक पूंजी लगायेंगे। किन्तु जहां निवेश की राशि कम होगी अर्थात् 25 लाख या उसके आस-पास हो तो वहां केवल $2\frac{1}{2}$ या 3 लाख रुपये मिलेंगे तथा इतनी राशि से मशीन आदि आयात नहीं की जा सकती इस कारण उसे फिर से लाइसेंस के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है और

इसके फलस्वरूप देरी होती है ? पर सरकार उद्योगों का शीघ्रता से विकास करना चाहती है । जिससे कि देश की आवश्यकताएं पूरी हो सकें । इसलिए संयंत्र तथा मशीनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का निर्धारण करते समय सरकार को निवेश क्रम (स्लेब सिस्टम, प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे कम पूंजी का निवेश करने वालों के लिए विदेशी मुद्रा की प्रतिशतता में वृद्धि, की जा सके ।

दकर आल से अखबारी कागज की देश में बहुत कमी है । सरकार ने एक कारखाना चालू करने की योजना बनाई थी किन्तु उस सम्बन्ध में अन्त तक कुछ नहीं किया गया है, परिणाम स्वरूप हमें प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये का कागज विदेशों से मंगाना पड़ता है । अत: इसकी स्थापना में यथा अनुभव शीघ्रता की जानी चाहिए । ट्रैक्टर उर्वरक आदि के उत्पादन की ओर भी हमें अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और वस्तुओं का उत्पादन बढ़े और उचित दरों मिल सकें ।

सरकार को चाहिए कि वह अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करे । इससे उन क्षेत्रों का विकाश होगा और लोगों, को रोजगार मिलेगा । सरकार को चाहिए कि वह ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए साहसी उद्योगियों को लाइसेन्स देकर प्रोत्साहित करे ।

पिछले आठ-दस वर्षों से हैवी इलेक्ट्रीकल्स, भोपाल हानि उठा रहा है, 1967-68 में तो यह घाटा 51 करोड़ रुपये तक पहुँच गया । हैवी इंजीनियरिंग करपोरेशन, रांची तथा भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स भी घाटे में चल रहे हैं । अत: उन्हें यह घाटा न हो इसलिए इनके प्रबन्ध में आमूल चूक परिवर्तन होना चाहिए ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : श्रीमान् औद्योगिक विकास मंत्रालय के 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा जाता है कि "सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के छोटे व बड़े उद्योग को प्रोत्साहन देकर देश के औद्योगीकरण में वृद्धि करना औद्योगिक विकास विभाग का कर्तव्य है ।" इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस विभाग को विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों को समन्वित कर देश में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए । यह विभाग वित्त-मंत्रालय से सलाह लेकर, उससे समन्वय स्थापित कर, औद्योगिक विकाश के कई कार्यों की रूपरेखा तैयार करेगी जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक विकास किया जा सकेगा । मगर इस मंत्रालय के गत वर्ष के कार्यों पर दृष्टिपात करेंगे तो पता चलेगा कि यह उक्त लक्ष्य की प्राप्ति में दुखद रूप से असफल हो गया । इस मंत्रालय ने उपलब्ध संसाधनों का अनुचित और गलत तरीके से उपयोग किया और इससे परिणाम प्रतिकूल पड़ा । इस सिलसिले में सरकारी उपक्रमों का कार्य सबसे अधिक शोचनीय माना जा सकता है । सरकारी उपक्रमों में कुल पूंजी विनियोजन 3500 करोड़ रुपये हैं जो सरकारी और गैर सरकारी तमाम उपक्रमों के कुल पूंजी विनियोजन का 50 प्रतिशत है । इन सरकारी उपक्रमों का उत्पादन कुल उत्पादन का केवल 13 प्रतिशत है । 1967-68 तक सरकारी उपक्रमों में हुई कुल हानि करीब 154 करोड़ रुपये थी । 1967-68 में 35 करोड़ रुपये की हानि हुई । 1968-69 में 26.89 करोड़ रुपये की और हानि हुई । जैसा कि इस मंत्रालय ने हिसाब लगाया, 1969-70 में 25 करोड़ रुपये की हानि होगी । इस प्रकार कुल मिलाकर 1669-70 के अन्त में लगभग 250 करोड़ रुपये की हानि का अन्दाज है ।

कुछ मिसालों के बल पर मैं अपने कथन को स्पस्ट कहना चाहता हूँ। इस मंत्रालय के अधीन 13 उद्योगों को मैं श्वास तौर पर लेता हूँ। इनकी कुल लागत 400 करोड़ रुपये थी। 1968-69 में कुल 57 करोड़ रुपये की हानि हुई जिसमें केवल 1968-69 को लगभग 13 करोड़ रुपये थी। हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस 1961-62 में आरम्भ हुआ जिसकी कुल पूंजी 15 करोड़ रुपये थी। वार्षिक उत्पादन केवल 105 करोड़ रुपये का है। विनियोजित पूंजी के अनुपात में यह उत्पादन बिल्कुल कम है। आरम्भ के दो या तीन वर्षों में हालांकि इस उपक्रम ने कुछ लाभ प्राप्त किया था, मगर उसके बाद से बराबर हानि होती रही और 1968-69 के अंत में 2 करोड़ रुपये की हानि हुई।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक अन्य सरकारी उपक्रम है जिस की कुल लागत की 158 करोड़ रुपये, मगर इसका वार्षिक उत्पादन केवल 30 करोड़ रुपये का है। यह 1964 में शुरू हुआ था। 1968-69 के अन्त में इसमें 3.37 करोड़ रुपये की हानि हुई। उत्पादन शुरू होने के छः वर्ष बाद यह स्थिति रहती है मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन उपक्रमों को इस प्रकार भारी हानि उठाकर तब तक चलने देगी जब वह आप ही आप खतम हो जायेंगे। हैवी इलेक्ट्रिकल्स इन्डिया लिमिटेड एक अन्य उदाहरण है जिसकी कुल लागत 107 करोड़ रुपये है। इन में गत वर्ष के अन्त तक 43 करोड़ रुपये की हानि हुई है। अकेले 1968-69 में 5.87 करोड़ रुपये की हानि हुई।

राष्ट्रीय विकास निगम जिसकी स्थापना 1954 में की गयी थी, को भी यही हालत है। इसकी स्थापना औद्योगिक विकास में वृद्धि करने के लिए की गयी थी इसके अब तक के कार्यों के संबंध में सरकारी उपक्रम समिति ने अपने 63 वें प्रतिवेदन में कहा है कि यह औद्योगिक विकास में वृद्धि लाने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्णतः असफल रहा। समिति ने यह भी कहा है कि यह केवल एक पशमर्शदात्री समिति रह गयी है। गत 16 वर्षों में इस निगम ने जो भी कार्य किया, वह अधिकांश अलाभकर था। और इसके परिणाम स्वरूप निगम को भारी हानि उठानी पड़ी। इसमें कुल लगाई गई पूंजी 8.70 करोड़ रुपये है और दत्त पूंजी केवल 10 लाख रुपये। शेष राशि केन्द्र सरकार से ऋण के रूप में ले ली गयी। वर्तमान स्थिति यह है कि 86 लाख रुपये की कुल हानि हुई जिसके परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार के ऋण चुकाने में भी निगम असमर्थ रह गया।

इस प्रकार के कार्यों से तंग आकर प्राक्कलन समिति ने सिफारिश दी थी कि इसको शीघ्र बन्द किया जाए। मगर मन्त्रालय ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अन्त में सरकारी उपक्रम समिति ने प्राक्कलन समिति के निष्कर्षों से सहमत होकर सलाह दी कि सरकार इस निगम को आगे चलाने के संबंध में पुनर्विचार करे। यह समिति का अंतिम प्रतिवेदन है। सरकारी उपक्रम का कार्य इस तरीके से चल रहा है।

ये सारे सरकारी उपक्रम आवश्यकता से अधिक कर्मचारी, ऊँची तालिका उत्पादन में गिरावट, गलत आयोजन आदि शाइवत बीमारियों से पीड़ित हैं। सामाजिक न्याय उपभोक्ताओं के हित की रक्षा आदि बातें बिल्कुल धोखा है। गैर सरकारी उपक्रम की तुलना में सरकारी उपक्रम का कार्य बहुत ही निम्न स्तर का है इन सरकारी उपक्रमों के गत वर्षों के कार्यों को नजर अंदाज करके सरकार इनमें अधिक पूंजी लगाने का दत्त कर रही है। चौथी योजना में कुल पूंजी विनियोजन का 64 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में किया जा रहा है क्या सरकार पूर्व के अनुभवों से कोई सबक नहीं सीखेगी?

लगता है सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर हो रहे गहरे आघातों से बिल्कुल अप्रभावित है। सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने की अपनी नीति को बिना रोक-टोक के चला रही है।

कागज के उद्योग के बारे में मन्त्री महोदय ने सदन में कहा कि 1964 में कागज पर से नियन्त्रण हटाते ही सरकार उसके मूल्य में वृद्धि हो गयी। 1966 में कागज उद्योग के लिए लाइसेन्स का नियन्त्रण हटा लिया गया। मगर इन चार वर्षों में मन्त्रालय में कागज उद्योग की स्थापना के लिए एक भी आवेदन पत्र नहीं पहुंचा। वर्तमान कुल उत्पादन क्षमता केवल 7,30,000 टन है जबकि चौथी योजना के अन्त में आवश्यकता 12,90,000 टन की होगी। मन्त्रालय ने हिसाब लगाया कि उत्पादन क्षमता 300,000 टन और बढ़ानी चाहिये। इस प्रकार क्षमता बढ़ाने के लिये 300 और 400 करोड़ के बीच रकम की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी राशि कहां से प्राप्त होगी यही कारण है कि नए उद्योग की स्थापना में लोग दिलचस्पी नहीं दिखाते।

1968 में कागज पर से नियन्त्रण हटाने के पहले कागज का मूल्य सरकार द्वारा नियन्त्रित था। सरकार ने मूल्य में वृद्धि होने पर रोक लगायी क्योंकि वह जनता को सस्ती दर में कागज उपलब्ध कराना चाहती थी। मगर दूसरी ओर वे उत्पादन कर, अन्य करों में वृद्धि करती रही और इसके परिणाम स्वरूप कर करीब 42 और 45 प्रतिशत तक आ गया। उपभोक्ताओं के हित की रक्षा क्या इस तरहसे की जाती है?

इन सारी बातों के परिणाम स्वरूप उद्योग की लाभ क्षमता छीजती रही। उद्योग को रिजर्व रखने की अनुमति नहीं दी गयी। उत्पादन में क्षमता नहीं बढ़ी। यदि सरकार कागज उद्योग के विकास की ओर सच्चे अर्थ में जागरुक है तो उन्हें मूल्य का ढांचा इस प्रकार बनाए जाने की अनुमति देनी चाहिये ताकि उद्योग के पास उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राशि आ जाए। यदि ऐसे नहीं किया जाता, तो इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता।

कागज उद्योग को राज्य सरकारों की ओर से कई कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। नेपा मिलों को वन का पट्टा मिलने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कई कठिनाइयां सहनी पड़ी। राज्य सरकारें आकर्षक शर्तों पर ऋण की सुविधा नहीं देती और किसी निर्णय को कई वर्षों तक टलती रहती हैं। अब एक कागज उद्योग निगम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकारी क्षेत्र में दो यूनिट काम करेंगे। इन दो यूनिटों में अनुमानित उत्पादन क्षमता 130,000 टन है और इनकी कुल लागत 100 करोड़ रुपये है। कागज के वर्तमान मूल्य के हिसाब से इसके द्वारा केवल 20 करोड़ रुपये के मूल्य के कागज का उत्पादन किया जा सकेगा। सरकार को मुल्य ह्रास, ब्याज आदि के लिये 20 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वर्तमान उद्योगों में विकास करने के बजाय, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना कर रही है जिसका दुष्परिणाम हम देख चुके हैं।

स्कूटर शहरों में रहनेवाले मध्यम वर्ग के लोगों की मूल आवश्यकता है स्कूटर का वर्तमान उत्पादन केवल 60,000 है जबकि प्रतीक्षा सूची में 2,10,000 लोगों का नाम है। यहां भी सरकार ने मूल्य में नियंत्रण लगा दिया। जब स्कूटर का मूल्य 3000 रुपए से अधिक है, परिवर्तन व्यय के रूप में केवल 535 रुपए की अनुमति दी गई है। शेष राशि कच्चे माल के लिए, बिजली के लिए, जल के शुल्क के लिए और ऐसी अन्य चीजों के लिए व्यय की जाती है यदि सरकार का लक्ष्य सस्ती दर में स्कूटर उपलब्ध कराना है तो, 40 से 45 प्रतिशत कर क्यों लगाया जाता है? यह सही नहीं

है । पहले ही एक प्रस्ताव रखा गया है कि सरकारी क्षेत्र में एक स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाए। वर्तमान कारखानों में आज जो 30,000 स्कूटरों का वार्षिक निर्माण हो रहा है, कुछ और धनराशि उसमें लगा दी जाएगी तो उसको 50,000 तक बढ़ा दिया जा सकता है । मगर इन कारखानों को निरुत्साहित किया गया है । इसके स्थान पर सरकारी क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

इन सारी चीजों के अलावा सरकारी उपक्रमों की अक्षमता को छिपाने के लिए सरकार निरंतर निजी उपक्रमों के विरुद्ध दूषित प्रचारकार्य कर रही है । हाल में किसी मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 1966-67 में बिड़ला की आस्ति 480 करोड़ रुपए, टाटा की 547 करोड़ रुपए और मफतलाल की 106 करोड़ रुपए थी । इसके द्वारा जनता के मन में यह धारणा पैदा की जाती है कि इन आस्तियों के एकमात्र स्वामी ये लोग हैं । असल में यह उनके विभिन्न उद्योगों में लगाई हुई कुल पूंजी है जिसके साझेदार लाखों लोग हैं । इस प्रकार की धारणा फैलाकर सरकार जनता को, संसद सदस्यों को पथभ्रस्ट कर रही है । बिड़ला बन्धु या टाटा एन्ड सन्स जैसी कोई चीज ही नहीं है । हर एक कंपनी उसके साझेदारों द्वारा नियंत्रित है और निदेशक मंडल को इन्हीं साझेदारों द्वारा चुनाया जाता है । सरकार को इस प्रकार उन लोगों को बलि की बकरी नहीं बनाना चाहिए जिन्होंने इस देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ।

निजी उपक्रमों को सरकार कई धमकियां देती है । सरकार कहती है कि अगर में सहायता नहीं करेंगी तो निजी उपक्रम चल नहीं सकता । असल में यह सरकार अपना सारा मानसिक संतुलन खो गयी हैं । निजी उद्यम आगे इसीलिए बढ़ रहे हैं कि उनमें जनता का विश्वास है । राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि पर सरकार का जितना अधिकार है उतना ही हमारा अधिकार है । सरकारी उपक्रमों का शेयर बट्टे में बाजार में बेचा जा रहा है । यह इस बात का द्योतक है कि जनता का सरकारी क्षेत्र में विश्वास नहीं है ।

एकाधिकार-रोक कानून बनाकर सरकार बड़ी उलझन में पड़ गयी है । जिस एकाधिकार के सिद्धांत को दुनिया तुच्छ समझ के वर्षों पहले छोड़ चुकी है, उसे यह सरकार स्वीकार कर रही है । इन्हें पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है । हमें आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाना होगा, और उत्पादन, तकनीकी विज्ञान आदि बातों में अन्य देशों का मुकाबला करना होगा ।

सरकार ने आज तक जो कुछ किया, उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास में बाधा हुई । साधनों की कमी हुई । मुद्रास्फति की स्थिति कायम हो गई । 1968 में केवल 531 कंपनियों का पंजीकरण हुआ जिनकी कुल पूंजी 155 करोड़ रुपए थी 1969 में केवल 717 कंपनियों का पंजीकरण हुआ जिनकी कुल पूंजी थी 107 करोड़ रुपए । विकास को गति यह है । लाइसेन्स के बारे में भी यह बात सच है । 1965 में 515 लाइसेन्स दी गयी थी जो 1966 में 388 हो गई और 1967 में 280 और 1968 जून तक वह 91 हो गई ।

ग्राम विकास कार्यों के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 23 वर्ष बाद भी कृषि से औद्योगिक क्षेत्र को ओर बढ़ने में प्रगति नहीं हुई है । देश के 79·1 प्रतिशत लोग अब भी कृषि पर निर्भर रहते हैं । अमरीका जैसे विकसित देशों में केवल 5 प्रतिशत लोग ही कृषि पर निर्भर रहते हैं । अगर सरकार गांवों की जनता को उद्योग की ओर अधिकाधिक आकर्षित करने के

लिए आवश्यक कदम नहीं उठानी है, तो चाहे वे जैसे भी विकास कार्य करे, देश की उन्नति नहीं होगी। इसके लिए सरकार को ग्रामीण विकास योजना को कार्यान्वित करना चाहिये।

सबसे पहले सरकार को सरकारी उपक्रम और राष्ट्रीयकरण को समाप्त करना चाहिये। पूँजी सबसे बहुमूल्य पण्य है। सरकार इस बहुमूल्य पण्य को सरकारी उपक्रमों में विनियोजित कर हर साल हानि नहीं उठा सकती। उत्पादन में वृद्धि और हानि में कमी करने के लिए सरकार को अपना रवैया बदलना होगा सरकार इस सदन में दृढ़ता से यह कहे कि जब तक सरकारी उपक्रमों से लाभ प्राप्त नहीं होता, तब तक पूँजी का और विनियोजन नहीं किया जाएगा।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव किया है, सरकार उस पर गौर करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी।

Shri Achal Singh (Agra) : Mr. Chairman, Sri, industry and trade has a very important role in the development of India. During the last 22 years we made much headway in industry. Now we are capable of manufacturing almost all materials that are essential for our daily life. But there is another aspect of this issue the Government has invested an amount of Rs. 3500 crores in the public sector. If these public sector under takings earn a profit of even ten per cent, an amount of 350 crores rupees will come in the hands of the Government. But the most deplorable thing is that these undertakings are running at loss. The Government is already in a debt of Rs. 15,000 crores. This is the sad state of affair. We raise the attractive slogans of Socialism. But Socialism can be achieved only through honest and dedicated work. Almost all of the Chairmen of the public undertakings are inexprienced men and they are only concerned with earning more and more money for their personal ends. The Public Accounts Committee and the estimate committee have high lighted this problem and made important suggestions. But hither to no step has been taken to meet this situation

The Antibiotic factory in Rishikesh, in which Government has a large investment, is running at loss. That factory is notorious for mismanagement. The Chairmen or Director will appoint only those persons who belong to this own caste. Qualified persons have no chance there. An employee is retrenched from this factory who is having an experience of fifteen years. When I draw the attention of the Prime Minister and the concerned Minister towards this they said that this is an antonomons body and no body can meddle in its affairs. What is that antonomous body where ever the Prime Minister has no hold ? If it is the way of functioning of public undertakings, we cannot dream of a socialist society.

The public undertakings should be warned that unless they make profit the factory will be closed. Those enterprises which an running at loss, whould be given to private enterpreneurs an contract basis. The private enterprises earn considerable profit, where an public enterprises run at loss. This is a strange phenomenon. This state of affairs will ultimately lead to the destruction of our very democratic set up.

The planners have not thought of how to develop the whole states in a balanced way. As a result today territorial unbalances prevail. West Bangal and Maharashtra are industrially developed states where as U. P. Bihar, Rajastan are industrially backward. In U. P. Kanpur, Varanasi are industrially developed cities. But Agra, despite an international city, is even now industrially far behind of all the other cities of U. P. Time and again we have drawn the attention of the Government towards the backwardness of this city. But hitherto our hopes and dreams are not materialised.

In a vast country like ours adequate attention should be given to the fostering of small scale industries and Cottage industries. Small Scale industries are the warp and woof of our economy. We must learn lessons from Japan where in each village, machine sets were provided to manufacture spare parts of various machinery. In India 80 percent of the population lives in villages. If such industries are set up in our villages, their condition will be improved by leaps and bounds and thereby they can contribute enormously to the national wealth.

In our villages, facilities of electricity are very meagre. The Government must give necessary attention towards this. At present the essential commodities are very costly. Now what we want to do is to improve production. With this end in view, the Government must set up industries throughout the length and breadth of the country. If the 80 per cent population can be employed in industries needless to say, the economic condition of this country will be fast improved. Hence the Government must expedite the process of setting up of industries.

With these words I support the demand for Grants.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : Mr. Chairman, Sir, in commercial laws, recently some changes were brought out. One was to abolish the managing agency. I would like to ask the Government what alternative step the Government is proposing to take in its place? To-day there is no incentive in the private enterpreneurs. They set up new enterprises with not the only intention of getting divident, but something more. If the managing agencies are found involved in unlawful activities, I have no objection in abolishing then. But those who were lawful they are being hindered. It is true that the Government has exempted enterprises from license up to Rs. 1 crores. But the problem is from where the new enterpreneurs will get aid materials. They are not sure of getting facilities which they expect. The bottle-neck policy of the small Industries Service is another harrassment to the enterpreneur. I myself was a victin of this policy.

Mr. Chairman : He may continue his speach on 16th.

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 16 अप्रैल, 1970 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha Then adjourned till Eleven of the clock on thursday the 16th april, 1970.

Printed at Law Publishing House, Allahabad.